महानगर नई दिल्ली सोमवार 7 अक्तूबर, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

फारूक और उमर से मिले नेकां के नेता

प्रतिनिधिमंडल की अगुआई नेकां के जम्मू संभाग के प्रमुख देवेंद्र सिंह राणा कर रहे थे। प्रतिनिधिमंडल ने हरि निवास में नजरबंद पूर्व मुख्यमंत्री उमर के साथ 30 मिनट तक बैठक की।

पार्टी ने की अपील, राजनीतिक प्रक्रिया के लिए सभी नेता रिहा हों

श्रीनगर, 6 अक्तूबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने के बाद, रविवार को नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी के नजरबंद अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से यहां मुलाकात की। बैठक के बाद पार्टी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए पार्टी नेताओं को रिहा किया जाना जरूरी है।

उधर पीडीपी का एक शिष्टमंडल सोमवार को पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती से मिलेगा। हालांकि अपुष्ट सूत्रों ने कहा कि यह मुलाकात टल गई है। नेकां के प्रतिनिधिमंडल ने दोनों नेताओं के साथ अलग-अलग बैठक में राज्य के घटनाक्रम और स्थानीय निकाय के चुनाव पर चर्चा की।

प्रतिनिधिमंडल की अगुआई नेकां के जम्मू संभाग के प्रमुख देवेंद्र सिंह राणा कर रहे थे। प्रतिनिधिमंडल ने हरि निवास में नजरबंद पूर्व मुख्यमंत्री उमर के साथ 30 मिनट तक बैठक की।

उमर को पांच अगस्त को नजरबंद करने के बाद यह पार्टी नेताओं के साथ उनकी पहली बैठक है। केंद्र ने पांच अगस्त को ही राज्य को विशेष दर्जा देने वाले बाकी पेज 8 पर

पीओके से सीमा की ओर आ रहे प्रदर्शनकारी रोके गए

इस्लामाबाद, 6 अक्तूबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 के ज्यादातर प्रावधानों को समाप्त करने के भारत सरकार के फैसले के विरोध और कश्मीरियों के प्रति एकजुटता प्रकट करने के लिए रविवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से नियंत्रण रेखा (एलओसी) की ओर बढ़ रहे हजारों प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका के सीनेटर क्रिस वान होलेन से अपील की है कि वह जमीनी हकीकत देखने के लिए सीमा के दोनों तरफ का जायजा लें।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को प्रदर्शनकारियों को आगाह किया था कि वे कश्मीरी लोगों की मानवीय सहायता या समर्थन के लिए नियंत्रण रेखा पार नहीं करें क्योंकि ऐसा करके आप 'भारत की ओर से पेश विमर्श के जाल में फंसेंगे।' प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार बाकी पेज 8 पर

मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई का मामला

सुप्रीम कोर्ट का विशेष पीठ आज करेगा सुनवाई

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के आरे क्षेत्र में पेड़ों को गिराए जाने के खिलाफ सोमवार को तत्काल सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन किया है।

शीर्ष अदालत ने पेड़ों को गिराए जाने के खिलाफ ऋषव रंजन नामक शख्स के प्रधान न्यायाधीश को लिखे पत्र के आधार पर रविवार को विशेष पीठ का गठन किया। कोर्ट ने पत्र को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने का फैसला किया।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर तत्काल सुनवाई करने के बाबत नोटिस डाला गया है जिसके अनुसार, 'संज्ञान बाकी पेज 8 पर

निषेधाज्ञा के बीच पेड़ों की कटाई

मुंबई, 6 अक्तूबर (भाषा)।

मुंबई की आरे कॉलोनी और उसके आसपास के इलाके में रविवार को दूसरे दिन भी लागू निषेधाज्ञा के बीच मेट्रो कार शेड बनाने के लिए पेड़ों की कटाई का काम लगातार जारी रहा। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने कहा कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे के पास मुख्य संपर्क सड़क समेत आरे कॉलोनी के पांच प्रवेश केंद्रों पर भारी सुरक्षा बल तैनात था ताकि लोगों को इलाके में घुसने से रोका जा सके और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

इलाके में शनिवार से लागू धारा 144 के मद्देनजर अधिकतर दुकाने, रेस्त्रां और सड़क किनारे लगने वाली दुकानें बंद रहीं। पुलिस बाकी पेज 8 पर

राहुल गए परदेस, भाजपा के तंज पर कांग्रेस का पलटवार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के चुपचाप विदेश दौरे पर निकल जाने को लेकर सियासत गरमा गई है। भाजपा ने दो अहम राज्यों में हो रही चुनावी भिड़ंत के बीच राहुल के कथित तौर पर बैंकॉक जाने पर तंज कसा तो जवाब में कांग्रेस ने सत्ता पक्ष को यह नसीहत दी है कि वह निजी व सार्वजनिक जीवन का घालमेल करने से परहेज करे।

राहुल के इस विदेश दौरे को उनकी नाराजगी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अपनी नाराजगी के मद्देनजर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि पार्टी के कुछ नेता ऐसे कयासों को खारिज कर यह दावा कर रहे हैं कि 11 अक्तूबर को विदेश यात्रा से वापसी के बाद राहुल दोनों चुनावी राज्यों में कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे।

भाजपा के आइटी प्रकोष्ठ के मुखिया अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है कि बैंकॉक क्यों ट्रेंड कर रहा है। उसके बाद कनार्टक प्रदेश भाजपा ने भी राहुल पर तंज कसा। कर्नाटक भाजपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा-महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव करीब हैं। मतदाता अपने स्टार प्रचारक को सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या यह सच है कि वह पहले ही बैंकॉक रवाना हो चुके हैं। अब अंबाला में आलू से सोना और औरंगाबाद मेड मोबाइल की बात कौन करेगा। इससे पहले शनिवार रात को राहुल गांधी के बैंकॉक रवाना होने की खबर आने के बाद से ही ट्विटर पर बैंकॉक ट्रेंड होने लगा था। यही नहीं रविवार को भी राहुल गांधी ट्विटर के टॉप ट्रेंड में हैं। राहुल के विदेश दौरे को लेकर भाजपा के तंज को लेकर कांग्रेस में काफी देर तक चुप्पी का आलम रहा लेकिन बाद में पार्टी प्रवक्ता व वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल का बचाव करते हुए कहा है कि निजी और सार्वजनिक जीवन का घालमेल नहीं करना चाहिए। सिंघवी ने ट्वीट किया-किसी व्यक्ति के निजी जीवन को सार्वजनिक जीवन से नहीं मिलाना चाहिए। यह जरूरी है कि हम हर किसी की निजता को बनाए रखें। यह किसी भी विकासशील और उदार लोकतंत्र के लिए जरूरी है।

राहुल गांधी शनिवार रात को बैंकॉक के लिए रवाना हुए थे। सूत्रों का कहना है कि वह 11 तारीख को लौट आएंगे और हरियाणा व महाराष्ट्र के विधानसभा बाकी पेज 8 पर

पार्टी के कुछ नेता ऐसे कयासों को खारिज कर यह दावा कर रहे हैं कि 11 अक्तूबर को विदेश यात्रा से वापसी के बाद राहुल दोनों चुनावी राज्यों में कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे।

चुनाव प्रचार नहीं करेंगे नवजोत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रमुख प्रचारकों में शुमार रहे पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू इसी महीने महाराष्ट्र व हरियाणा के विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार नहीं करेंगे। कांग्रेस द्वारा जारी की गई स्टार प्रचारकों सूची से सिद्धू का नाम गायब है।

समझा जा रहा है कि उनकी पाकिस्तान यात्रा तथा वहां के सेनाध्यक्ष से गले मिलने को लेकर उठे विवाद के मद्देनजर पार्टी ने उनको हरियाणा में चुनाव प्रचार से दूर रखने का फैसला किया है। पंजाब बाकी पेज 8 पर

सीएनजी, पीएनजी के दाम घटे

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर (भाषा)।

सीएनजी और पाइप के जरिए घरों में पहुंचने वाली रसोई गैस के दाम दिल्ली और आसपास के शहरों में कम हुए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लि. (आइजीएल) के अनुसार प्राकृतिक गैस से जुड़े कच्चे माल की लागत में 12.5 फीसद की कटौती से ईंधन सस्ता हुआ है।

कंपनी ने एक बयान में कहा कि वाहनों के लिए काम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (सीएनजी) का दाम दिल्ली में 1.90 रुपए किलो कम हुआ है जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में इसमें 2.15 रुपए किलो की कमी आई है।

इस कटौती के बाद दिल्ली में सीएनजी का दाम 45.20 रुपए किलो होगा। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बाकी पेज 8 पर

ट्रंप महाभियोग पर विदेश मंत्रालय करेगा कानून का पालन : पोम्पिओ

वाशिंगटन, 6 अक्तूबर (भाषा)।

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही में विदेश मंत्रालय कानून का पालन करेगा। पोम्पिओ यूनान की यात्रा पर हैं। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि इस संबंध में शुक्रवार रात कांग्रेस को पत्र भेजा है और कांग्रेस की समिति द्वारा मांगे गए दस्तावेज के संबंध में विदेश मंत्रालय ने ऐसा किया है।

पोम्पिओ ने प्रश्न के जवाब में कहा, 'निश्चित रूप से हम वह हर चीज करेंगे जिसे कानूनी रूप से करने की जरूरत होगी।' उन्होंने कहा, 'मैं कांग्रेस का सदस्य रह चुका हूं, अनुच्छेद एक के पास कुछ निश्चित शक्तियां हैं और अनुच्छेद दो में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की रक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई।'

हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस समिति में कई ऐसी जांचें हुई हैं जिनमें विदेश मंत्रालय की कर्मचारियों को परेशान किया गया, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कर्मचारियों से संपर्क किया और दस्तावेज मुहैया कराने की मांग की। ये दस्तावेज विदेश मंत्रालय के हैं। पोम्पिओ से जब ट्रंप के खिलाफ जांच के औचित्य के संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इसमें राजनीति शामिल है।

शाहबेरी प्रकरण

तीन बिल्डरों की 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 6 अक्तूबर।

शाहबेरी मामले पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन बिल्डरों की 30 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क (अटैच) कर दी है। इसमें भवन नियमावली का पालन नहीं करने वाले 74 फ्लैट, एक दुकान और एक भूखंड हैं। बिल्डरों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से मंजूरी नहीं ली और सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया है।

कुर्क संपत्ति पर कोई भी व्यक्ति दस्तावेजों के साथ 90 दिनों में दावा प्रस्तुत कर सकता है। जिलाधिकारी ने दादरी के एसडीएम राजीव रॉय को कुर्क संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया है। रविवार को सेक्टर- 27 स्थित जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पर हुई प्रेसवार्ता में जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि शाहबेरी में 17 जुलाई, 2018 को निर्माणाधीन इमारत गिरने से नौ व्यक्तियों की मौत हो गई थी। जांच में पाया गया कि बिल्डरों और कॉलोनी काटने वालों ने नियमों को ताक पर रखकर इमारतें बाकी पेज 8 पर

जिला प्रशासन ने 74 फ्लैट, एक दुकान और एक भूखंड की कुर्की की, एसडीएम दादरी नियुक्त हुए प्रशासक

17 जुलाई 2018 को शाहबेरी में निर्माणाधीन इमारत गिरने से नौ व्यक्तियों की मौत हुई थी

थाना बिसरख में 227 बिल्डर व कॉलोनी वालों पर 86 मामले दर्ज, 52 गिरफ्तार और 148 को मिला है हाईकोर्ट से स्टे

पेरिस में कल रफाल विमान मिलने के बाद शस्त्र पूजा करेंगे राजनाथ

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर (भाषा)।

रक्षा मंत्री सोमवार को तीन दिन की पेरिस यात्रा पर रवाना हो रहे हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरे के अवसर पर मंगलवार को पेरिस में पहला रफाल लड़ाकू विमान हासिल करने के बाद 'शस्त्र पूजा' करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि दहशरे के दिन ही फ्रांसीसी पोर्ट बोर्डेक्स पर सिंह पहला रफाल विमान स्वीकार करेंगे।

उन्होंने बताया कि पूजा करने के बाद सिह रफाल में उड़ान भर उसका अनुभव भी लेंगे। सिंह वर्षों से 'शस्त्र पूजा' करते आ रहे हैं। पूर्ववर्ती राजग सरकार में गृहमंत्री रहते हुए भी वह शस्त्र पूजा करते थे। शस्त्र पूजा या आयुध पूजा में अस्त्र-शस्त्र की पूजा की जाती है। देश के विभिन्न हिस्सों में यह दशहरा उत्सव का हिस्सा है।

रक्षा मंत्री सोमवार को तीन दिन की पेरिस यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। दशहरे और भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर वह पहला रफाल लड़ाकू विमान स्वीकार बाकी पेज 8 पर

हुड्डा व कई अन्य नेताओं ने नहीं पूछा एक भी सवाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भले चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष व विपक्ष का नेता तक बनाया है लेकिन विधानसभा में सवाल पूछकर सरकार को घेरने के मामले में हुड्डा व पार्टी के कई अन्य विधायक फिसड्डी साबित हुए। सूबे बाकी पेज 8 पर

दरअसल

बदहाल तालीम

झारखंड, तेलंगाना में भी अच्छी नहीं स्थिति — गुजरात, पुडुचेरी इस मामले में सबसे बेहतर

बिहार के 80 फीसद से ज्यादा स्कूल बिना प्रधानाचार्य के

सुशील राघव
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

बिहार के 80 फीसद से अधिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक नहीं हैं। नीति आयोग की ओर से जारी पहले विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता सूचक (एसईक्यूआइ) के मुताबिक 2016-17 में सिर्फ 19.50 फीसद विद्यालयों में ही प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक तैनात थे।

इस मामले में सबसे बेहतर राज्य गुजरात और सबसे ऊपर केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी रहा। एसईक्यूआइ के अनुसार गुजरात के 87.10 फीसद और पुडुचेरी में 87.70 फीसद विद्यालयों में प्रधानाचार्य तैनात थे। एसईक्यूआइ को तैयार करने में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्व वैंक का भी सहयोग लिया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के मुताबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक का पद स्वीकृत होता है। वहीं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अनुसार सभी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एक प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक और उपप्रधानाचार्य या सहायक प्रधान अध्यापक नियुक्त करना अनिवार्य है।

एसईक्यूआइ के मुताबिक बड़े राज्यों में झारखंड के 23.90 फीसद, तेलंगाना के 35.30 फीसद, मध्य प्रदेश के 38.90 फीसद, ओडीशा के 48.80 फीसद, कर्नाटक के 51.30 फीसद, महाराष्ट्र के 54.20 फीसद, जम्मू कश्मीर के 55.60 फीसद, छत्तीसगढ़ के 56.10 फीसद, पंजाब के 58.30 फीसद, उत्तराखंड के 60.20 फीसद, हरियाणा के 63 फीसद, उत्तर प्रदेश के 67.40 फीसद हिमाचल प्रदेश के 68 फीसद, राजस्थान के 68.60 फीसद, असम के 74.50 फीसद, तमिलनाडु के 84.60 फीसद, केरल के 85.40 फीसद और गुजरात के 87.10 फीसद विद्यालयों में प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक तैनात थे।

इसी तरह यदि छोटे राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के 74.50 फीसद विद्यालयों में प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक तैनात नहीं थे। वहीं, यदि छोटे राज्यों में औसत की बात करें तो यहां के 64.60 फीसद विद्यालयों में प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक तैनात थे।

दिल्ली के एक तिहाई विद्यालयों में ही प्रधानाचार्य

एसईक्यूआइ की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रशासित प्रदेशों में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के सबसे कम आठ फीसद विद्यालयों में ही प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक तैनात थे। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 33 फीसद विद्यालय ही प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक के साथ चल रहे थे। अगर केंद्रशासित प्रदेशों के औसत की बात करें तो 58.10 फीसद स्कूलों में प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक तैनात थे।

Join @NewspapersToday

पीएमसी बैंक के पूर्व अध्यक्ष नौ अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में

4,355 करोड़ के कथित घोटाले में गिरफ्तार किया गया था

मुंबई, 6 अक्तूबर (भाषा)।

पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक के पूर्व अध्यक्ष वरयम सिंह को एक स्थानीय अदालत ने रविवार को नौ अक्तूबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। बैंक में 4,355 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

सिंह (68) को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शनिवार को माहिम चर्च इलाके से गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस हिरासत में वह चौथे व्यक्ति हैं। आर्थिक अपराध शाखा इस मामले में बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस और हाउसिंग डेवलपमेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआइएल) समूह के प्रमोटरों राकेश तथा सारंग वधावन को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

सिंह के वकील ने रविवार को अदालत से कहा कि पीएमसी का प्रबंध निदेशक रहने के नाते थॉमस घोटाले के लिए जिम्मेदार हैं और एचडीआइएल को ऋण आबंटित करने में उनके मुवक्किल की कोई भूमिका नहीं थी।

आर्थिक अपराध शाखा ने बैंक को 4,355.43 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में एचडीआइएल और पीएमसी बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है। शुक्रवार को अदालत को बताया गया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपे गए ऋण खातों के विवरण में पीएमसी ने एचडीआइएल और उस समूह के 44 ऋण खातों को 21,049 फर्जी ऋण खातों में बदल दिया।

उन ऋणों का ब्यौरा कोर बैंकिंग सिस्टम में दर्ज नहीं किया गया, जबकि बैंक के निदेशक मंडल और अधिकारियों को इसकी पूरी जानकारी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी धनशोधन कानून के तहत अलग जांच कर रहा है। ईडी ने आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए मुंबई और आसपास के छह ठिकानों पर शुक्रवार को छापेमारी की।

पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक का घोटाल प्रकाश में आने पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने बैंक से नकद लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया है जिससे पीएमसी बैंक में रुपए जमा करने वाले लोगों में दहशत फैल गई।

तैयारी गाजियाबाद के हिंडन एअरबेस में 87वें भारतीय वायुसेना दिवस की रिहर्सल करते वायुसैनिक।

2020 तक उत्तराखंड में शुद्ध गंगाजल मिलेगा : रावत

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 6 अक्तूबर।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में 2020 तक गंगा में गिरने वाले सभी नाले बंद कर दिए जाएंगे। अभी काफी तादाद में नाले बंद किए गए हैं। नीरी ने हाल में ही उत्तराखंड में गंगा जल की शुद्धता की पुष्टि की है।

अपनी सरकार की ढाई साल की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में पिछले ढाई साल में कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया। हमारी सरकार की अब निगाह बेनामी संपत्तियों पर है। अपनी सरकार के ढाई साल पूरे होने के मौके पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रावत बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज राज्य की प्रति व्यक्ति आमदनी सालाना 1.98 लाख है। हमारा प्रयास बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी जैसे पर्वतीय जिला की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी का प्रयास है। न्याय पंचायतों में विकास केंद्रों की स्थापना की जा रही है।

उन्होंने कहा कि पलायन आयोग का गठन कर पलायन की जमीनी हकीकत की जानकारी प्राप्त की गई है। आयोग द्वारा 70 फीसद गांवों का भ्रमण कर सभी गांवों की सर्वे रिपोर्ट तैयार की है। अब फिर से लोगों के पहाड़ में वापसी की दिशा में भी पहल हो रही है,अपने गांवों सरकार की इस पहल के कारण लोग अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं। चारधाम सड़क परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के साथ ही तमाम शहरों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी से समग्र विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं।

झारखंड में चोरी के आरोप में युवक की पीट-पीटकर हत्या

कोडरमा (झारखंड), 6 अक्तूबर (भाषा)।

झारखंड में अज्ञात लोगों ने रविवार को एक व्यक्ति की कथित तौर पर पिटाई कर दी जिससे उसकी मौत हो गई। कोडरमा के पुलिस अधीक्षक एम तमिलवनन ने बताया कि रेलवे कॉलोनी में चोरी के शक में स्थानीय लोगों ने करीब 30 वर्षीय सुनील कुमार यादव की पिटाई कर दी। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल यादव को कोडरमा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिसकी बाद में मौत हो गई। तिलैया थाना के प्रभारी अजय कुमार सिह ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि यादव पड़ोसी हजारीबाग जिला स्थित बरकठा गांव का रहने वाला था और मजदूरी करता था। उन्होंने बताया कि यादव काम की तलाश में कोडरमा आया था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है।

ट्रक और टेंपो के बीच टक्कर, छह की मौत

झांसी, 6 अक्तूबर (भाषा)।

झांसी जिले के तोड़ी फतेहपुर क्षेत्र में रविवार शाम ट्रक और टेंपो की जबरदस्त टक्कर में तीन महिलाओं समेत छह लोगों की मौत और पांच अन्य घायल हो गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह ने बताया कि तोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के गुरथरा मार्ग पर मध्यप्रदेश के खरोरा से टेंपो पर सवार होकर आ रहे कुछ लोगों के वाहन को एक ट्रक ने टक्कर मार दी।

उन्होंने बताया कि इस हादसे में तीन महिलाओं, दो पुरुषों व एक बच्चे की मौत हो गई। उनकी शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। सिंह ने बताया कि दुर्घटना में पांच अन्य लोग भी घायल हुए हैं उनमें से तीन को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। उनमें से एक की हालत नाजुक बताई जाती है।

उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजन को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा की है।

आगरा में किशोरी के साथ बलात्कार के बाद अनाथालय सील

आगरा, 6 अक्तूबर (भाषा)।

आगरा में एक किशोरी से कथित बलात्कार के बाद प्रशासन ने एक अनाथालय को सील कर दिया और इसके प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

इस संबंध में सीडीओ जे रीभा ने बताया कि शाम सात बजे के लगभग अनाथालय को सील करने की कार्रवाई की गई और अनाथालय प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर 28 लड़कों को आगरा में शाहगंज स्थित बाल गृह में रखा गया है। बाकी की 10 लड़कियों में से तीन लड़कियों को आशा ज्योति केंद्र में रखा गया है। कम उम्र की बच्चियों को शाहगंज स्थित बाल गृह में रखा गया है।

आगरा के एत्माउददौला क्षेत्र के अनाथालय की छत से तीन अक्तूबर को एक किशोरी ने यमुना में छलांग लगा दी थी। स्थानीय लोगों ने उसे बचा लिया था। किशोरी ने अनाथालय में तीन युवकों पर बलात्कार के आरोप लगाए थे।

शेख हसीना से मिले मनमोहन, सोनिया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की और दोनों देशों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस डेढ़ घंटे तक चली बैठक में उपस्थित थीं।

हसीना से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया-शेख हसीना जी से मुलाकात हुई जिनसे दोबारा मिलने की काफी समय से इच्छा थी। गहरे निजी नुकसान एवं बुरे वक्त से उबरने की उनकी ताकत, बहादुरी एवं दृढ़ता से अपने विचारों के लिए उनका संघर्ष हमेशा से मेरे लिए एक प्रेरणा है।

इस मुलाकात को लेकर जारी एक बयान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच के गहरे ताल्लुकातों की चर्चा की और खासतौर पर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ अपने पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान के बीच दोस्ती को भी याद किया। उन्होंने शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या के बाद दिल्ली में अपने परिवार के प्रवास के दिनों को भी याद किया।

शर्मा ने बताया कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बांग्लादेश आने का निमंत्रण दिया, जिसे गांधी ने स्वीकार कर लिया।

उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वे कांग्रेस महासचिव प्रियंका को भी बंग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किए जा रहे समारोह में शामिल होने का न्योता भी दिया।

बिहार में दो बाढ़ पीड़ितों की पिटाई, लोगों ने एसडीओ के वाहन के शीशे तोड़े

- लोगों का आरोप है कि सड़क पर बाड़ लगाकर सुखा रहे गीले अनाज को हटवाने को लेकर विवाद बढ़ा, एसडीओ के सुरक्षाकर्मियों ने दो बाढ़ पीड़ितों की बुरी तरह पिटाई की
- एसडीओ का आरोप है कि ये लोग सड़क पर बाड़ लगाकर अवैध वसूली कर रहे थे, बाड़ हटवाने पर इन लोगों ने हंगामा किया। लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ

भागलपुर, 6 अक्तूबर (जनसत्ता)।

एनएच 80 नाथनगर के आगे दुगच्छी के नजदीक सड़क पर शरण लिए बाढ़ पीड़ितों को एसडीओ के सुरक्षा कर्मियों ने लाठी-डंडों से बुरी तरह पिटाई कर दी। इसमें दो व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गए। उसके बाद बाढ़ पीड़ितों ने खूब हंगामा किया। एसडीओ को जान बचाने के लिए गाड़ी से उतर कर भागना पड़ा। लोगों ने पथराव कर गाड़ी के शीशे चूर-चूर कर दिए। थाना नाथनगर में प्राथमिकी दर्ज की गई है। घायल दिलखुश यादव का आरोप है कि गीले अनाज को सुखाने के लिए सड़क पर बाड़ लगाई थी। सड़क पर जाम लगने के कारण एसडीओ के सुरक्षाकर्मियों ने बाड़ को हटवाने की कोशिश की। इस दौरान विवाद बढ़ने पर इन सुरक्षाकर्मियों ने दो बाढ़ पीड़ितों को पीट दिया। हालांकि एसडीओ का आरोप है कि ये लोग अवैध वसूली कर रहे थे।

शनिवार शाम को बाढ़ का जायजा लेने आ रहे केंद्रीय दल को रिसीव करने भागलपुर के एसडीओ आशीष नारायण गाड़ी से सुलतानगंज जा रहे थे। उनकी गाड़ी जाम में फंस गई। उनके सुरक्षाकर्मियों ने जाम हटवाने की कोशिश की। इसी में तू-तू, मैं-मैं हुई और फिर हाथापाई शुरू हो गई। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने लाठियां भांजनी शुरू कर दीं। नतीजतन दो बाढ़ पीड़ित जख्मी हो गए। इसके बाद बाढ़ पीड़ितों ने भी जमकर पत्थरबाजी की। इसमें तीन गार्ड को भी मामूली चोटें आई हैं।

सूचना पाकर सिटी डीएसपी राजवंश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार गार्ड ने दो चक्र गोली भी चलाई हैं। मगर इससे एसडीओ इनकार करते हैं। सिटी डीएसपी के मुताबिक इस सिलसिले में थाना नाथनगर में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें एसडीओ के गार्ड की पिटाई से जख्मी घुटर यादव और दिलखुश यादव को नामजद किया गया है। इसके अलावा 15 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। जख्मी दोनों नामजदों को पुलिस अभिरक्षा में जवाहरलाल नेहरू भागलपुर मेडिकल कालेज अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है।

एसडीओ ने दावा किया कि नाथनगर और अकबरनगर के बीच दोगच्छी के नजदीक रामचंद्रपुर नवटोलिया गांव की सड़क पर बाढ़ पीड़ित पेड़ की लकड़ी का बाड़ा लगा कर आने जाने वाले वाहनों से पैसे की वसूली कर रहे थे। इधर से बाढ़ का जायजा लेने आ रहे केंद्रीय जांच दल को रिसीव करने जाने के क्रम में लकड़ी के बाड़े को हटाने के लिए कहा। मगर वे हटाने को तैयार नहीं हुए। बल्कि सरकारी गाड़ी देख नारेबाजी करने लगे। सुरक्षा गार्ड ने गाड़ी से उतरकर लकड़ी को हटाने की कोशिश की तो वे इसका विरोध करने लगे और हाथापाई पर उतारू हो गए। इसके बाद सुरक्षा गार्ड ने हल्का बल प्रयोग किया।

बाढ़ पीड़ितों को पीटते देख आसपास के गांव वाले एकजुट हो गए और एसडीओ की गाड़ी पर पथराव करने लगे। उन्होंने काफी देर तक पथराव किया। बताया जाता है कि एसडीओ के सुरक्षाकर्मी सुमित कुमार, जितेंद्र कुमार, छोटे नारायण को भी मामूली चोटें आई हैं। सूचना पाकर तीन थाने की पुलिस, सिटी डीएसपी, अंचलाधिकारी और बीडीओ घटनास्थल पर पहुंचे और एसडीओ को वहां से सुरक्षित निकाला।

बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि सरकारी राहत नदारद है। बाढ़ में घर डूबा है। जो कुछ बचा अनाज था, उसे धूप में सुखाने के लिए सड़क पर बिछाया था। बाढ़ पीड़ितों ने कहा कि वे राहत मांग रहे थे। बदले में लाठियां और अब मुकदमें झेलेंगे। यह कहां का न्याय है।

पीड़ितों का कहना है कि रामचंद्रपुर नवटोलिया के तीन सौ परिवार बाढ़ से बेघर होकर सड़क पर पड़े हैं। ट्रक जैसे भारी वाहन का चलना बंद है तो पैसे किससे वसूल रहे थे? लोगों ने आरोप लगाया कि एसडीओ का आरोप निराधार व बदनाम करने की कोशिश है। लोगों ने दुख जताया कि उन्हें विपदा की घड़ी में फंसाया जा रहा है।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Saifuddin S/o-Shoukat Ali R/o-L-4/B,Sailing Club-Road near Masjid-Khalilullah, Jamia-Nagar,Okhla, New Delhi-110025.changed my name to Mohd Saifuddin Molla,S/o-Late Shaukat Ali Molla,for all purposes. 0040515190-2

I, Bhanu Partap, S/O Dev Raj Singh R/O-MCF-53, Nawlu-Colony,Gali.N0-3, New-Railway-Road Near-Bus Stand-Ballabhgarh Faridabad-121004,Have Changed My Name To Bhanu Pratap Singh. 0040515190-3

I, Anju Batra W/O Inder Kumar R/O C-451, Galino.10, Majlis Park, Adarsh Nagar, Delhi-110033. Have Changed My Name To Pooja. 0040515190-1

मैं राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम पुजारी गुप्ता पता-WZ-79, मैन बाजार, बड़ी चौपाल शादीपुर नं. दिल्ली-110008 मैनें अपनी पुत्री का नाम पूजा से पूजा गुप्ता रख लिया है। भविष्ये में इसी नाम से जाने।

मैं हेमा खान पत्नी श्री अब्दुल शारिक खान पता हाउस नं. 340, गली नं.-38 जाकिर नगर जामिया नगर ओखला दिल्ली-110025 ने अपना नाम हुमा खान से बदलकर हेमा खान रख लिया है।

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed to public at large on behalf of my clients Smt. Deepti Gupta W/o Sh. Surender Gupta D/o Late Sh. Parmod Kumar Jain and Sh. Surender Gupta S/o late Sh. Mehar Chand Gupta both R/o 985/797, Samman Bazar, Bhogal, Delhi have severed/ disconnected their all relationship with Sh. Mohit Jain S/o Late Sh. Parmod Kumar Jain and Smt. Manisha W/o Sh. Mohit jain & D/o Sh. Shyam Sunder Sharma and their children all R/o 2/82, Geeta Colony, Near Gurudwara, Delhi-110031 for being disobedient, quarrel some and disrespectful towards my clients. Even my clients have got no visiting terms with them. If anyone deals with them, he/she/they may do so at /his/ her/ their own risk, cost and consequences. My clients shall not be responsible to anybody for the acts, deeds and misdeeds of the abovenamed persons.

Sd/-
Rajeev Garg (Advocate)
E. No. D-307/1995
Chamber No. 750, Western Wing
Tis Hazari Courts Delhi-54

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

The Indian EXPRESS Classifieds FROM ANYTHING TO EVERYTHING

EXPRESS EDUCATION

LAW AMBITION LAW INSTITUTE

HURRY UP BEFORE THE BATCH GETS FULL!!!!!!!
LIMITED SEATS EVENING BATCH FOR JUDICIARY ASPIRANTS NOW AT MUKHARJI NAGAR ON CONSTANT AND INEVITABLE DEMAND OF THE ASPIRANTS.
BATCH STARTS 25 NOVEMBER TIME 3:30-7:30
DJS MAINS TEST SERIES
Just after test there will be discussion on answer
3 Oct. Civil Law-I | 5 Oct. Civil Law-II
7 Oct. Criminal Law | 9 Oct. G.K. & Language
REGISTRATION FREE

MUKHERJEE NAGAR: JUDICIAL (FOUNDATION 17 OCT., WEEKEND 20 OCT.) CLAT 5 OCT. 880066-0301 / 2130 / 0380
KAROL BAGH / PUSA ROAD: JUDICIAL 16 OCT. IAS (LAW) 14 OCT. CLAT 7 OCT. 880066-2140 / 011-49841810

B-10, 1st Floor, Above Maharashtra Bank, Mukherjee Ngr, Delhi -9
011-47532639 / 8800660301 Toll Free No. 1800-12000-2001
www.ambitionlawinstitute.com

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

यहां चैत्र नवरात्रि में रावण वध की परंपरा है | **त्योहार** | मुसलमान भी बढ़-चढ़कर लेते हैं हिस्सा

जहां दशहरे से छह महीने पहले ही मार दिया जाता है रावण

इंदौर, 6 अक्तूबर (भाषा)।

शारदीय नवरात्र की समाप्ति के बाद रावण का पुतला जलाकर मनाए जाने वाले दशहरे का उल्लास चरम पर है। रावण का दहन इस बार मंगलवार को होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का एक गांव ऐसा है, जहां 10 सिरों वाले इस पौराणिक पात्र की मूर्ति की नाक काटकर छह महीने पहले ही उसका प्रतीकात्मक अंत कर दिया जाता है।

दरअसल, इस गांव में शारदीय नवरात्रि के बजाय गर्मियों में पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि में रावण के अंत की परंपरा है। यह अनूठी रिवायत सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल भी है, क्योंकि इसे निभाने में मुसलिम समुदाय के लोग भी बढ़-चढ़कर मदद करते हैं।

इंदौर से करीब 190 किलोमीटर दूर चिकलाना गांव में इस परंपरा के पालन से जुड़े परिवार के राजेश बैरागी ने रविवार को बताया, 'चैत्र नवरात्रि की यह परंपरा मेरे पुरखों के जमाने से निभायी जा रही है। इसके तहत गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति भाले से रावण की मूर्ति की नाक पर वार कर इसे सांकेतिक रूप से काट देता है।'

उन्होंने कहा, 'हिंदी की प्रसिद्ध कहावत नाक कटना का मतलब है-बदनामी होना। लिहाजा रावण की नाक काटे जाने की परंपरा में यह अहम संदेश छिपा है कि बुराई के प्रतीक की सार्वजनिक रूप से निंदा के जरिए उसके अहंकार को नष्ट करने में हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।' बैरागी ने बताया कि परंपरा के तहत ढोल-नगाड़ों की थाप पर गांव के हनुमान मंदिर से चल समारोह निकाला जाता है। इसके साथ ही, राम और रावण की सेनाओं के बीच वाकयुद्ध का रोचक स्वांग होता है। इस दौरान हनुमान की वेश-भूषा वाला व्यक्ति रावण की मूर्ति की नाभि पर गदा से तीन बार वार करते हुए सांकेतिक लंका दहन भी करता है।

उन्होंने बताया कि परंपरा के मुताबिक इस बार अप्रैल में चैत्र नवरात्रि खत्म होने के अगले दिन रावण की मूर्ति की नाक काटकर उसका प्रतीकात्मक अंत कर दिया गया था। बैरागी ने बताया, 'शारदीय नवरात्रि के बाद पड़ने वाले दशहरे पर हमारे गांव में रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता है।' करीब 3,500 की आबादी वाला चिकलाना गांव हिंदू बहुल है। लेकिन यह बात इसे अन्य स्थानों से अलग करती है कि चैत्र नवरात्रि के अगले दिन रावण की नाक काटने की परंपरा में गांव का मुसलिम समुदाय भी पूरे उत्साह के साथ मददगार बनता है। चिकलाना के उप सरपंच हसन खान पठान बताते हैं, 'इस परंपरा में सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। इस दौरान मुसलिम समुदाय भी आयोजकों की हर मुमकिन मदद करता है और पूरे गांव में त्योहार का माहौल होता है।' पठान ने बताया, 'हमारे गांव में पहले इस परंपरा के लिए हर साल रावण का मिट्टी का पुतला बनाया जाता था। लेकिन तीन वर्ष पहले हमने करीब 15 फुट ऊंची स्थायी मूर्ति बनवा दी है जिसमें 10 सिरों वाला रावण सिंहासन पर बैठा नजर आता है।' उन्होंने बताया कि गांव में जिस जगह रावण की यह मूर्ति स्थित है, उसे दशहरा मैदान घोषित कर दिया गया है।

> *इस* परंपरा में सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। इस दौरान मुसलिम समुदाय भी आयोजकों की हर मुमकिन मदद करता है और पूरे गांव में त्योहार का माहौल होता है।' हमारे गांव में पहले इस परंपरा के लिए हर साल रावण का मिट्टी का पुतला बनाया जाता था। लेकिन तीन वर्ष पहले हमने करीब 15 फुट ऊंची स्थायी मूर्ति बनवा दी है जिसमें 10 सिरों वाला रावण सिंहासन पर बैठा नजर आता है।
>
> -हसन खान पठान, उप सरपंच चिकलाना

मौसम

तापमान	नई दिल्ली	
अधिकतम–32.5 डि.से.		सूर्योदय– 6:17
न्यूनतम– 20.8 डि.से.		सूर्यास्त– 18:02

त्योहार के रंग

देश भर में दुर्गा पूजा का उत्साह चरम पर है। रविवार को तीमारपुर में मां दुर्गा के सामने धुनुची नृत्य करता श्रद्धालु।

दशहरे पर रावण दहन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। राजधानी के टैगोर गार्डन में पुतलों को अंतिम रूप देते कारीगर।

युवक को पीटने के आरोपी पिता-पुत्र गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

- पिटने वाले युवक की शनिवार रात अस्पताल में इलाज के दौरान मौत
- अपने पिता के बकाए रुपए मांगने गए युवक को पड़ोसी ने पिटवाया था

राजौरी गार्डन थाना क्षेत्र में उधार में दिए बिल्डिंग मेटरियल के रुपए मांगने पर एक परिवार पर पड़ोसियों ने हमला कर दिया। इस हादसे में घायल सूरज पाठक (19) ने शनिवार रात को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं, मृतक के पिता ध्रुव पाठक और उसके भाई शशांक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने सूरज के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया है। राजौरी गार्डन थाना पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपी शिव चरण और उसके बेटे सुशील को गिरफ्तार कर लिया है। इस मारपीट में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

पश्चिमी जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सूरज, राजौरी गार्डन में परिवार के साथ रहता था। सूरज के पिता का बिल्डिंग मेटरियल आपूर्ति करने का काम है। ध्रुव ने पुलिस को बताया कि करीब पांच महीने पहले शिव चरण ने अपना मकान बनाया था।

इस दौरान शिव चरण ने उनसे करीब एक लाख 30 हजार रुपए का मेटेरियल उधार लिया था और रुपए बाद में देने की बात कही थी। इसके बाद ध्रुव ने शिव चरण से रुपए मांगे तो वह उनसे झगड़ा करने लगे। उधार में दिए गए सामान के रुपए मांगने पर दोनों पड़ोसियों के बीच कई बार विवाद हुआ था। पर बीच-बचाव के बाद शांत हो जाता था। पुलिस ने बताया कि शिव चरण ने ध्रुव को 25 सितंबर को रुपए देने का वादा किया था। इसी बीच ध्रुव अपने गांव चले गए। पिता के जाने के बाद सूरज ने शिव चरण से रुपए मांगे तो उसने देने से इनकार कर दिया। गांव से आने के बाद ध्रुव ने शनिवार को शिव चरण को अपने दफ्तर में बुलाया।

यहां फिर से दोनों के बीच रुपए के लेन-देन को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद शिव चरण ने अपने बेटे और रिश्तेदारों के साथ मिलकर सूरज व ध्रुव पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। पिता और भाई को पिटता देख ध्रुव का दूसरा बेटा शशांक भी मौके पर आ गया। आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में तीनों घायल हो गए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस तुरंत तीनों को लेकर अस्पताल गई। जहां सूरज की मौत हो गई।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने उपराज्यपाल को लिखा पत्र

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का फरवरी 2019 से मेडिकल का भुगतान नहीं होने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने उपराज्यपाल को पत्र लिखा है।

रिटायर इम्प्लाइज एंड सीनियर सीटिजंस वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली के महासचिव मनमोहन भारद्वाज ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में कहा है कि 35-40 सालों तक नौकरी के बाद जब कर्मचारी सेवा से निवृत्त होते हैं तो उन्हें 35 हजार से 78 हजार रुपए तक स्वास्थ्य विभाग को कैशलेस कार्ड बनाने के नाम पर देने पड़ते हैं, लेकिन जरूरत पर जब इसका फायदा नहीं मिलता तो खीझ उठती है। भारद्वाज के मुताबिक नरेला ग्रामीण क्षेत्र में प्रति महीने सात सौ से एक हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी भुगतान के लिए आते हैं पर फरवरी 2019 से अगस्त 2019 तक उनके बिलों का भुगतान नहीं हो पाया है। इस हालत में सेवानिवृत्त बुजुर्ग कर्मचारियों को निगम के दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते हैं।

खेल विश्वविद्यालय के नाम पर किया जा रहा है गुमराह : कांग्रेस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

कांग्रेस नेता डॉक्टर नरेश कुमार ने रविवार को कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खेल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा कर एक बार फिर से दिल्ली की आम जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेश कुमार का कहना है कि जब सरकार के पास कुछ गिने-चुने दिन बचे हैं तो एक बार पहले कैबिनेट में पास हो चुका खेल स्कूल को दोबारा से खेल विश्वविद्यालय नाम देकर खोलने की झूठी घोषणा कर रहे हैं, जबकि इस जमीन को लेकर एक मामला अदालत में लंबित भी है।

नरेश कुमार ने कहा की दिल्ली के इन तीन गावों के किसानों ने यह सोचकर इस भूमि अधिग्रहण को मन से स्वीकार किया था की आने वाला समय में खेती किसानी का नहीं, बल्कि खेल और शिक्षा के द्वारा बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही खेल स्कूल के बनने से आसपास के इलाकों के बच्चों को भी फायदा होगा। पर ऐसा हुआ नहीं।

शीला दीक्षित के करीबी और चार बार के विधायक रहे

प्रहलाद साहनी कांग्रेस को छोड़ 'आप' में शामिल

'आप' संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ प्रहलाद साहनी (बीच में)। फोटो : अरुष चोपड़ा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के करीबियों में शुमार किए जाने वाले चांदनी चौक से चार बार के विधायक प्रहलाद सिंह साहनी रविवार को कांग्रेस का साथ छोड़ आम आदमी पार्टी (आम) में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनका पार्टी में स्वागत किया। समझा जा रहा है कि चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा की कांग्रेस से बढ़ती नजदीकियों के मद्देनजर उन्होंने पाला बदलने का फैसला किया।

'आप' में शामिल होने के मौके पर साहनी (68) ने कहा कि वह 'आप' के कार्य से प्रभावित हुए हैं और वह जहां भी जाते हैं उन्हें 'आप' के विकास कार्य सुनने को मिलते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट पाने के मकसद से 'आप' में शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि दिल्ली के विकास की दिशा में काम करने के इरादे से पार्टी में शामिल हो रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि साहनी अपनी टीम के साथ 'आप' में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि 'आप' की शुरुआत एक आंदोलन के तौर पर हुई थी। सत्ता में आने के बाद से हमने क्रांतिकारी काम किए हैं। साहनी 1998 से 2015 तक चांदनी चौक से विधायक रहे। जानकारों का कहना है कि लांबा भी पुरानी कांग्रेसी हैं और ऐसी चर्चा है कि वह अपनी पुरानी पार्टी में वापसी कर सकती हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की, उसके बाद ऐसी चर्चाओं को और हवा मिली है।

उधर दिल्ली कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र कुमार कोचर ने साहनी के पार्टी छोड़कर जाने पर कहा कि कांग्रेस का इतिहास 125 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस दौरान पार्टी ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। समय-समय पर विचारधारा और पार्टी की सोच से प्रभावित होकर लोग पार्टी में शामिल होते हैं। पर पार्टी ने अपनी विचारधारा और अपनी सोच को कभी नहीं बदला। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों का डटकर मुकाबला किया। चाहे कांग्रेस को उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़ी हो। कांग्रेस ने संकट का हमेशा मुकाबला किया है और कठिन परिस्थितियों से भी हम उबरकर बाहर आए हैं।

जल बोर्ड का पानी पीने लायक नहीं : भाजपा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी और विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने रविवार को संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता कर कहा कि दिल्ली जल बोर्ड का पानी पीने लायक नहीं है। पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं होने से बड़ी आबादी पानी खरीदकर पीने को मजबूर है। वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री यह कह कर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बिजली-पानी मुफ्त दिया जा रहा है।

मनोज तिवारी ने कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली का पानी पीने योग्य नहीं है, पानी के जितने भी नमूने जांच के लिए, लिए गए सभी में कमियां पाई गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद ही जल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बावजूद इसके दिल्ली की जनता को पीने के लिए शुद्ध पानी नसीब नहीं हो रहा है। वहीं, विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पीने का पानी भी अगर सरकार न दे पाए तो ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

विद्यार्थियों ने एसओएल में सीबीसीएस लाने के फैसले को नकारा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) में बिना तैयारी और जल्दबाजी में चॉइस-बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) लाने को लेकर रविवार को विद्यार्थियों के बीच एक जनमत संग्रह कराया गया। इसमें अधिकतर विद्यार्थियों ने इस साल से एसओएल में सीबीसीएस लाने के निर्णय के खिलाफ मत दिया। जनमत-संग्रह का फैसला डीयू के उत्तरी परिसर में मौजूद कला संकाय पर डीयू की विद्वत परिषद (एसी) की पूर्व सदस्य और डीयू शिक्षक संघ की कोषाध्यक्ष, डॉ. आभा देव हबीब द्वारा घोषित किया।

इस जनमत संग्रह को एसओएल के विभिन्न अध्ययन केंद्रों पर आयोजित किया गया है जिसमें भारी संख्या विद्यार्थियों में हिस्सेदारी की। क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) की दिल्ली राज्य समिति सदस्य हरीश गौतम ने बताया कि सीबीसीएस

पाठ्यक्रम लाने के बाद से आज तक एसओएल अध्ययन केंद्रों पर हुईं कक्षाओं में भारी अफरा-तफरी व्याप्त रही है। न तो विद्यार्थियों को नए पाठ्यक्रम की जानकारी है और न तो शिक्षकों को ही इस संबंध में कुछ पता है जबकि परीक्षा अगले महीने से होने वाली हैं। केवाईएस ने इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि लाखों विद्यार्थियों का भविष्य खराब होने बचाया जा सके।

जेएनयू : छात्र संघ का छात्रावास के नए नियमों पर विरोध

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्रावास के नियमों को नहीं मानने पर भारी जुर्माने के अलावा विश्वविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है। जेएनयू प्रशासन ने छात्रावास के लिए नई नियावली तैयार की है जिसका मसविदा सुझाव के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किया गया है। नए नियमों का जेएनयू छात्र संघ ने विरोध किया है और प्रशासन पर छात्रावासों को जेल बनाने का आरोप लगाया है।

नए नियमों के तहत छात्रावास में रह रहे विद्यार्थियों को रात 11 बजे या पुस्तकालय बंद होने के आधा घंटे बाद तक अपने छात्रावास में पहुंचना होगा। कोई भी विद्यार्थी निर्धारित समय के बाद छात्रावास में आता है और वह किसी भी तरह की हिंसक घटना में लिप्त पाया जाता है तो उसे छात्रावास से बाहर कर दिया जाएगा। विद्यार्थी यदि पूरी रात अपने छात्रावास से बाहर रहता है तो उसे अपने वार्डन को लिखित में जवाब देना होगा। कोई भी आगंतुक किसी भी विद्यार्थी के छात्रावास में रात 10:30 बजे के बाद नहीं ठहर सकता है। यदि ऐसा होता है तो विद्यार्थी पर 3 से 20 हजार रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। इतना ही नहीं विद्यार्थी को छात्रावास खाली करने के लिए भी कहा जा सकता है।

नए नियमों के तहत विद्यार्थी यदि विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले किसी भी प्रतिनिधि के घर के पास घेराव करते हैं, धरना देते हैं और उनके एकांत में बाधा पहुंचाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के व्यवहार के दोषी पाए जाने पर विद्यार्थी को चार समेस्टर के लिए निष्कासित करने से लेकर विश्वविद्यालय को छोड़कर जाने के लिए कह दिया जाएगा। नए नियमों के तहत अगर विद्यार्थी अपने पहचान पत्र या दस्तावेजों में जालसाजी करता है, विश्वविद्यालय की संपत्ति का नुकसान पहुंचाता है, किसी भी प्रशासनिक भवन के पास धरना देकर उसके आने और जाने के रास्ता रोकता है तो उसके खिलाफ 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही विद्यार्थियों को मिलने वाली सभी सुविधाओं को भी वापस ले लिया जाएगा और उसे दो सेमेस्टर के लिए निष्कासित भी कर दिया जाएगा।

18 अक्तूबर तक देने हैं सुझाव

नए नियमों के मसौदे पर जेएनयू के इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेशन (आइएचए) के अस्सिटेंट रजिस्ट्रार डॉक्टर सज्जन सिंह ने 18 अक्तूबर दोपहर 12 बजे तक सभी से अपने विचार और सुझाव ई-मेल से भेजने को कहा है। सभी विचार और सुझावों को देखने के बाद मसौदे को स्वीकृति दी जाएगी। छात्रावास के नए नियमों के ड्राफ्ट का जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघ ने विरोध किया है। जेएनयू के उपाध्यक्ष साकेत मून ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि विद्यार्थियों पर छात्रावास में नजर रखी जा रही है और यह उनके अधिकारों का उल्लंघन है। विश्वविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है।

रेपको होम फाइनांस लिमिटेड
Repco Home Finance
101, 1 ला तल, 9/1/2, खण्डेलवाल मोटर्स बिल्डिंग, यस बैंक के निकट, एमजी रोड, इन्दौर- 452001

मांग सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

अधोलिखित ऋणधारकों ने रेपको होम फाइनांस लि., इन्दौर शाखा से नीचे वर्णित ऋण प्राप्त किये हैं। नीचे वर्णित ऋणधारक (कॉलम नं. 3) का ऋण नीचे (कॉलम नं. 5) में वर्णित सम्पत्तियों की गिरवी द्वारा प्रतिभूत है। चूंकि वे ऋण अनुबंध के नियमों एवं शर्तों का पालन करने में विफल रहे तथा चूंकि उनका ऋण अनियमित हो गया है, अतः भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त ऋणों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। रेपको होम फाइनांस लि.- इन्दौर शाखा को उनके द्वारा देय राशि (कॉलम न. 4) में वर्णित है। उक्त राशि पर आगे की लागत तथा ब्याज का भी लागू होने वाले रूप में भुगतान किया जायेगा तथा उसकी वसूली उसकी संबंधित तिथियों से की जायेगी।

1	2	3	4	5
नं.	शाखा	ऋणधारक एवं गारन्टरों	भेजी गई 13 (2) सूचना के अनुसार बकाया राशि	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण
	इन्दौर शाखा खाता नं. 1991860000078 तिथि 18.6.2015 रु. 12,00,000/- के लिये (इस राशि में से रु. 10,20,000/- की प्रतिपूर्ति की गई है)	श्री राकेश गुर्जर- ऋणधारक, पुत्र श्री हिराई लाल गुर्जर, एच. नं. एम-26, सिलिकॉन सिटी सेक्टर एम, रोड गार्डन के निकट, राऊ, इन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.)- 452001 साथ हीः प्लॉट नं. 106 (साउथ पार्ट) रामजी वाटिका-II, मिर्जापुर गांव, तहसील, इन्दौर (म.प्र.)- 452001 साथ हीः इन्सर्च मार्केटिंग, नं. 30, प्रभु नगर, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर श्रीमती दीपा गुर्जर- सह-ऋणधारक पत्नी श्री राकेश गुर्जर, एच. नं. एम-26, सिलिकॉन सिटी सेक्टर एम, रोड गार्डन के निकट, राऊ, इन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.)- 452001 साथ हीः प्लॉट नं. 106 (साउथ पार्ट) रामजी वाटिका-II, मिर्जापुर गांव, तहसील, इन्दौर (म.प्र.)- 452001 श्री अनीता पाटीदार- गारन्टर, पत्नी कृष्णा पाटीदार, एच.नं. 1084, द्वारकापुरी, सुदामा नगर, इन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.)-452001 साथ हीः आइडियल मार्केटिंग, 1084, द्वारकापुरी, इन्दौर- 452001	16.8.2019 को रु. 1100151 + ब्याज एवं लागत	प्लॉट नं. 106, रामजी वाटिका- II, ग्राम मिर्जापुर, तहसील एवं जिला इन्दौर, म.प्र., कुल एरिया- 400.00 वर्ग फीट के दक्षिणी भाग में स्थित भूमि एवं भवन का सभी भाग तथा हिस्सा, तथा चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 89, पश्चिमः कॉलोनी रोड, उत्तरः प्लॉट नं. 106 का शेष भाग, दक्षिणः प्लॉट नं. 107
1	2	3	4	5
नं.	शाखा	ऋणधारक एवं गारन्टरों	भेजी गई 13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण
	इन्दौर शाखा खाता नं. 1991860000080 तिथि 24.6.2015 रु. 12,00,000/- के लिये (इस राशि में से रु. 10,20,000/- की प्रतिपूर्ति की गई है)	श्री अनीता पाटीदार- ऋणधारक, पत्नी कृष्णा पाटीदार, एच. नं. 1084, द्वारकापुरी, सुदामा नगर, इन्दौर जिला, इन्दौर (म.प्र.)- 452001 साथ हीः प्लॉट नं. 106 (उत्तर भाग) रामजी वाटिका-II, मिर्जापुर गांव, तहसील, इन्दौर (म.प्र.)- 452001 श्री कृष्णा पाटीदार- सह-ऋणधारक, पुत्र कुंअरजीत पाटीदार, एच. नं. 1084, द्वारकापुरी, सुदामा नगर, इन्दौर जिला, इन्दौर (म.प्र.)- 452001 साथ हीः प्लॉट नं. 106 (उत्तर भाग) रामजी वाटिका-II, मिर्जापुर गांव, तहसील, इन्दौर (म.प्र.)- 452001 श्री राकेश गुर्जर- गारन्टर, पुत्र श्री हिराई लाल गुर्जर, एच. नं. एम-26, सिलिकॉन सिटी, सेक्टर एम, राज गार्डन के निकट, राऊ, इन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.)- 452001 साथ हीः इन्सर्च मार्केटिंग, नं. 30, प्रभु नगर, अन्नपूर्ण रोड, इन्दौर- 452001	16.8.2019 को रु. 1099555/- + ब्याज एवं लागत	प्लॉट नं. 106, रामजी वाटिका- II, ग्राम मिर्जापुर, तहसील एवं जिला इन्दौर, म.प्र., कुल एरिया- 400.00 वर्ग फीट के उत्तरी भाग में स्थित उस पर निर्मित भूमि एवं भवन का सभी भाग तथा हिस्सा तथा चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 89, पश्चिमः कॉलोनी रोड, उत्तरः प्लॉट नं. 105 का शेष भाग, दक्षिणः प्लॉट नं. 106 का शेष भाग
1	2	3	4	5
नं.	शाखा	ऋणधारक एवं गारन्टरों	भेजी गई 13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण
	इन्दौर शाखा खाता नं. 1991890000002 तिथि 30.7.2014 रु. 12,40,000/- के लिये	श्री रवि कदम- ऋणधारक, पुत्र राधेश्याम कदम, एच.नं. 03, शान्ति नगर, महोगांव, तहसील मऊ, जिला इन्दौर (म.प्र.)- 453441 श्रीमती शारदा कदम- सह-ऋणधारक, पत्नी राधेश्याम कदम, एच.नं. 03, शान्ति नगर, महोगांव, तहसील मऊ, जिला इन्दौर (म.प्र.)- 453441 श्री महेन्द्र कवीश्वर- गारन्टर, पुत्र पुर्षोत्तम राव कवीश्वर, एच.नं. 30, दक्षिण शान्ति नगर, महोगांव, तहसील म्हऊ, इन्दौर जिला, इन्दौर (म.प्र.)- 453441 साथ हीः हर्ष कन्स्ट्रक्शन, नं. 30, शान्ति नगर, फ्लोटिंग, म्होगांव, इन्दौर- 453441	27.8.2019 को रु. 9,79,401/- + ब्याज एवं लागत	प्लॉट नं. 91-ए, रॉयल टाउन, म्होगांव, तहसील म्हऊ, जिला इन्दौर, (म.प्र.), माप 1509 वर्ग फीट का सभी भाग तथा हिस्सा, तथा चौहद्दीः पूर्वः अन्य भूमि, पश्चिमः रोड, उत्तरः प्लॉट नं. 90-ए, दक्षिणः प्लॉट नं. 92-ए

ऊपर वर्णित कारणों से हम एतद्द्वारा आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें जिसमें विफल होने पर हम ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हमें उपलब्ध शक्तियों में अन्य बातों के अलावे शामिल हैं:

i) प्रतिभूत परिसम्पत्ति की उगाही के लिये पट्टा, बिक्री के एसाइन्मेन्ट द्वारा अंतरण के अधिकारों सहित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का कब्जा करने की शक्ति।

ii) प्रतिभूत परिसम्पत्ति की उगाही के लिये पट्टा, बिक्री के एसाइन्मेन्ट द्वारा अंतरण के अधिकारों सहित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के प्रबंधन का अधिग्रहण करना तथा हमारे द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति का किसी भी प्रकार का अंतरण अंतरिती को अंतरित प्रतिभूत परिसम्पत्ति के संदर्भ में उसी प्रकार से सभी अधिकार प्रदान करेगा मानो यह अंतरण आपके द्वारा किया गया हो।

हम, आपका ध्यान प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13(8) के प्रति आकृष्ट करते हैं जिसके अनुसार यदि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा अंतरण के लिये निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी समय प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज एवं खर्चे के साथ प्रतिभूत क्रेडीटर के सम्पूर्ण बकाये का भुगतान कर दिया जाता है तो प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के अंतरण अथवा बिक्री के लिये आगे कोई भी कार्रवाई नहीं की जायेगी।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
(सरफैसी अधिनियम 2002)
रेपको होम फाइनांस लि.

स्थानः इन्दौर
तिथिः 28.8.2019

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	32.9 डि.से.	32.9 डि.से.	31.1 डि.से.	33.0 डि.से.
न्यूनतम	21.1 डि.से.	21.1 डि.से.	20.0 डि.से.	21.0 डि.से.

डीटीसी बस ने छह वाहनों को मारी टक्कर, एक की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

मायापुरी थाना क्षेत्र में शनिवार रात अनियंत्रित होकर दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की एक बस ने दो मोटरसाइकिल, दो स्कूटी समेत छह वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में चार लोग घायल हो गए थे। इनमें से शनिवार देर रात सुमित (16) की इलाज के दौरान मौत हो गई। घायलों में से दो को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं, एक घायल का इलाज चल रहा है। पुलिस ने बस चालक अनिल कुमार (42) को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

जानकारी के मुताबिक शनिवार रात करीब 10 बजकर 10 मिनट पर हरिनगर इलाके के सागरपुर की रेड लाइट पर एक डीटीसी की वातानुकुलित बस चालक ने अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल और स्कूटी को टक्कर मार दी थी। हादसे में चार लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें डीडीयू अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पर हादसे की सूचना मिलने के बाद सागरपुर, हरिनगर और मायापुरी थाने की पुलिस काफी समय तक सीमा विवाद में उलझी रही। बताया जा रहा है कि घटना के समय बस दिल्ली कैंट से उत्तम नगर जा रही थी। जब वह सागरपुर के अग्रवाल रेस्टोरेंट के पास रेड लाईट पर पहुंची तो बस अनियंत्रित हो गई और कई वाहनों को कुचलती चली गई।

रिंग रोड पर संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव

दरियागंज थाना क्षेत्र में रिंग रोड पर डिवाइडर के पास रविवार सुबह पुलिस को एक युवक खून से लथपथ हालत में मिला। पुलिस को युवक के पास से कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं, जिससे उसकी शिनाख्त हो सकी है। पुलिस की मानें तो यह अभी साफ नहीं है कि युवक की हत्या हुई या वह किसी हादसे का शिकार हुआ। पर युवक के सीने पर नुकीली चीज से हमला करने के निशान मिले हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि युवक की मौत कैसे हुई। शुरुआती जांच में पुलिस युवक के किसी वाहन से टकराने की आशंका जता रही है। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर युवक के बारे में जानकारी जुटा रही है।

प्लास्टिक के कचरे से तैयार किया रावण का पुतला

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 6 अक्तूबर।

- दशहरा पर जलेगा नहीं, लोगों को करेगा जागरूक
- कारखाने में ईंधन के रूप में होगा एक बार इस्तेमाल योग्य प्लास्टिक से तैयार रावण का पुतला

एकल प्रयोग इस्तेमाल योग्य प्लास्टिक के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम में प्लास्टिक कचरे से एक रावण का पुतला तैयार किया जाएगा, लेकिन दशहरा के दिन इसका दहन नहीं किया जाएगा। इसे सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सीएमए) को सौंपा जाएगा। सीएमए इसका सीमेंट की फैक्ट्री में दहन करेंगे, जहां इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में होगा।

दो अक्तूबर से देश में एक बार इस्तेमाल योग्य प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। शहरवासियों तक इसका संदेश पहुंचाने के लिए स्टेडियम में करीब 20 फीट ऊंचा प्लास्टिक कचरे से रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है। पुतले में सैकड़ों किलो प्लास्टिक का कचरा लगाया जा रहा है। यह वह प्लास्टिक कचरा है, जिसे दो अक्तूबर के बाद लोगों ने इक्टठा किया है। बताया गया है कि प्लास्टिक कचरे से बनने वाला रावण का पुतला सोमवार शाम तक तैयार कर लिया जाएगा। रविवार को इसे रामलीला मैदान में खड़ा किया जाएगा। यह रामलीला और मेला देखने आने वाले हजारों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। पुतला तैयार होने के बाद इसका वजन किया जाएगा, ताकि पता चल सके कि इसमें कितना प्लास्टिक कचरा इस्तेमाल हुआ है। हालांकि स्टेडियम में प्लास्टिक कचरे से तैयार इस पुतले के अलावा 65 फीट ऊंचे रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतलों को भी लगाया जाएगा। रावण वध के साथ इन पुतलों का दहन किया जाएगा। जबकि प्लास्टिक कचरे से तैयार रावण के पुतले को दहन से पहले ही सीमेंट फैक्ट्री भेज दिया जाएगा। इसे ले जाने के लिए वाहन आदि का प्रबंध कर लिया गया है। सीमेंट फैक्ट्री में इसका आरडीएफ में तब्दील कर ईंधन के रूप इस्तेमाल किया जाएगा।

सौ मामलों में शामिल तीन बदमाश गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी में सौ से ज्यादा झपटमारी के आरोप में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। जहांगीरपुरी के रहने वाले राजा, आशु और शेख नसीर छीने हुए मोबाइल फोन को पश्चिम बंगाल में भेजने का काम करते थे और फिर वहां से ये सामान पश्चिम बंगाल भेज दिए जाते थे। चोरी के दो मोटरसाइकिल, दो स्कूटर और 17 छीने हुए मोबाइल फोन आरोपियों के पास से बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि इनके पास से और अधिक मोबाइल फोन बरामद करने के प्रयास जारी हैं। पुलिस उपायुक्त पश्चिम जिला दीपक पुरोहित ने कहा कि क्षेत्र में छीनाझपटी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिसकर्मियों का एक दल बनाया गया था। मायापुरी डिपो पर शनिवार रात में मायापुरी चौक से आ रही गाड़ियों की जांच के लिए तैनात दल ने शाम पांच बजे इन तीन लोगों को गिरफ्तार किया।

घर तोड़ने के फैसले के खिलाफ, किसानों ने किया प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 6 अक्तूबर।

नोएडा के विभिन्न गांवों के किसानों ने रविवार को प्राधिकरण पर शोषण का आरोप लगाते हुए गढ़ी चौखंडी में कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करते हुए पर्थला चौक पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान गढ़ी चौखंडी से पैदल चलकर एफएनजी चौराहे पर पहुंचे और गोल चक्कर के चारों तरफ घूम कर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के दौरान सुखबीर पहलवान ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण किसानों के हक के साथ खिलवाड़ न करे। कई सालों से लोगों के मुआवजे, आबादी के भूखंड और दूसरे मुद्दे अटके हुए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अथॉरिटी उनका निस्तारण नहीं कर रही है। इससे इतर अब वह लोगों के घर तोड़ने पर आमादा हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर प्राधिकरण किसानों के मुद्दों का निस्तारण नहीं कर सकती तो उसे इस तरह की कार्यवाही करने का भी कोई अधिकार नहीं है। पहले प्राधिकरण यह बताए किस कानून के तहत आबादी की जमीन पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं, किसानों के आंदोलन में पहुंचे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव ने कहा कि किसानों ने करीब आठ- दस महीने पहले भी प्राधिकरण पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया था। उस दौरान कई आश्वासन दिए गए थे। किसानों की सबसे बड़ी मांग है कि प्राधिकरण ने गावों की आबादी की जमीन पर किस आधार और कानून के तहत अपना नाम दर्ज कर लिया। प्रदर्शन के बाद किसानों को दिए आश्वासन पर प्राधिकरण ने चुप्पी साध ली है। बगैर कोई जवाब दिए प्राधिकरण हमारे घर गिराने की कार्यवाही करने जा रही है। इसी के चलते गढ़ी चौखंडी में किसानों का धरना चल रहा है।

खान मार्केट में 'नो प्लास्टिक ड्राइव' का आयोजन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

यूनाइटेड स्पोर्ट्स फेडरेशन की ओर से रविवार को 'नो प्लास्टिक ड्राइव' व फिट इंडिया अभियान का आयोजन खान मार्केट में किया गया। यह कार्यक्रम एनडीएमसी, एसोचैम, दिल्ली पुलिस, साफ्टा ग्रुप व वास्टाडा कंसल्टिंग के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम के दौरान दौलत राम, एआरएसडी कॉलेज के बच्चों ने मिलकर फ्लैग जुलूस निकाला। इसमें एनडीएमसी के एमओएस डॉ रमेश कुमार, सीएमओ डॉ आरएन सिंह, डॉ शकुंतला श्रीवास्तव, निदेशक स्वच्छता अभियान, एसोचैम के एसोसिएट सेक्रेटरी जनरल अजय शर्मा आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में फिटनेस अभियान के तहत योग गुरु टाटा ने सभी को फिट रहने के लिए योग के गुर सिखाए। डॉ रमेश कुमार ने बताया कि एकल उपयोग प्लास्टिक को बैन करने की शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि एनडीएमसी की ओर से कई तरह के स्टाल जगह-जगह पर लगाए गए हैं जिसमें प्लास्टिक लाओ और झोला पाओ का अभियान चल रहा है।

विदेशी इनामी महिला तस्कर गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अदालत से जमानत मिलने के बाद से फरार चल रही महिला तस्कर को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। विदेशी महिला की पहचान मरियम उर्फ मावेक (36) के तौर पर हुई है। वह शादीशुदा है और उसकी दो बेटियां हैं, जो केन्या में ही रहती हैं। दिल्ली पुलिस ने इससे पहले भी मरियम को दो अन्य महिला तस्करों के साथ गिरफ्तार किया था। पर बाद में अदालत ने उसे जमानत दे दी थी, जिसके बाद वह मुंबई में जाकर छुप गई और वहां पर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फिर से तस्करी की वारदात को अंजाम देने लगी। पुलिस ने बताया कि मरियम पर 50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। फिलहाल इससे पूछताछ कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

स्पेशल सेल के उपायुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि बीते दिनों टीम को सूचना मिली थी कि दिल्ली से फरार होने वाली महिला तस्कर मुंबई के घनी आबादी वाले इलाके में छुपी हुई है और फिर से मादक पदार्थों की तस्करी को अंजाम देने लगी है। सूचना के आधार पर स्पेशल सेल की एक टीम को मुंबई रवाना किया गया। टीम ने सूचना के आधार पर बीती शनिवार को आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मरियम ने बताया कि वह साल 2016 में भारत पर्यटक वीजा पर तीन महीने के लिए आई थी। वह अपने एक सहयोगी की मदद से वह काम करने लगी। इसी दौरान इसकी मुलाकात एक केन्या के रहने वाले तस्कर से हुई, जो कि दिल्ली से पंजाब में हेरोइन की तस्करी करता था। बाद में मरियम ने अपना गिरोह बना लिया और तस्करी की वारदात को अंजाम देने लगी।

पुलिस ने बताया कि अपना गिरोह बनाने के बाद मरियम काफी कम समय में दिल्ली-एनसीआर के अलावा पंजाब, हरियाणा और मुंबई में मादक पदार्थों की तस्करी करने लगी। पर साल 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मरियम को दो अन्य महिलाओं के साथ गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर 2.5 ग्राम हेरोइन जब्त किया, जिसके बाद उसे जेल में भेज दिया गया था। पर इसी साल सात जनवरी को उसे जमानत दे दी गई, जिसके बाद वह दिल्ली छोड़ मुंबई पहुंच गई और एक अनजान जगह पर अपना ठिकाना बना लिया। वह करीब दो महीने पहले मुंबई पहुंची थी। पुलिस ने बताया कि वह फिर से तस्करी करने लगी थी।

लूटपाट का आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके एक झपटमार और लूटेरे को गिरफ्तार किया है। लूटेरे की पहचान सुल्तानुपरी निवासी ऋषभ उर्फ अम्मा (22) के तौर पर हुई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इसकी निशानदेही पर एक पिस्तौल और तीन कारतूस जब्त किए हैं।

ऋषभ ने बीती आठ अगस्त को निठारी गांव में एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में घुसकर लूटपाट की थी। विरोध करने पर उसने चाकू घोंप डीलर की हत्या कर दी और दफ्तर से करीब दो लाख 70 हजार रुपए लूट कर फरार हो गया था। उसके बाद से पुलिस को इसकी तलाश थी। छानबीन करने पर पुलिस को पता चला है कि आरोपी पर 12 लूटपाट और झपटमारी के मामले दर्ज थे। आरोपी सुल्तानपुरी और रोहिणी में पुलिस के लिए सिरदर्द बना गया था। फिलहाल पूछताछ कर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

पूछताछ में ऋषभ ने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के बाद वह अपने सहयोगियों के साथ पहले तो हरिद्वार गया, जहां उसने रुपए का बंटवारा किया। कुछ दिन रुकने के बाद वह गोवा चला गया। वहां मौजमस्ती करने के बाद वह दिल्ली लौट आया। इस बीच आरोपी दिल्ली-एनसीआर के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुरुग्राम में भी झपटमारी और लूटपाट की वारदात को अंजाम देता रहा। उसके खिलाफ लूटपाट के अलावा 12 झपटमारी के मामले भी दर्ज हैं।

त्योहारी मौसम में यातायात मुस्तैदी के लिए टीम तैनात

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

चालान काटने के लिए 300 और यातायात व्यवस्थित करने के लिए 350 टीमें बनाई गई हैं

नवरात्र महोत्सव, दशहरा और रावण दहन के दौरान दिल्ली की यातायात व्यवस्था मुस्तैद करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस की कई टीम तैनात की गई हैं। चालान काटने के लिए 300 और यातायात व्यवस्थित करने के लिए 350 टीमें बनाई गई हैं। सुबह और शाम के समय यातायात पुलिस की विशेष टीमें तैनात की गई हैं। यातायात पुलिस की दोनों टीमें भीड़भाड़ वाले इलाके में तैनात की गई हैं ताकि यातायात में किसी को परेशानी नहीं हो।

यातायात पुलिस के संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि यातायात पुलिस की सड़कों पर तैनात टीमें मोटरवाहन अधिनियम और नियमों की अनदेखी करने वालों की धरपकड़ में भी सहयोग करेगें। यह सब कुछ इसलिए किया गया है ताकि आम लोगों को पर्व त्योहार के दौरान यातायात में व्यवधान सामने न आ पाए। दुर्गा पूजा पंडाल, मेला और बाजारों में विशेष टीमें तैनात की गई हैं। दिल्ली यातायात पुलिस का रोड सेफ्टी सेल इस बाबत स्कूल, कॉलेज, एनसीसी कैडेटस, टैक्सी चालकों, आरडब्लूए और अन्य चालकों में जागरूकता अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन पर बल दिया है। सड़क पर लोगों को यातायात के मामले में सुरक्षा का भान रहे और उसे किसी भी तरह की कठिनाई नहीं आए। अलबत्ता अलग-अलग टीमें बनाने का फैसला किया गया। इस समय मोटर वाहन अधिनियम की सख्ती दिल्ली और एनसीआर में जरूरी हैं और जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करते पाए जाएंगे उसे नियम के मुताबिक जुर्माना और चालान भरना पड़ेगा। इसके अलावा पुलिस ने सभी भीड़भाड़ वाली जगहों पर टीमें तैनात कर चालान और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए स्थानीय लोगों से भी सहयोग की अपील की है।

हथियार तस्कर गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह दिल्ली-एनसीआर में हथियारों की तस्करी के लिए कई गिरोह के संपर्क में था। तस्कर की पहचान अजय गौतम (38) के तौर पर हुई है। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने दो पिस्तौल और 10 कारतूस जब्त किए हैं। तस्कर पर 50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। पूछताछ में पता चला कि आरोपी पिछले पांच साल से हथियारों की तस्करी की वारदात को अंजाम दे रहा था। वह मध्य प्रदेश से हथियार लाकर पहले मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में स्टोर करता था।

दिल्ली मेरी दिल्ली

बाहर का रास्ता

दो भाजपा नेताओं के घर के बवाल ने पार्टी को उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने को मजबूर कर दिया है। यह फैसला पार्टी की बदनामी के बाद हुआ है। इस पूरे मामले में घर की लड़ाई पार्टी की बैठक तक पहुंच गई थी। इस वजह से अब ये दोनों ही नेता न तो पार्टी के रहे और न ही घर के।

श्रेय लेने की होड़

विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने केंद्रीय स्तर पर बदलाव कर दिया है। इन बदलावों के बाद भी भाजपा नेताओं में श्रेय लेने की होड़ खत्म नहीं हो रही है। इस दौड़ में दो नेता आज तक सिर्फ इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि वे लगातार तरह-तरह की गतिविधियां कर पार्टी के नेताओं व मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। वहीं, पार्टी प्रमुख नेता इस दौड़ में पीछे होते जा रहे हैं। ये समीकरण केंद्रीय स्तर पर हुए बदलावों के बाद मीडिया गतिविधियों से देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी में अन्य नेता आजकल केवल चुप्पी साधे हुए हैं।

गड्ढा मुक्त सड़क योजना

दिल्ली में पीडब्लूडी के अधीन आने वाली सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की योजना की चर्चा बीते दिनों दक्षिण दिल्ली के गोविंदपुरी में कुछ अलग ढंग से होती दिखी। सुबह सैर को निकले लोगों की निगाहें इलाके के विधायक की गोविंदपुरी गली नंबर पांच स्थित मकान के सामने की सड़क पर जैसे पड़ी वे अपने बगलगीर के साथियों से पूछ पड़े। लगता है सरकार की गड्ढा मुक्त सड़क योजना लागू हो चुकी है। दरअसल यहां की ज्यादातर गलियों की सड़कें गड्ढों से भरी हैं, लेकिन इलाके के विधायक के सामने की सड़क पर मौजूद गड्ढा भर दिया गया था। बाकि सड़कें अपने पहले के हालात में थीं। दूसरे साथी ने भी टिप्पणी सटीक की, कहा-पार्टी भले आम आदमी की है लेकिन विधायक के सामने वाली सड़क पहले गड्ढा मुक्त होगी। साथ वाले परचून के दुकान से आवाज आई- 'विधायकजी के सामने का गड्ढा आज ही भरा है', जल्द ही पीडब्लूडी वाली 1260 किलोमीटर लंबी सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। पता चला आवाज देने वाले सज्जन विधायकजी के खास लोगों वालों में से एक थे।

निगम में तू और मैं

हमदर्दी दिखाने में भी दिल्ली नगर निगम में पहले तू पहले मैं की राजनीति बाज नहीं आती। बीते सप्ताह आप के कुछ पार्षदों को उसके कथित आचरण के नाम पर मेयर ने 15 दिनों के लिए सदन से निष्कासित कर दिया। विरोध-प्रदर्शन तो होना ही था। हुआ भी लेकिन तीन दिन बाद ही जब दोबारा बैठक हुई तो कांग्रेस और भाजपा में ही सिर फुटोव्वल शुरू हो गया कि आप के निष्कासित पार्षदों को भी बुलाना चाहिए।

बैठक से पहले हंगामा हुआ और कांग्रेस के मुकेश गोयल ने मेयर को दिल बड़ा करने की अपील करते हुए निष्कासित पार्षदों को बिना मांफी मांगे अंदर आने देने की अपील की तो भाजपा के स्थायी समिति के अध्यक्ष ने भी हामी भर दी और मांफी पर अड़े मेयर ने भी बिना मांफी मांगे सभी पार्षदों को अंदर बुला लिया। तभी सदन में चर्चा शुरू हो गई कि निगम में तू और मैं का खेल पता नहीं खत्म होगा।

मेले में प्लास्टिक

एकल इस्तेमाल योग्य प्लास्टिक पर रोक की सख्ती का अभियान दो अक्तूबर के आसपास ही सिमट कर रह गया है। पॉलीथीन के इस्तेमाल पर रोक का दावा कर नोएडा में आयोजित होने वाले तकरीबन सभी रामलीला समितियों ने इस रोक को प्रभावी ढंग से लागू करने का जोर-शोर से प्रचार भी किया था। प्लास्टिक या पॉलीथीन के प्रयोग पर निगरानी रखने के लिए कमेटी बनाने की भी घोषणा की गई थी। अलबत्ता लोगों की भीड़ और मेले की गहमागहमी के बीच यह रोक प्रभावी नहीं रही है। मेलों में सबसे ज्यादा बिकने वाले पॉपकार्न की बिक्री पॉलीथीन की थैलियों में जमकर हो रही है। इसके अलावा चाऊमीन, चाट की स्टॉल/ ठेलों पर प्लास्टिक के कांटे और चम्मचों का प्रयोग हो रहा है। कुछ जगहों पर एकल इस्तेमाल योग्य पानी के गिलास तक मिलने की शिकायतें भी पदाधिकारियों से की गई हैं लेकिन उनके इस्तेमाल पर अंकुश नहीं लग सका है।

नए कानून से डर

नया मोटर वाहन (संशोधन) कानून लागू होने के बाद दिल्ली की सड़कों पर आम लोगों के साथ-साथ दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के बीच भी डर का भाव पैदा हो गया है। पहले बेधड़क बिना हेल्मेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाते हुए दिल्ली पुलिस के जवान दिख जाते थे। वाहनों पर पुलिस लिखा होता था या फिर स्टीकर लगा होता था। इस कारण यातायात पुलिसकर्मी भी हाथ नहीं देते थे, लेकिन नए कानून का डर इस कदर ऐसे पुलिसकर्मियों को डराने लगा है। अब वे चालान के डर से हेल्मेट पहने हुए दिखाई दे देते थे। कई बार तो देखा गया था कि पुलिसकर्मी विभाग की टोपी लगाकर फर्राटे भरते हुए दिखाए देते थे, लेकिन अब वे भी हेल्मेट में पहने हुए नजर आने लगे हैं। इस संबंध में एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि जो काम विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी आदेश देकर नहीं करवा पाए। एक नए कानून ने बस को सुधार दिया, जबकि पहले विभाग की बात कह कर छूट जाया करते थे।

-बेदिल

गाड़ियों के शीशे तोड़ करते थे चोरी, गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

गुलेल मारकर गाड़ियों के शीशे तोड़ उसमें रखे बहुमूल्य सामान उड़ाने वाले एक बड़े गिरोह का दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। गिरोह के तीन सदस्यों अंकित, जाकिर और नसरुद्दीन को गिरफ्तार कर उनके पास से एक गुलेल, लैपटाप, एपल आई पैड, स्मार्ट फोन के साथ आपराधिक वारदातों में इस्तेमाल करने वाले ऑटो तिपहिया भी बरामद की गई है। गिरफ्तारी के बाद चोरी के आठ मामले का खुलासा भी कर लिया गया है।

जिले के पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिश्वाल ने बताया कि गाजियाबाद के शास्त्री नगर के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुल प्रह्लादपुर थाने में शुक्रवार को शिकायत की थी कि सूरजकुंड रोड पर स्थित सीएनजी पंप के पास उसने अपनी कार पार्किंग की थी। गाड़ी खड़ी कर वह बाजार गए थे। वापस लौटने के बाद देखा कि कार के शीशे टूटे हुए हैं और कार में रखा लैपटाप, आई पैड और मोबाइल के साथ कुछ अन्य कागजात गायब हैं। तुरंत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। उपायुक्त के मुताबिक महरौली बदरपुर रोड और सूरजकुंड बार्डर रोड पर टीमें तैनात की गईं। काया माया पुलिस पीकेट्स पर एक ऑटो को बदरपुर बॉर्डर की तरफ से आते देखा गया। ऑटो संगम विहार की तरफ जा रहा था।

पर्यटन पर्व देखने पहुंचे ढाई लाख लोग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

'पर्यटन पर्व 2019' रविवार को समाप्त हो गया। पांच दिनों तक चले इस कार्यक्रम में राजपथ पर सभी राज्यों की संस्कृति से लेकर खानपान का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। पर्यटन पर्व का यह तीसरा संस्करण था और इस पर्व का संदेश 'अपना देश देखो' है। इस साल यह पर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को समर्पित था। इस पर्व को देखने करीब ढाई लाख लोग पहुंचे।

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने यहां अपने स्टॉल लगाए थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का गांधी पर आधारित डिजिटल मंडल सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। यहां आगंतुकों ने आभासी महात्मा गांधी के साथ डांडी मार्च किया और नमक उठाया। यहां पर विभिन्न राज्यों के विभिन्न व्यंजन उपलब्ध थे।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

बिड़ला मंदिर प्रबंध समिति : भगवत कथा, गीता भवन, मंदिर परिसर, मंदिर मार्ग, सुबह सात बजे से।

प्रदर्शनी

ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसायटी : डॉ जूही शुक्ला की कला प्रदर्शनी, सोसायटी परिसर, 1, रफी मार्ग, सुबह 11 बजे से।

epaper.jansatta.com

दलित नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल, तीन आरोपी गिरफ्तार

चार नामजद आरोपियों में से एक फरार

जयपुर, 6 अक्तूबर (भाषा)।

राजस्थान के करौली जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक दलित नाबालिग छात्रा के रिश्तेदार के साथ मारपीट कर छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने रविवार को बताया कि कोटे गांव की दलित नाबालिग छात्रा के रिश्तेदार के साथ मारपीट कर उसके साथ छेड़छाड़ का वीडियो शनिवार को वायरल होने के बाद पीड़िता के भाई की ओर से चार आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया गया। दर्ज शिकायत के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में शामिल एक नाबालिग आरोपी की तलाश की जा रही है।

उन्होंने बताया कि घटना एक पखवाड़े पहले की है जब छात्रा अपने ममेरे भाई के साथ मंदिर जा रही थी। आरोपियों ने रास्ते में रोककर लड़के के साथ मारपीट की और छात्रा के साथ कथित रूप से छेड़खानी कर उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।

थानाधिकारी विजय सिंह ने बताया कि पीड़िता के भाई की ओर से दर्ज मामले में चार नामजद आरोपियों में से तीन आरोपियों, रघुवीर माली (35), पिंटू माली (22) और महेश माली (21) को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि फरार नाबालिग आरोपी की तलाश की जा रही है।उन्होंने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी), पोक्सो अधिनियम और अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पोकर में 78 लाख हारने के बाद व्यक्ति ने आत्महत्या की

राजकोट, 6 अक्तूबर (भाषा)।

गुजरात के राजकोट जिले में ऑनलाइन पोकर खेलकर 78 लाख रुपए हारने के बाद एक व्यक्ति ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

कृणाल मेहता (39) ने बुधवार रात जिले के मोटा मावा इलाके में कुएं में कूदकर जान दे दी। राजकोट तालुका पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि उसका शव अगली सुबह कुएं में तैरता हुआ मिला। पुलिस निरीक्षक विक्रम बंजारा ने कहा, 'हमारी जांच में खुलासा हुआ है कि उसने अपने मोबाइल फोन पर पोकर खेलने में 78 लाख रुपर हारने के बाद यह जानलेवा कदम उठाया।' उन्होंने कहा, 'हमें उसके घर से सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने कथित रूप से कहा कि उसने अपने मित्रों और संबंधियों से पोकरबाजी खेलने के लिए 78 लाख रुपये उधार लिए थे।' मेहता एक आइटी कंपनी में काम करता था और अकसर पोकर खेलने के लिए पैसा उधार लेता था, जिसमें वह लगातार बड़ी रकम हार चुका था। वंजारा ने कहा, 'उसने मोबाइल गेम के ऐप पर अपने बैंक खाते की जानकारी साझा कर रखी थी।

कैन फिन होम्स लिमिटेड
एससीओ-34 एवं 35, प्रथम तल, केनरा बैंक के ऊपर, सेक्टर-10ए, गुरुग्राम, दूरभाष : 0124-2370035, 2370760
सीआईएन : L85110KA1987TLC008699

प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण" की धारा 13(2) के तहत आप सं. 1 एवं 2 ने आप सं. 1 से 2 से सम्बद्ध निम्नलिखित आस्ति/यों के गिरवीकरण की प्रतिभूति के विरुद्ध हमारी शाखा से आवासीय ऋण लिया था। इसकी सूची के अनुसार निम्नलिखित राशियाँ 1.9.2019 तक अनुबन्ध दरों पर भावी ब्याज तथा अन्य प्रभारों सहित कैन फिन होम्स लिमिटेड की ओर बकाया हैं।

माँग सूचना

क्रम सं.	कर्जदार/जमानती/गिरवीकर्ता का नाम तथा पता	अब तक 13(2) सूचना की माँग राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण
1.	श्री शैलेन्द्र प्रकाश (कर्जदार) पुत्र स्व. रामदेव राम, श्रीमती बीना देवी (सह-आवेदक) पत्नी-शैलेन्द्र प्रकाश, म.नं. 2211/40सी दबुआ कॉलोनी, फरीदाबाद-121001 हरियाणा श्री मानवेन्द्र नरयाब शुक्ला (जमानती) पुत्र सूर्य प्रसाद शुक्ला, म.नं. 303, सद्भावना अपार्टमेंट, सेक्टर-46, फरीदाबाद-121010	रु. 1032197.00	म.नं. 2211/40सी दबुआ कॉलोनी, फरीदाबाद-121001 हरियाणा। तथा जिसकी सीमा निम्नलिखित है। सम्पत्ति की सीमाएँ निम्नलिखित हैं : उत्तर : सड़क, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति, पूर्व : सम्पत्ति का कोई भाग नहीं, पश्चिम : सम्पत्ति का भाग
2.	श्री अमरदीप (कर्जदार) पुत्र भरपूर सिंह जाखड़, श्री भरपूर सिंह जाखड़ (सह-आवेदक) पुत्र चतर सिंह म.नं. 470/210 (पुराना नं. 1406) खसरा नं. 6422/3341/434/1, सामने दौलताबाद फ्लाईओवर लक्ष्मण विहार, गुरुग्राम-122001 श्री रवीन्द्र सिंह (जमानती) पुत्र हंसराज सिंह, म.नं. 20, गली नं. 15ए, अशोक विहार, फेज-3, गुरुग्राम-122001	रु. 20,29,652.00	म.नं. 470/210 (पुराना नं. 1406) खसरा नं. 6422/3341/434/1, सामने दौलताबाद फ्लाईओवर लक्ष्मण विहार, गुरुग्राम-122001, और सीमाएँ निम्नलिखित हैं। सम्पत्ति की सीमाएँ निम्नलिखित हैं : उत्तर : ओमप्रकाश की सम्पत्ति, दक्षिण : पवन मेहरा की सम्पत्ति, पूर्व : अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम : सड़क।

आप सं. 1 एवं 2 के पास सरफाएशी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत माँग सूचना भेजी गयी थी किन्तु दोनों सूचनाएँ बैरंग वापस कर दी गयीं। अतः इस समाचार-पत्र में प्रकाशन किया है। चूँकि आप अनुमोदन की शर्तों का पालन करने में असफल रहे हैं अतः एनएचबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार खाते को गैर-निष्पादन आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एतद्द्वारा आपको 01.09.2019 से ब्याज की अनुबन्ध दरों सहित कथित राशि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि के 60 दिनों के भीतर जमा करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी उपर्युक्त प्रतिभूति को प्रवर्तित करने के लिए सरफाएशी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा।

दिनांक : 07.10.19 स्थान : गुरुग्राम ह./- अधिकृत प्राधिकारी, कैन फिन होम्स लिमिटेड

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का साथी वसूली के आरोप में गिरफ्तार

मुंबई, 6 अक्तूबर (भाषा)।

भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के एक कथित सहयोगी को मुंबई में एक कारोबारी से पांच लाख रुपए की वसूली का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि रियाज भाटी (50) को अपराध शाखा की यूनिट-एक ने दक्षिण मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट इलाके से शुक्रवार को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी इस साल जून में जुहू पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई।

अधिकारी ने कहा कि गोरेगांव के शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि भाटी उसका कारोबारी साझेदार था, जिसने साझेदारी तोड़ने के बाद अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के नाम पर उससे पैसा मांगना शुरू कर दिया था।यूनिट-1 के वरिष्ठ निरीक्षक विनायक मेर ने कहा कि भाटी को भारतीय दंड संहिता की धारा 384 (वसूली) के तहत गिरफ्तार किया गया और उसे नौ अक्तूबर तक पुलिस की हिरासत में रखा जाएगा।

एक अधिकारी ने बताया कि भाटी को इस साल जुलाई में पुलिस के वसूली रोधी प्रकोष्ठ ने मुंबई क्रिकेट संघ की सदस्यता हासिल करने के लिए कथित तौर पर जाली हस्ताक्षर करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अगस्त में भाटी और उसके भाई के खिलाफ अंबोली थाने में वसूली का एक मामला दर्ज किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि वह खंडाला में गोलीबारी की दो घटनाओं और मलाड में जमीन कब्जाने के मामले में भी आरोपी है।

13 पुलिसकर्मी किए गए निलंबित

किशनगंज, 7 अक्तूबर (भाषा)

बिहार के किशनगंज में कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में 13 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने रविवार को बताया कि निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में दो अवर सहायक निरीक्षक स्तर के पुलिसकर्मी शामिल हैं। इन पुलिसकर्मियों को दुर्गा पूजा के मद्देनजर छुट्टी रद्द किए जाने के बावजूद ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होने के मामले में शनिवार देर शाम निलंबित कर दिया।

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
VASTU HOUSING FINANCE
इकाई 203 एवं 204, द्वितीय तल, 'ए' विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सेवरी (पश्चिम), मुम्बई 400015. महाराष्ट्र, सीआईएन नं.: U65922MH2005PLC272501

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार/रों श्री मोहम्मद सिराजुद्दीन सैफी, श्रीमती शबाना बेगम तथा निजामुद्दीन पीपी (जमानती) से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर माँग सूचना में उल्लिखित राशि रु. 16,20,000/ (रुपये सोलह लाख बीस हजार मात्र) का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 11.06.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

ऋणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण विशेष रूप से ऋणकर्ता, जमानती तथा जनसामान्य को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर 25 सितम्बर, 2019 को कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता तथा जमानती और जनसामान्य को एतद्द्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन रु. 16,20,000/- (रुपये सोलह लाख बीस हजार मात्र) तथा उस पर ब्याज और लागतों आदि के लिए वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अभियोग का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट सं. 108, 109, 110, 120, 121 तथा 122 ग्राम समवाली परगना एवं तहसील सिकन्दराबाद, सब्जी मण्डी-203202 का सम्पूर्ण भाग
सीमाएँ निम्नवत हैं : पूर्व : अन्य का प्लॉट, पश्चिम : अन्य का प्लॉट, उत्तर : सड़क (20 फीट), दक्षिण : सड़क (20 फीट)

तिथि : 07.10.2019 अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : गाजियाबाद वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

राजनीति में कुछ भी संभव है : सावंत

पणजी, 6 अक्तूबर (भाषा)।

गोवा में कांग्रेस के 10 विधायकों के सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होने के लगभग तीन महीने बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने और अधिक विपक्षी नेताओं के पार्टी में शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया है।

सावंत ने शनिवार को यहां कांग्रेस विधायक एलेक्सियो रेजिनाल्डो लॉरेंसो के 50वें जन्मदिवस समारोह में कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। जन्मदिवस समारोह के दौरान गोवा के बंदरगाह मंत्री माइकल लोबो ने दावा किया कि लॉरेंसो निकट भविष्य में राज्य के उपमुख्यमंत्री बन सकते हैं। सावंत ने बाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस संभावना से इनकार नहीं किया कि लॉरेंसो निकट भविष्य में भाजपा में शामिल हो सकते हैं।

उन्होंने कहा, 'लॉरेंसो विपक्ष में अच्छा काम कर रहे हैं। वह अच्छा प्रशासन देने में हमारी मदद कर रहे हैं क्योंकि (लोकतांत्रिक व्यवस्था में) अच्छा विपक्ष जरूरी होता है।' लॉरेंसो को उपमुख्यमंत्री बनाने के लोबो के दावे के बारे में पूछे जाने पर सावंत ने कहा, 'राजनीति में कुछ भी संभव है, जो आप नहीं जानते। मैंने कहा कुछ भी संभव है।' हालांकि कोर्टोरिम से विधायक लॉरेंसो गोवा विधानसभा में कई मौकों पर भाजपा नीत सरकार की आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी में जाने की बात से भी इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर जाने की मेरी कोई योजना नहीं है। गौरतलब है कि जुलाई में कांग्रेस के दस विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे, जिससे विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या 15 से घटकर पांच रह गई थी। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में भाजपा के फिलहाल 27 विधायक हैं।

ठाणे के जंगलों में बनेंगे 5,000 तालाब

ठाणे (महाराष्ट्र), 6 अक्तूबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पेयजल आपूर्ति तथा सिंचाई के लिए जल मुहैया कराने के लिये अगले तीन महीने में करीब 5,000 वन तालाब बनाए जाएंगे। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

Court Notice
In the court of : sh. Gurdarshan singh JMIC ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other
Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR No. PBLD03-010960-2017
Next Date: 08-11-2019
KOTAK MAHINDRA BANK
V/S
PAPPAN KUMAR
Notice to: PAPPAN KUMAR R/O H.NO. 70C-BLOCK OPP KENDRIYAN VIHAR VILL HOSHIYARPUR SEC-51 NOIDA 201301UP
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused//accused person can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procrdure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 08-11-2019 at 10.00 a.m or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence.
For details logon to
https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
GURDARSHAN SINGH,PCS
JMIC, LUDHIANA
DATED THIS DAY OF 24-09-2019

Court Notice
In the court of : sh. Gurdarshan singh JMIC ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgments as well as other
Case information is available on http://ecourts.gov.in
CNR No. PBLD03-010947-2017
Next Date: 08-11-2019
KOTAK MAHINDRA BANK
V/S
JAVED MIAN
Notice to: JAVED MIAN @JAVED MIYAN R/O H.NO. 1106 SHAHABAD BAREILLY-243003 U.P
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused//accused person can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procrdure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 08-11-2019 at 10.00 a.m or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence.
For details logon to
https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
GURDARSHAN SINGH,PCS
JMIC, LUDHIANA

प्रपत्र सं. यूआरसी-2
अध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के विषय में सूचना देने का विज्ञापन (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) तथाकम्पनी (पंजीकरण हेतु अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार)

1. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उपधारा (2) के अनुसार अबसे पन्द्रह दिनों के पश्चात किन्तु इसके पश्चात तीस दिनों की समाप्ति से पूर्व रा.रा.क्षे. दिल्ली में रजिस्ट्रार के पास एक आवेदन भेजना प्रस्तावित है कि मैसर्स नेक्टवर्क फूड्स एलएलपी जो की सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अधीन पंजीकृत है, उसे अध्याय XXI के भाग I, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत शेयरों द्वारा मर्यादित कंपनी की तरह पंजीकृत किया जाए।
2. कम्पनी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :
   1. भारत या कहीं अन्यत्र ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदने, बेचने, पुनः बिक्री करने, आयात, निर्यात, प्रसंस्करण, परिवहन, भण्डारण, विकास, प्रोत्साहन, विपणन अथवा आपूर्ति, व्यापार, खाद्य उत्पादों में किसी भी रीति से व्यापार करने, प्रमुख रूप से शहद का खुदरा तथा थोक व्यापार करना।
   2. विभिन्न मालों, सेवाओं तथा व्यापारिक कार्यों के एक्जिबिटर के रूप में तथा माल, सेवाओं के विक्रय को प्रोत्साहित करने की आवश्यक गतिविधियाँ और कम्पनी द्वारा निर्मित/ संव्यवहरित/ प्रावधानित उत्पादों का व्यापार करना।
3. प्रारूपिक ज्ञापन पत्र तथा कम्पनी के प्रस्तावित संघ के अन्तर्नियमों की एक प्रति कार्यालय 6/2, इण्डस्ट्रियल एरिया, डब्ल्यू.एच.एस. कीर्ति नगर, नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली-110008 पर निरीक्षित की जाये।
4. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इस आवेदन के प्रति आपत्ति रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति रजिस्ट्रार तथा केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट सं. 6, 7, 8, सेक्टर-5, आईएमटी, मानेसर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) पिन-122050 के पास लिखित रूप में इस सूचना की प्राप्ति की तिथि के इक्कीस दिनों के भीतर और एक प्रति कम्पनी के पंजीकृत पते पर भेज सकता है।

दिनांक : 7 अक्टूबर, 2019
आवेदक के नाम :
1. जिगर हसमुख मेहता (प्रस्तावित निदेशक)
2. पारस रमेश फतनानी (प्रस्तावित निदेशक)

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नई दिल्ली बेंच-III, नई दिल्ली के समक्ष
(मूल क्षेत्राधिकार)
कम्पनी याचिका सं. 2019 का सीपी (सीएए) 116 (एनडी)
के सम्बंधित
कम्पनी आवेदन पत्र सं. 2019 का सीए (सीएए) 98 (एनडी)
कम्पनी अधिनियम 2013 (18 ऑफ 2013) के मामले में, धारा 230 एवं 232
और
समामेलन की योजना के मामले में
और
निम्न मामले में

शिवानी बिल्डटेक लिमिटेड
(यह कम्पनी कम्पनीज अधिनियम 1956 के प्रावधानो के अन्तर्गत स्थापित है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय सी-112, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली - 110024 में स्थित है।)
याचिकाकर्ता सं. 1/अंतरणकर्ता कम्पनी सं. 1
और
सक्षम अप्पेरेल्स लिमिटेड
(यह कम्पनी कम्पनीज अधिनियम 1956 के प्रावधानो के अन्तर्गत स्थापित है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय सी-112, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली - 110024 में स्थित है।)
याचिकाकर्ता सं. 2/अंतरणकर्ता कम्पनी सं. 2
और
ग्रीनवायर टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
याचिकाकर्ता सं. 3/अंतरिती कम्पनी
(यह कम्पनी कम्पनीज अधिनियम 1956 के प्रावधानो के अन्तर्गत स्थापित है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय जे-59, बी के दत्त कॉलोनी, जोर बाग के सामने, नई दिल्ली-110003 में स्थित है।)

याचिका की सुनवाई की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 30 जुलाई, 2019 को उपरोक्त नाम के याचिकाकर्ता द्वारा ग्रीनवायर टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के साथ शिवानी बिल्डटेक लिमिटेड, और सक्षम अप्पेरेल्स लिमिटेड के समामेलन की योजना हेतु मंजूरी प्राप्त करने के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धाराओं 232 और 230, के अधिनस्थ एक याचिका प्रस्तुत की गई थी और कथित याचिका 18 नवम्बर, 2019 को प्रातः 10.30 बजे माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली बेंच, (कोर्ट नम्बर 3) ब्लॉक नम्बर 3, ग्राउंड, 6 वीं, 7 वीं और 8 वीं मंजिल, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 के समक्ष सुनवाई हेतु निर्धारित है।

यदि कोई व्यक्ति याचिका के सहयोग अथवा विरोध हेतु इच्छुक है तो वह अपनी इच्छा स्वंय के द्वारा अथवा अपने बेंच और याचिकाकर्ता अधिवक्ता के द्वारा हस्ताक्षरित अपने नाम तथा पते के साथ सूचना प्रेषित करे। जो कि बेंच और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के पास याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम 2 दिन से ज्यादा विलम्ब से नही पहुंचना चाहिए यदि वह याचिका के प्रतिवाद हेतु इच्छुक है तो विरोध के आधारो अथवा शपथपत्र की एक प्रति इस प्रकार की सूचना के साथ प्रस्तुत करनी होगी। याचिका की एक प्रति किसी भी व्यक्ति के द्वारा मांगे जाने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त के लिए निर्धारित राशि का भुगतान करने पर उक्त के लिये आवश्यक किसी व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी।

हस्ताक्षर
राजीव के गोयल, अधिवक्ता
कृते राजीव गोयल एंड एसोसिएट्स
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता
785, पॉकेट-ई, मयूर विहार- ।।, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे/एनएच-24, दिल्ली 110 091
मोबाइल : 9312409354, **ई-मेल** : rajeev391@gmail.com, वेबसाइट: www.rgalegal.in

दिनांक : 03.10.2019
स्थान : नई दिल्ली

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
TATA
सम्पर्क पता : 7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055.
पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013, सीआईएन : U67190MH2008PLC187552.

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
[प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के अनुसार]

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए नीचे लिखे के अनुसार 19 जुलाई, 2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

ऋणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण विशेष रूप से ऋणकर्ताओं तथा जनसामान्य को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता तथा जमानती और जनसामान्य को एतद्द्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन राशियों तथा उससे सम्बद्ध ब्याज और दण्डात्मक ब्याज, प्रभार, लागतों आदि के लिए टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अभियोग का विषय होगा।

ऋण खाता सं.	बाध्यताधारी(यों)/वैध उत्तराधिकारी(यों)/वैध प्रतिनिधि(यों) के नाम	माँग सूचना की राशि तथा तिथि	कब्जा करने की तिथि
8450995 तथा 7000430106 तथा 7000543711	1. **श्री बायोकेमिकल इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड** जीएफ004, एसईएआरएस टॉवर ओमेक्स हाइट्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ.प्र.-226010 2. **प्रकाश फूलचन्द छाबड़ा** 1203 कार्लटन टॉवर ओमेक्स हाइट्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ.प्र.-226010 3. **लॉर्डसन्स एग्रो ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड** जीएफ004, एसईएआरएस टॉवर ओमेक्स हाइट्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ.प्र.-226010 4. **नेट्ज इण्डिया एग्रो प्राइवेट लिमिटेड** ऑफिस स्पेस यूनिट नं. 003, सीयर्स टॉवर ओमेक्स हाइट्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ.प्र.-226010 5. **युक्ति छाबड़ा** 1203 कार्लटन टॉवर ओमेक्स हाइट्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उ.प्र.-226010 6. **अंजली प्रकाश छाबड़ा पत्नी प्रकाश छाबड़ा** 1404, मिनारा टॉवर, ओमेक्स हाइट्स, गोमती नगर, लखनऊ, उ.प्र.-226001 7. **वर्तिका खत्री** सी-21 के रोड, महानगर एक्सटेंशन, लखनऊ, उ.प्र.-साथ ही : फ्लैट सं. 905, 9वीं मंजिल, अल्डोरा-2, अपोलो डी.बी. सिटी, निपनिया, इंदौर, म.प्र. 8. **देवेन्द्र कुमार वर्मा पत्र जवाहर लाल वर्मा** 448/133, आशापुरम कॉलोनी, निकट मंजू टंडन नर्सिंग होम, ठाकुरगंज, लखनऊ, उ.प्र.-226003 9. **तन्नू कोहली पुत्र चमन कोहली** एल-88, सेक्टर-डी, एल.डी.ए. कॉलोनी, लखनऊ, उ.प्र.-226012	रु. 1,24,00,349.31 (रु. एक करोड़ चौबीस लाख तीन सौ उनचास एवं इकतीस पैसे मात्र) दिनांक : 19 जुलाई, 2019	4 अक्टूबर, 2019

प्रतिभूति आस्तियों/अचल सम्पत्तियों का विवरण : विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.) पर स्थित प्लॉट सं. टीसीजी 2/2 तथा टीसीजी 5/5 पर द प्रोजेक्ट ओमेक्स हाइट के साथ ''एम्पायर एस्टेट टॉवर'' में भूतल पर यूनिट नं. 003. सीमा : पूर्व : खुला आसमान, पश्चिम : खुला आसमान, उत्तर : लिफ्ट तथा लॉबी एरिया, दक्षिण : प्रवेश/प्रवेश हेतु गलियारा।

तिथि : 07.10.2019 ह./- अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : लखनऊ (उ.प्र.) कृते टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

(THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR DISTRIBUTION OUTSIDE INDIA.)

GALACTICO CORPORATE SERVICES LIMITED

CIN: U74110MH2015PLC265578

Our Company was incorporated as Amigos Trading and Commerce Private Limited on June 15, 2015 under the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies, Mumbai bearing Registration No. 265578. The name of the Company was changed to Galactico Corporate Services Private Limited and the name change certificate was issued on April 04, 2017. The status of the Company was changed to public limited and the name of our Company was changed to Galactico Corporate Services Limited vide Special Resolution dated October 09, 2018.The fresh certificate of incorporation consequent to conversion was issued on November 06, 2018 by the Registrar of Companies, Mumbai. The Company's Corporate Identity Number is U74110MH2015PLC265578. For further details pertaining to the change of name of our Company and the change in Registered Office, please refer the chapter *"History and Certain Corporate Matters"* on page no. 100 of the Prospectus.

Registered Office: 2nd Floor, Shree Gurudeo Tower, Above Shirpur Co-Op Bank Ltd, Canada Corner, Nashik - 422 005
Contact Person: Ms. Harshika Thakkar, Company Secretary and Compliance Officer
Tel: +91 – 253 – 231 9714; **Email:** info@galacticocorp.com; **Website:** www.galacticocorp.com

PROMOTER OF THE COMPANY: MR. VIPUL LATHI

BASIS OF ALLOTMENT

PUBLIC OFFER OF 16,08,000 EQUITY SHARES OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF GALACTICO CORPORATE SERVICES LIMITED ("GCSL" OR THE "COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF ₹23 PER SHARE (THE "OFFER PRICE"), AGGREGATING TO ₹369.84 LAKHS ("THE OFFER"), CONSISTING OF FRESH ISSUE OF 3,00,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹69.00 LAKHS AND AN OFFER FOR SALE OF 13,08,000 EQUITY SHARES BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER AGGREGATING TO ₹ 300.84 LAKHS ("OFFER FOR SALE"), OF WHICH 84,000 EQUITY SHARES OF ₹10 EACH WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. OFFER OF 15,24,000 EQUITY SHARES OF ₹10 EACH IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER WILL CONSTITUTE 28.06% AND 26.59%, RESPECTIVELY OF THE POST OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS ₹10 AND THE OFFER PRICE IS 2.30 TIMES OF THE FACE VALUE.
OFFER OPENED ON: SEPTEMBER 24, 2019 AND OFFER CLOSED ON: SEPTEMBER 27, 2019

The Equity Shares of the Company are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited, in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval from BSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated August 13, 2019. **BSE shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of this Offer. The trading is proposed to be commenced on October 09, 2019** (Subject to receipt of listing and trading approvals from the BSE Limited).

The Offer is being made through the Fixed Price process, the allocation in the Net Offer to the Public category shall be made pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, wherein a minimum of 50% of the Net Offer of shares to the Public shall initially be made available for allotment to Retail Individual Investors. The balance of Net Offer of Shares to the public shall be made available for allotment to Individual Applicants other than Retail Individual Investors and other Investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. If the Retail Individual Investor category is entitled to more than 50% on proportionate basis, they shall be allotted that higher percentage. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and the Designation Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All potential investors shall participate in the Offer only through an **Application Supported by Blocked Amount** ("ASBA") process including through UPI mode (as applicable) by providing details about the bank account which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") for the same.

SUBSCRIPTION DETAILS

The Net Offer has received 75 applications for 16,74,000 Equity Shares resulting in 1.10 times subscription. The details of the applications received in the Net Offer (before and after technical rejections & withdrawal) are as follows:

CATEGORY	Before Technical Rejections & Withdrawals		After Technical Rejections & Withdrawals	
	No. of Applications	No. of Equity Shares	No. of Applications	No. of Equity Shares
Retail Individual Applicant	70	4,20,000	68	4,08,000
Other than Retail Individual Applicant	5	12,54,000	5	12,54,000
Total	**75**	**16,74,000**	**73**	**16,62,000**

Note: The Offer also includes 84,000 Equity Shares reserved for Market Maker, which was subscribed by 1.00 times and there were no Technical Rejection & any withdrawal.

In the event of oversubscription, the allotment will be made on a proportionate basis in marketable lots. There was over subscription of 1,38,000 Equity Shares in other than Retail Individual Category & under subscription 3,54,000 Equity Shares in Retail Category. The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange – BSE Limited on October 09, 2019.

A) **Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawals):** The Basis of Allotment to the Market Maker, at the Offer Price of ₹ 23 per Equity Share, was finalised in consultation with BSE. The category was subscribed by 1.00 times. The total number of shares allotted in this category is 84,000 Equity Shares. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category Wise)	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied in Each Category	% to Total	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted
84,000	1	100.00	84,000	100.00	84,000	1:1	84,000
Total	**1**	**100.00**	**84,000**	**100.00**			**84,000**

B) **Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawals):** The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the Offer Price of ₹ 23 per Equity Share, was finalised in consultation with BSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allocated in this category is 4,08,000 Equity Shares. The category was subscribed by 0.535 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category Wise)	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied in Each Category	% to Total	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted
6,000	68	100.00	4,08,000	100.00	6,000	1:1	4,08,000
Total	**68**	**100.00**	**4,08,000**	**100.00**			**4,08,000**

C) **Allocation to Other than Retails Category (After Technical Rejections & Withdrawals) :** The Basis of Allotment to the Non – Retail Investors, at the Offer Price of ₹ 23 per Equity Share, was finalised in consultation with BSE. Pursuant to Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allocated in this category is 11,16,000 Equity Shares (including un-subscribed portion of 4,08,000 Equity Shares of Retail Individual Category). The category was subscribed by 1.124 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category Wise)	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied in Each Category	% to Total	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted
1,80,000	1	20.00	1,80,000	14.35	1,62,000	1:1	1,62,000
2,64,000	1	20.00	2,64,000	21.05	2,34,000	1:1	2,34,000
2,70,000	3	60.00	8,10,000	64.59	2,40,000	1:1	7,20,000
Total	**5**	**100.00**	**12,54,000**	**100.00**			**11,16,000**

The Board of Directors of the Company at its meeting held on October 03, 2019, has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares, as approved by the Designated Stock Exchange viz. BSE and has authorized the corporate action for the allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

The CAN and allotment advice and / or notices shall be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, the instructions to Self Certified Syndicate Banks will be processed on or before October 07, 2019 for unblocking of funds. The Equity Shares allotted to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. In case the same is not received within prescribed time, investors may contact the Registrar to the Offer at the address given below. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the SME Platform of BSE Limited within 6 working days from the Closure of the Offer. **The trading is proposed to be commenced on October 09, 2019 subject to receipt of listing and trading approvals from BSE Limited.**

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated September 17, 2019 ("Prospectus").

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Offer, **Bigshare Services Private Limited at Website: www.bigshareonline.com.**

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Offer quoting full name of the First/Sole Applicant, Serial number of the Application Form, Number of Shares Applied for and Bank Branch where the Application had been lodged and payment details at the address given below:

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED
1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis Makwana Road, Marol, Andheri (East), Mumbai – 400059
Tel: +91-22-6263 8200; **Email:** ipo@bigshareonline.com; **Website:** www.bigshareonline.com
Contact Person: Mr. Babu Raphael; **SEBI Registration No.:** INR000001385

For Galactico Corporate Services Limited
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Managing Director

Place : Nashik
Date : October 05, 2019

LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF GALACTICO CORPORATE SERVICES LIMITED.

GALACTICO CORPORATE SERVICES LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a Public Offer of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Mumbai. The Prospectus shall be available on the websites of the Company, the BSE and the Lead Manager at www.galacticocorp.com, www.bseindia.com and www.afsl.co.in respectively. Applicants should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the Prospectus, including, the section titled *"Risk Factors"* beginning on page no. 25 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), and may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (i) within the United States to persons reasonably believed to be qualified institutional investors (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) pursuant to Rule 144A under the U.S. Securities Act and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and applicable laws of the jurisdictions where such offers and sales occur.

Sunjeet Comm.

Join @NewspapersToday

जनसत्ता

7 अक्तूबर, 2019

संबंधों का विस्तार

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। शनिवार को उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री से मुलाकात और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान कई मसलों पर समझौते भी हुए, जिनमें शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। शेख हसीना की यह भारत यात्रा कई मामलों में महत्त्वपूर्ण है। एक ऐसे समय में जब भारत सरकार राष्ट्रीय नागरिक पंजी तैयार कर रही है और उसमें यहां रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के सबसे अधिक प्रभावित होने की चर्चा है, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री का यहां आना और दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में उस मसले पर बातचीत करना उल्लेखनीय बात है। शेख हसीना ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी पर अपनी चिंता जाहिर की, पर भारत ने उन्हें संतुष्ट किया कि सारी प्रक्रिया अदालत की निगरानी में पूरी हो रही है, इसलिए इसे लेकर ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। इसके अलावा दोनों नेताओं की बातचीत में रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा भी उठा और दोनों ने इस बात पर सहमति जताई कि म्यांमा के रखाइन क्षेत्र में उनकी सुरक्षित वापसी होनी चाहिए।

बांग्लादेश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। वहां महंगाई से पार पाना कठिन बना हुआ है। ऐसे में भारत से उसके व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे, वहां बेहतरी के कुछ रास्ते खुलेंगे। शेख हसीना की इस यात्रा में पहले से चले आ रहे व्यापारिक समझौतों को बरकरार रखते हुए चटगांव और मंगला बंदरगाहों को भारतीय पोतों को माल ढुलाई के लिए खोलने पर सहमति बनी। पहले ही भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक रिश्ते काफी मजबूत हैं, इस यात्रा से उन्हें और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा तीस्ता नदी के जल बंटवारे से संबंधित विवाद को जल्दी ही सुलझा लेने का संकल्प दोहराया गया और बांग्लादेश की फेनी नदी का पानी त्रिपुरा के सबरूम में पेयजल के लिए उपलब्ध कराने पर रजामंदी हुई। दोनों नेताओं ने पूर्वोत्तर भारत में रसोई गैस आपूर्ति संबंधी परियोजना का उद्घाटन किया। शेख हसीना की इस यात्रा में उल्लेखनीय समझौता दोनों देशों के बीच सीमाओं को सुरक्षित बनाने को लेकर है। दोनों नेताओं ने अपने सीमा प्रहरियों को सीमा पर बाड़ लगाने की प्रक्रिया के शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया। इस तरह शेख हसीना के भारत आने से उन तमाम आशंकाओं पर विराम लगा है, जो राष्ट्रीय नागरिक पंजी को लेकर जताई जा रही थीं।

भारत इन दिनों आतंकवादी गतिविधियों पर विराम लगाने के तमाम पक्षों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से भी इस जरूरत को रेखांकित किया कि जब तक दुनिया के देश इस मुद्दे पर बंटे रहेंगे, तब तक इस पर काबू पाना कठिन बना रहेगा। छिपी बात नहीं है कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों को सबसे अधिक बढ़ावा पाकिस्तान से मिल रहा है। उस पर नकेल कसने के लिए जरूरी है कि पड़ोसी देशों को भी चाकचौबंद बनाया जाए। इस लिहाज से बांग्लादेश के साथ आतंकवाद पर काबू पाने के लिए हुए समझौते महत्त्वपूर्ण हैं। तटीय निगरानी बढ़ाने के लिए बांग्लादेश से जुड़ी समुद्री सीमा में भारत करीब दो दर्जन राडार प्रणाली लगाएगा। छिपी बात नहीं है कि पाकिस्तान में पनाह पाए आतंकी संगठन बांग्लादेश की सीमा के जरिए भारत में घुसपैठ करने का प्रयास करते रहे हैं। इस तरह वहां की समुद्री सीमा पर निगरानी चौकस रखने की जरूरत है। नए समझौते से आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने में काफी मदद मिलने की उम्मीद की जा सकती है।

घटना और सबक

इस साल बालाकोट में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले के अगले दिन यानी सत्ताईस फरवरी को भारतीय वायुसेना ने अपनी ही मिसाइल से अपना एमआइ-17 हेलिकॉप्टर मार गिराया था। यह घटना गफलत का परिणाम थी। हालांकि तब पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत का एक हेलिकॉप्टर मार गिराया है, लेकिन बाद में वह झूठा साबित हुआ। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने इस घटना को बड़ी चूक मानते हुए स्वीकार किया है कि हमने अपना ही हेलिकॉप्टर मार गिराया था। हालांकि शुरुआती जांच में यह साफ हो गया था कि वायुसेना का हेलिकॉप्टर अपने ही सैनिकों ने भूलवश मार गिराया था, लेकिन अब विस्तृत जांच के बाद आधिकारिक रूप से वायुसेना प्रमुख ने इसे माना है। इस हादसे में एक पायलट सहित वायुसेना के छह जवान शहीद हो गए थे। घटना की जांच में जो चीजें निकल कर आई हैं, वे गंभीर और चौंकाने वाली हैं और सीधे-सीधे सैन्य अभियानों की तैयारियों से जुड़ी बड़ी खामियों की ओर इशारा करती हैं। हालांकि सेना की तैयारियों और उसकी गंभीरता को लेकर कोई संदेह नहीं, पर इनमें जो त्रुटियां रह जाती हैं, वे भारी पड़ती हैं। इसलिए आम आदमी के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि हमारी वायुसेना इतनी अत्याधुनिक है तो फिर कैसे ऐसी बड़ी चूक हो सकती है कि हम दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के बजाय अपना ही नुकसान कर बैठें।

आखिर गलती कहां हुई, यह बड़ा प्रश्न है। अपने ही हेलिकॉप्टर के बारे में क्यों नहीं पता चल पाया? सवाल ज्यादा गंभीर इसलिए भी है कि मामला युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हेलिकॉप्टर और विमानों से जुड़ा है और इसमें जोखिम के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। वायुसेना प्रमुख ने बताया है कि एमआइ-17 हेलिकॉप्टर की संचार प्रणाली दुरुस्त नहीं थी। ऐसे युद्धक हेलिकॉप्टरों में एक संचार तंत्र काम करता है जिससे यह पता चल सकता है कि हेलिकॉप्टर दुश्मन देश का है या अपना, लेकिन इस हेलिकॉप्टर में यह प्रणाली काम नहीं कर रही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि जमीन पर नियंत्रण कक्ष को संकेत ही नहीं मिल पाए कि यह हेलिकॉप्टर अपना है। इसी भ्रम में इसे दुश्मन देश का समझ कर उस पर मिसाइल दाग दी गई। यह घटना सैन्य कार्यों में लगे सैनिकों और तकनीकी कर्मचारियों के बीच तालमेल की भारी कमी को भी उजागर करती है। सवाल है कि आखिर उस हेलिकॉप्टर का संचार तंत्र पूरी तरह से काम क्यों नहीं कर रहा था। क्या अभियान पर भेजे जाने से पहले इस तरह की कोई पुख्ता जांच नहीं होती और चीजों को सामान्य मान कर चलने दिया जाता है? अगर ऐसा है तो यह बड़ी लापरवाही है जिसकी कीमत छह सैनिकों की शहादत के रूप में चुकानी पड़ी है। यह तो साफ है कि वायुसेना आधुनिक होने के भले कितने ही दावे करे, लेकिन तकनीकी खामियां दूर करने में संबंधित विभाग ने लापरवाही बरती है। युद्ध क्षेत्र में भेजे जाने वाले विमानों, हेलिकॉप्टरों को तो हमेशा पूरी तरह दुरुस्त रखा जाना चाहिए। एक भी छोटी-सी भूल जानलेवा बन सकती है। भारतीय वायुसेना को ऐसी घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है। सवाल एक विमान या हेलिकॉप्टर की कीमत से कहीं ज्यादा बड़ा जाबांज सैनिकों की जिंदगी से जुड़ा होता है। अगर छोटी-छोटी लापरवाही, चूक ऐसे हादसों को जन्म देती रहेंगी तो कैसे हम दुश्मन के सामने टिक पाएंगे?

कल्पमेधा

जिन विषयों के लिए प्रमाण नहीं होते, वे बातें विशेष उन्माद के साथ मानी जाती हैं।

-बर्ट्रेंड रसेल

खतरे में हांगकांग की संप्रभुता

ब्रह्मदीप अलूने

पिछले साल शी जिनपिंग ने चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद का दृष्टिकोण रखते हुए कहा था कि खुलेपन से तरक्की का रास्ता खुलता है और चीन पहले से अधिक खुलापन लाएगा। हांगकांग में एकाधिकार कायम करने की चीनी जल्दबाजी से साफ है कि चीन ताकत के सहारे सब कुछ हासिल करने पर भरोसा करता है। चीन संपन्नता से एकाधिकार करना चाहता है, जबकि आर्थिक संपन्नता के साथ ही सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र से ही विकास का मार्ग सुनिश्चित हो सकता है।

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल में एक भाषण में चीनी शब्द 'डूजेंग' का इस्तेमाल कई बार किया। इस शब्द का मतलब होता है- संघर्ष करना। जिनपिंग ने संघर्ष को चीन की नियति बताते हुए उग्र राष्ट्रवाद को हवा देने की कोशिश की और इसके जरिए उन्होंने अपनी उन नाकामियों पर परदा भी डाला जिनसे उनका देश इस समय जूझ रहा है। माओ की आक्रामक नीतियों के विरोधाभास के बीच सत्तर सालों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन कर उभरने वाले चीन के राष्ट्रपति इस समय बैचेन हैं। चीन इस समय अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध में बुरी तरह उलझा हुआ है और उसकी विकास दर भी लगातार गिर रही है। वीगर मुसलमानों पर अत्याचार की गूंज पूरे विश्व में है। इन सबके बीच चीनी अर्थव्यवस्था के केंद्र बन चुके हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं और चीनी आधिपत्य को खुली चुनौती दे रहे हैं।

इस महीने की शुरुआत में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के सत्तर साल पूरे होने के अवसर पर चीन की खुशियां हांगकांग में चीन विरोधी काले दिवस और हिंसक प्रदर्शन के आगे फीकी पड़ गईं। पिछले कुछ सालों से हांगकांग का समाज इस बात से आशंकित है कि चीन उनके यहां लोकतंत्र को खत्म कर देगा और इसी आशंका ने चीन विरोधी भावनाओं को भड़का दिया है। अब यहां के लाखों नागरिक पिछले कई महीनों से सरकारी दफ्तरों, चीन की सेना के स्थानीय मुख्यालय और शहर की संसद के बाहर जमा होकर चीनी नीतियों के विरोध में व्यापक प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार अति-आधुनिक हांगकांग हिंसा के दलदल में फंसता जा रहा है।

उच्च विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जीने के आदि हो चुके हांगकांग को चीनी पहचान स्वीकार नहीं है। हांगकांग में सिविल ह्यूमन राइट्स फ्रंट वह अगुआ संगठन है जो चीनी सरकार की नीतियों के विरोध में लोगों को लामबंद किए हुए है। इस संगठन के नेताओं का कहना है कि लोगों का पुलिस पर भरोसा नहीं है और पुलिस भी लोगों पर भरोसा नहीं कर रही है। चीनी सेना शांतिप्रिय हांगकांग को घेर रही है और यह दबाव अंततः हांगकांग को गंभीर संकट की ओर धकेल रहा है। जनवादी चीन के आधिपत्य में 1997 में आए हांगकांग को विकसित दुनिया का मुकुट कहा जाता है, लेकिन इस समय यह क्षेत्र गहरे प्रशासनिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। ब्रिटिश उपनिवेश से मुक्त होकर चीन के आधिपत्य में आई हांगकांग की युवा पीढ़ी को चीन पर भरोसा ही नहीं है। हांगकांग की संसद में घुस कर प्रदर्शनकारी नौजवान ब्रिटिश कालीन झंडा फहरा कर अपना गुस्सा जता चुके हैं। चीन के राष्ट्रीय गान के प्रति कई मौकों पर असम्मान दिखता है। इस साल जून में हांगकांग की सड़कों पर हिंसा का खौफनाक मंजर सामने आया था। इसके बाद से ही हांगकांग सुलगा हुआ है। इसका असर चीन की शक्तिशाली सत्ता पर भी पड़ा है।

हांगकांग 1841 से 1997 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन ने उसे 'वन कंट्री टू सिस्टम' (एक देश और दो प्रणाली) समझौते के तहत चीन को सुपुर्द किया था। यह समझौता हांगकांग को ऐसे आजादी और लोकतांत्रिक अधिकार देता है, जो चीन के लोगों को हासिल नहीं हैं। हांगकांग चीन का हिस्सा है, लेकिन उसे 'विशेष स्वायत्तता' मिली हुई है। ये स्वायत्तता 2047 में खत्म हो जाएगी और हांगकांग में रहने वाले कई लोग नहीं चाहते कि हांगकांग का वही हाल हो जो साम्यवाद की जकड़न में किसी क्षेत्र का होता है। इस बीच चीन तेजी से हांगकांग की सत्ता हथियाने को तत्पर नजर आ रहा है और इसी से हांगकांग की नौजवान पीढ़ी परेशान है।

वास्तव में चीन और ब्रिटेन के बीच समझौते के अनुसार हांगकांग को एक देश दो व्यवस्था के सिद्धांत पर काम करना था। वर्ष 2047 तक उसे विदेश और रक्षा मामलों को छोड़ कर राजनीतिक और आर्थिक आजादी हासिल है। इस समझौते के बाद हांगकांग विशेष प्रसासनिक क्षेत्र बन गया। इसके पास अपनी कानूनी व्यवस्था, बहु-राजनीतिक पार्टी व्यवस्था और अभिव्यक्ति और इकट्ठा होने की आजादी थी। इन विशेष अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र के पास अपना छोटा संविधान है। इसे 'बेसिक लॉ' कहा जाता है, जो घोषित करता

है कि इसका मूल उद्देश्य 'सार्वभौमिक मताधिकार' और 'लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं' के माध्यम से इस इलाके का नेता यानी मुख्य कार्यकारी चुनना है।

साल 2014 में बेजिंग ने कहा था कि वह मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के सीधे चुनाव की इजाजत देगा, लेकिन केवल पहले से अधिकृत उम्मीदवारों की सूची से ही इनका चुनाव होगा। 2014 में ज्यादा लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग के साथ 'ऑक्यूपाई सेंट्रल प्रोटेस्ट' हुआ था, जहां आंदोलनकारियों ने पुलिस के आंसू गैस हमले से बचने के लिए छाते थामे और इसे अंब्रेला मूवमेंट कहा गया। इस घटना से चीन की वैश्विक छवि पर विपरीत असर पड़ा। हालांकि उनयासी दिन के आंदोलन के बाद भी चीन ने अपनी योजना को खारिज नहीं किया।

लेकिन कुछ महीने पहले आए प्रत्यर्पण कानून का हांगकांग में व्यापक विरोध हुआ और चीन को अंततः इसके आगे झुकना पड़ा। प्रत्यर्पण कानून के व्यापक विरोध के बाद चीन और हांगकांग की सरकार को कदम पीछे खींचना पड़े। हांगकांग की सीईओ कैरी लैम ने हिंसा रोकने के लिए एलान किया कि सरकार ने प्रत्यर्पण कानून को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। चीन ने भी उनके इस एलान का समर्थन किया, लेकिन हांगकांग की जनता को न तो अपनी सरकार पर भरोसा है और न ही चीन पर। इस कानून के मुताबिक हांगकांग के लोगों को मुकदमे के लिए चीन भेजा जा सकता था। हांगकांग वासियों को डर था कि इससे राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया जा सकता है। साथ ही ये हांगकांग को मिली स्वायत्तता का भी हनन है।

चीन ने अपने फैसले पर अस्थायी रोक लगा कर हांगकांग के लिए एक फौरी राहत तो दे दी, लेकिन इससे लोगों में आशंका बढ़ गई। चीन ने लगातार हांगकांग के लोगों के अधिकारों में कटौती की है। जहां तक स्वायत्तता की बात है, इस शहर को स्वायत्तता तो दी गई है और चुनाव भी कराने का अधिकार है, लेकिन पूर्ण लोकतंत्र यहां लोगों को नसीब नहीं है। हांगकांग में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात से चिंतित हैं कि चीन हांगकांग की राजनीति में कई तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है और यहां की उदार राजनीतिक परंपरपराओं को नजरअंदाज कर रहा है।

हांगकांग के आंदोलनकारियों में अधिकांश युवा हैं। वहीं, चीन के समर्थन में भी एक समूह है जो लोकतंत्र के पक्ष में खड़े नेताओं को निशाना बना रहा है। जाहिर है, चीन की जल्दबाजी के चलते एक विकसित और अत्याधुनिक क्षेत्र गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है। पिछले साल शी जिनपिंग ने चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद का दृष्टिकोण रखते हुए कहा था कि खुलेपन से तरक्की का रास्ता खुलता है और चीन पहले से अधिक खुलापन लाएगा। हांगकांग में एकाधिकार कायम करने की चीनी जल्दबाजी से साफ है कि चीन ताकत के सहारे सब कुछ हासिल करने पर भरोसा करता है। चीन संपन्नता से एकाधिकार करना चाहता है, जबकि आर्थिक संपन्नता के साथ ही सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र से ही विकास का मार्ग सुनिश्चित हो सकता है। हांगकांग के युवा कहते हैं कि अपनी ताकत के बल पर चीन लोकतंत्र को नहीं दबा सकता।

हरी घास पर कुछ देर

प्रयाग शुक्ल

दुनिया मेरे आगे

जब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' का कविता संग्रह 'हरी घास पर क्षण भर' आया तो हिंदी कविता के बहुतेरे नए-पुराने पाठकों ने कुछ चौंक कर यह पहचाना था कि आज की शहरी 'हरी घास' भी कविता की एक विषय वस्तु हो सकती है। वह हरी घास, जो वेनु बजाने और धेनु चराने वाले कृष्ण के समय की हरीतिमा से अलग प्रकार की घास है। हां, अज्ञेय की कविता के शीर्षक से ही जो छवि उभरी, वह किसी पार्क की हरी घास की ही छवि हो सकती थी। थी भी वही। और यह जो बागों-उद्यानों, पार्कों और रिहायशी इमारतों के परिसरों या बंगलों के लॉन की हरी घास है, वह आज के शहरातियों के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। उस पर या उसके बीच बैठ कर प्रकृति के साथ होने का कुछ तो एहसास होता ही है। आमतौर पर उसके आकर्षण में खिंची आकर गिलहरियां भी कुछ उछल-कूद करती हैं। कुछ चिड़ियां अपने पांवों उस पर चलती हैं। सुबह की सैर करने वाले कुछ नागरिक भी अपने जूते या चप्पल उतार कर उस पर कुछ देर चलना पसंद करते हैं। प्रेमी जोड़े उस पर बैठ कर बतियाते हैं। अपना सुख-दुख, प्रेम साझा करते हैं। बच्चे उस पर उछलते-कूदते हैं, खेलते हैं। उनकी मां और उनकी आया भी हरी घास के बीच होने का आनंद उठाती हैं। अच्छी हवा चल रही हो तो यह भी मनाती हैं कि सूरज का प्रकाश उसके डूबने से पहले कुछ देर और थमा रहे, तो कितना अच्छा हो। मन में ही यह कामना भी करती हैं कि प्रकाश थमे, पर हवा न थमे! हरी घास के बीच वाले झूले भी भला किसे अच्छे नहीं लगते! तो हरी घास की यह कामना उस पर 'क्षण भर' बैठने की इच्छा, भला किसके भीतर नहीं होती!

यह लिखते हुए मैं अपने रिहायशी परिसर के एक लघु-उद्यानी एरिया में एक बेंच पर बैठा था पेड़ की छाया के नीचे। चंपा के पेड़ों के कुछ सफेद फूल झर कर घास के कुल 'फ्रेम' की किनारी पर पड़े हुए थे। सूखे-झरे पत्तों के साथ। एक गिलहरी आ गई और दो पीली तितलियां भी हवा पर सवार एक ओर को चली गईं। कुछ बादल के साथ इस मौसम में यह दृश्य कुछ और मनोरम हो उठा। हां, एक चींटी ने घुटने के पास तक चढ़ कर और च्यूंटी काट कर यह भी बता दिया कि घास पर या उसके पास किसी कुर्सी या बेंच पर बैठने का सुख उठाना चाहोगे तो मेरी च्यूंटी भी सहनी ही पड़ेगी, कभी न कभी, क्योंकि तुम्हारी तरह उसे भी बहुत पसंद है हरी घास। वह चींटी तो यहीं घर बना कर रहने भी लगती है।

मैंने सोचा कि नवंबर-दिसंबर में जब दिल्ली एनसीआर में, यानी दिल्ली-नोएडा-गुड़गांव में ठंड पड़ रही होगी तो मैं हरी घास के बीच हर साल की तरह फिर कुर्सी डाल कर या किसी बेंच पर ही बैठ कर लिखा-पढ़ा करूंगा। जब लिखते-पढ़ते-सोचते कुछ देर विराम लूंगा, इधर-उधर देखूंगा और हरी घास के साथ फूलों-तितलियों और धूप के टुकड़ों के साथ भी हो लूंगा। हां, गिलहरियां भी आएंगी ही! पिछले साल तो एक तितली काफी देर तक घास पर जमी रही थी और मैं मोबाइल से उसकी एक तस्वीर खींच कर मित्रों को भेजा भी था।

महानगर में रहने वालों को यह हरी घास न मिले तो जरा सोचिए उनका क्या हाल होगा! हरी घास का एक टुकड़ा ही सही, बहुमंजिली सीमेंटी कंक्रीटी इमारतों के बीच आंखों और मन को कुछ सुख तो पहुंचाता ही है। सो, अचरज नहीं कि जो 'टेरेस गार्डेन' में आठवीं-दसवीं मंजिल की छत पर घास उगा लेने का साधन रखते हैं, वे वहां हरी घास उगा लेते हैं। फिर वह नकली हरी घास भी तो है ही, जो घास का भ्रम देने के लिए उगा ली जाती है कि आंखें को कुछ राहत मिले।

हरी घास को ठीक ही 'हरे गलीचे' की भी संज्ञा दी जाती है। पर एक दिन यह देख कर अचरज भी कम नहीं हुआ कि हमारी सोसायटी के पास की एक और सोसायटी की हरी घास को हटा कर वहां सीमेंटी फर्श बिछाया जा रहा है, क्योंकि हरी घास वाला मिट्टी का इलाका बारिश में कीचड़ पैदा करता है।

कितनी विडंबनाएं है शहरी जीवन की। कुछ हमने खुद रच डाली हैं। अब देखिए न, बिना माटी के तो हरी घास उग नहीं सकती है! बिना बारिश के भी हम रह नहीं सकते हैं! हमें हरी घास की भी चाह हो! पर वह बिना माटी और जल के उगे भी तो कैसे!

जो हो, महानगरों और शहरों में विशेष रूप से हमें हरी घास के 'दर्शन' चाहिए। फिर दोहरा दूं कि चाहे वह छोटे-से टुकड़े में ही क्यों न मिले! किसी फुटपाथ में किसी किनारी की तरह ही बसी हुई क्यों न हो! किसी चारदिवारी से लग कर बारिश में ही क्यों न उग आई हो, वह हो, वह हो, वह हो। बनी रहे।

घोटाले की मार

पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक में घोटाले की खबर आग की तरह फैली। न कोई भनक, न कोई अलर्ट और सीधे ग्राहकों के खाते जब्त। जब तक लोगों को कुछ समझ आता, उससे पहले ही सब कुछ निपट चुका था और बैंक के बाहर भीड़ जमा थी। भारतीय रिजर्व बैंक की रुक-रुक कर आती डिजिटल सूचनाओं ने ग्राहकों के होश उड़ा दिए थे। नए युग की ओर बढ़ रहे भारत के करोड़ों गरीब परिवारों को बैंक खाते से जोड़ा गया। लेकिन सवाल तो यह है कि अब वे गरीब क्या करेंगे जिनकी पसीने की कमाई बैंकों में जमा है और अब वे छह मीहने में पच्चीस हजार रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। कैसे खर्चा चलाएंगे? दरअसल, यही असली हिंदुस्तान है जहां नोटबंदी से लेकर पीएमसी घोटाले तक हर बार अपने पैसों के लिए गरीब को कतारों में धक्के खाने पड़े हैं। लोगों के बदन पर काले कपड़े हैं, हाथों में तख्तियां और होंठों पर मदद की गुहार!

● *एमके मिश्रा, मां आनंदमयीनागर, रातू*

मदद को हाथ बढ़ाएं

आपदा में, विपत्ति में, विषम परिस्थितियों में मदद के लिए हाथ उठना चाहिए। सरकार ने क्या किया, क्या नहीं या कहां चूक हुई, इस बहस के लिए काफी समय मिल जाएगा। मानवता का धर्म है कि हमारा पड़ोसी भूखा है तो हमें भी खाने का कोई अधिकार नहीं है। विकट परिस्थितियों में सरकार के भरोसे रहना या केवल कोसना भी ठीक नही है। भयावह स्थिति से निपटना केवल सरकार के बूते की बात नही है। अगर हमसे किसी को दो रोटी और एक ग्लास पानी भी जरूरतमंद को मिल जाता है तो यह मदद कम नहीं होगी। सोचिए, अगर दस लाख लोग यह प्रतिज्ञा कर लें तब इतने लोगों को हम राहत पहुंचा सकते हैं। इसमें किसी दिखावे और तामझाम की जरूरत नहीं है। आप किसी से आत्मीयता के साथ कुशल क्षेम पूछ लेते हैं तो इतने मात्र से ही उसका हृदय भर आता है। हमें यह प्रण करना चाहिए कि थोड़ा-सा हिस्सा उन लोगों को भी दें जो वंचित हैं और त्योहारों की खुशी के मौके पर वे भी हमारी-आपकी तरह खुशी मना सकें।

● *प्रसिद्ध यादव, पटना*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

किसान की सुध

भारत का भाग्य विधाता और अन्नदाता कहे जाने वाला किसान आज कर्ज के तले इतना परेशान हो गया है कि उसे अपने प्राणों की आहुति देकर कर्ज चुकाना पड़ रहा है। इसमे कोई संशय नहीं है कि किसानों के प्रति सरकार का रवैया कल्याणकारी है, परंतु सरकारी मशीनरी की लापरवाही और किसानों के लिए बनी योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं किया जाना इसका बड़ा कारण रहा है। आज भारत मे हर मिनट पांच किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे में आवश्यकता है कि सरकार कर्ज माफी के इतर किसानों की खस्ता हालत सुधारे, ताकि किसान को कर्ज लेने की जरूरत ही न पड़े। वर्तमान में आवश्यकता अनाज के भाव मे वृद्धि की नहीं, अपितु भंडारण गृह बनाने की और उसको प्रोत्साहित करने की है ताकि निम्न दाम पर किसान अपनी फसल को उसमें रख कर उच्च दाम पर निर्यात कर सकें।

● *मनीष नागर, उज्जैन*

तंबाकू से बचाव

तंबाकू सेवन से जन्मे अनेक रोगों से बचने की सलाह हमेशा दी जाती है। इसकी बढ़ती लत के कारण भारत में मुंह और गले के कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तंबाकू में घातक रसायन निकोटिन पाया जाता है। स्वैच्छिक संगठन एवं सामाजिक संस्थाएं तंबाकू निषेध दिवस पर अपना राग अलापते-अलापते शायद थक गई हैं। आज भी स्थितियां वैसी ही हैं। परामर्श केंद्र भी जागरूकता लाने का प्रयत्न कर तो रहे हैं, लेकिन अपेक्षित नतीजे सामने नहीं आ रहे। जागरूकता के साथ यह भी जरूरी है कि व्यसन मुक्ति केंद्र भी चिकित्सालय के समीप में ही होना चाहिए ताकि इलाज हेतु मरीज को एक ही स्थान पर सुविधा प्राप्त हो सके। बड़ी समस्या तो यह है कि तंबाकू सेवन से खतरों की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों मे नहीं के बराबर है। कई बच्चे भी तंबाकू सेवन की लत के शिकार हैं। उन्हें समझाइश की जरूरत है। वर्तमान में कई जगह तो सड़कों, कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थानों आदि पर थूके जाने पर जुर्माना भी निर्धारित किया गया है। तंबाकू सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों से बचाव हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि बच्चों, नौजवानों को असमय मौत का ग्रास बनने से बचाया जा सके।

● *संजय वर्मा, धार*

प्लास्टिक का खतरा

स्वच्छता का लक्ष्य और स्वच्छ भारत का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह बंद नहीं होता। हमारे देश में प्लास्टिक कचरा बढ़ता जा रहा है। कूड़े के ढेर में सबसे ज्यादा पॉलिथिन थैलियां ही नजर आती हैं। प्लास्टिक के कचरे को जला कर भी नष्ट नहीं किया जा सकता। इसे जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा बोतलों का भी होता है। प्लास्टिक का दिन प्रतिदिन बढ़ता प्रयोग लोगों की सेहत पर तो भारी पड़ ही रहा है, साथ ही प्रकृति को दुषित करने और भूमि की उत्पादन क्षमता को भी कम कर रहा है। इससे भी ज्यादा गंभीर बाततो यह है कि आवारा पशु कचरा खा जाते हैं और इस तरह प्लास्टिक उनके पेट में पहुंच जाता है। पॉलिथिन की थैलियां नालों को जाम कर देती हैं और बारिश के पानी को भी जमीन में जाने से रोक देती हैं। धरती के लिए बड़ा संकट है। लोग कचरे के साथ प्लास्टिक तक जला डालते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि इससे जो जहरीला धुआं निकलता है वह जानलेवा बीमारियों को भी जन्म देता है।

● *राजेश कुमार चौहान, जलंधर*

epaper.jansatta.com

खबर कोना

मुंबई में एक सौंदर्य कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचीं बालीवुड अदाकारा करीना कपूर खान।

20 नवंबर से गोवा में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्मोत्सव

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में हो रहा है, जिसमें विभिन्न देशों की करीब 250 फिल्में दिखाई जाएंगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने रविवार को यह घोषणा की। जावडेकर ने कहा कि रूस इस साल फिल्म महोत्सव में भागीदार देश होगा।उन्होंने कहा दादासाहेब फाल्के पुरस्कार विजेता अमिताभ बच्चन की सात या आठ चुनिंदा फिल्में भी फिल्म महोत्सव में दिखाई जाएंगी। जावडेकर ने एक बयान में कहा कि फिल्म महोत्सव के 50वें संस्करण में दादासाहेब फाल्के पुरस्कार विजेता अमिताभ बच्चन को सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा और इसका जश्न उनकी प्रभावशाली और मनोरंजक फिल्में दिखाकर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महोत्सव में क्षेत्रीय भाषाओं की 26 फीचर और 15 गैर-फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी।

जब भीड़ की धक्कामुक्की में गिरीं एडविना माउंटबेटन

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर (भाषा)।

जवाहरलाल नेहरू के 1946 में सिंगापुर के दौरे के दौरान उस वक्त एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई थी, जब उनके स्वागत के लिए सामुदायिक केंद्र के बाहर उनकी एक झलक पाने को आतुर भीड़ की धक्कामुक्की में एडविना माउंटबेटन जमीन पर गिर पड़ीं, जो वहां नेहरू की प्रतीक्षा में खड़ी थीं। कांग्रेस का प्रमुख सदस्य होने के नाते, नेहरू को भारतीय सैनिकों से मुलाकात करने और मलाया में विशाल भारतीय समुदाय की स्थितियों का अध्ययन करने के लिए मार्च के मध्य में सिंगापुर आमंत्रित किया गया था। ब्रिटिश अधिकारी परेशानी खड़ी होने की आशंका के चलते नेहरू को भारतीय सैनिकों से मिलवाने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन वहां दक्षिण पूर्वी एशिया कमान (एसईएएसी) के साथ जुड़े लुई माउंटबेटन ने नेहरू का अनुरोध मानने पर जोर दिया। इन सारे वाकयों का जिक्र एंड्र्यू लॉनी की नई पुस्तक 'द माउंटबेटंस : देयर लाइव्स एंड लव्स'' में है। हार्पर कोलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में कहा गया, 'माउंटबेटन को इस बात का एहसास था कि वह भारत के पहले प्रधानमंत्री हो सकते हैं और अगर उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया गया, तो ब्रिटिश कार्रवाई ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को और भड़का देगी।' माउंटबेटन ने आग्रह किया था कि वह हवाईअड्डे पर नेहरू से मुलाकात करेंगे।

त्रिपुरा से मिजोरम लौटे 51 ब्रू परिवार

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर (भाषा)।

त्रिपुरा में शरणार्थी के तौर पर रहने के बाद विस्थापित ब्रू आदिवासियों से संबंधित लगभग 51 परिवार मिजोरम लौट आए हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। मिजोरम में ब्रू और मिजो समुदायों के बीच नस्लीय हिंसा के बाद करीब 5,400 ब्रू परिवार, जिनमें लगभग 40 हजार लोग हैं, 1997 से त्रिपुरा के विभिन्न राहत शिविरों में रह रहे हैं। त्रिपुरा के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुमार आलोक ने फोन पर बताया, 'पिछले तीन दिनों में कुल 51 परिवारों को त्रिपुरा से मिजोरम वापस लाया गया है।' केंद्र और त्रिपुरा सरकार को आशा है कि पिछले साल हस्ताक्षर किए गए समझौते के तहत ब्रू परिवार वापसी की इस अंतिम प्रक्रिया के दौरान मिजोरम लौट आएंगे। कुमार ने कहा कि प्रत्येक ब्रू परिवार को एक भूखंड और घर बनाने के लिए सहायता के रूप में 1.6 लाख रुपए दिए जाएंगे। वापस लौटे प्रत्येक ब्रू परिवार के मुखिया के बैंक खाते में चार लाख रुपए जमा किए जाएंगे।

कांग्रेस के सामने उपचुनाव का मिथक तोड़ने की चुनौती

जयपुर, 6 अक्तूबर (भाषा)।

राजस्थान

कांग्रेसी गढ़ रहीं खींवसर और मंडावा सीटों पर 21 अक्तूबर को मतदान

नाम वापसी के बाद इन दोनों सीटों पर कुल 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं

राजस्थान में विधानसभा की दो सीट पर इस माह होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के सामने जीत हासिल कर यह मिथक तोड़ने की भी चुनौती है कि उपचुनाव के नतीजे आमतौर पर सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में नहीं रहते।

करीब दस महीने पहले सत्ता में आई कांग्रेस के लिए हालांकि खींवसर और मंडावा सीट पर उपचुनाव होना फायदे का सौदा प्रतीत हो रहा है क्योंकि ये पारंपरिक रूप से कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले इलाकों में शामिल हैं। कांग्रेस ने इन दोनों सीट पर पुराने चेहरों पर दांव लगाया है। इन दोनों सीटों पर कुल 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं।

उपचुनाव के पिछले रेकॉर्ड की बात करें तो 1998 से 2018 के बीच 26 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिनमें सत्तारूढ़ पार्टी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। भाजपा के पिछले पांच साल (2013-2018) के कार्यकाल में छह सीटों के लिए उपचुनाव हुआ। इनमें से कांग्रेस ने चार सीटें जीती जबकि भाजपा कोटा दक्षिण सीट पर दोबारा जीत दर्ज करने के साथ धौलपुर सीट को बसपा से छीन केवल दो सीटें अपने नाम कर पाई। यह अलग बात है कि 2008-13 के दौरान केवल दो उपचुनाव हुए और दोनों सीटें पूर्व विजेता पार्टी की झोली में ही गईं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा उपचुनाव के परिणाम का राज्य के राजनीतिक समीकरणों पर कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी की साख जरूर दांव पर लगी है। राजस्थान में दिसंबर 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे। 200 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 106 विधायक हैं। इनमें बसपा के वे छह विधायक भी शामिल हैं जो पिछले महीने कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस समय सदन में भाजपा के 72, माकपा, रालोप तथा बीटीपी के दो-दो विधायक हैं। इसके अलावा 13 निर्दलीय विधायक हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में उपचुनाव के तहत खींवसर व मंडावा विधानसभा सीट पर 21 अक्तूबर को वोट पड़ेंगे। कांग्रेस ने मंडावा से रीटा चौधरी को टिकट दिया है। रीटा के पिता रामनारायण चौधरी इस सीट से कई बार विधायक रहे। हालांकि बीते दो विधानसभा चुनाव में नरेंद्र खीचड़ ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाते हुए जीत दर्ज की। खीचड़ की झुंझुनू सीट से सांसद चुने जाने के बाद से ही यह सीट खाली है। रोचक यह भी है कि मंडावा सीट पर बीते दो चुनाव 2014 और 2019 में मुख्य मुकाबला नरेंद्र खीचड़ और रीटा चौधरी में ही रहा है। 2014 में दोनों निर्दलीय मैदान में उतरे तो 2019 में खीचड़ भाजपा और रीटा कांग्रेस की प्रत्याशी थीं। इस बार इस सीट पर भाजपा ने कांग्रेस की बागी सुशीला सीगड़ा पर दांव लगाया है। सुशीला झुंझुनू पंचायत समिति की प्रधान हैं। पिछले साल ही कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें निकाला था। वहीं खींवसर सीट राज्य के नागौर जिले में आती है जहां कांग्रेस का मिर्धा परिवार राजनीतिक रूप से काफी मजबूत रहा है। हालांकि हनुमान बेनीवाल पहले भाजपा के नेता के रूप में, बाद में निर्दलीय तथा उसके बाद अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोप) के जरिए खींवसर सीट पर एक सशक्त नेता के रूप में उभरे हैं। दिसंबर 2019 के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीते बेनीवाल बाद में नागौर सीट से सांसद चुने गए। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने हरेंद्र मिर्धा को प्रत्याशी बनाया है। मिर्धा पहले मूंडवा सीट से विधायक रह चुके हैं। वहीं भाजपा ने यह सीट गठबंधन के तहत रालोप के लिए छोड़ी है जिसने हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल को मैदान में उतारा है। यानी कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी पुराने हैं वहीं उसके करीबी प्रतिद्वंद्वी नए हैं।

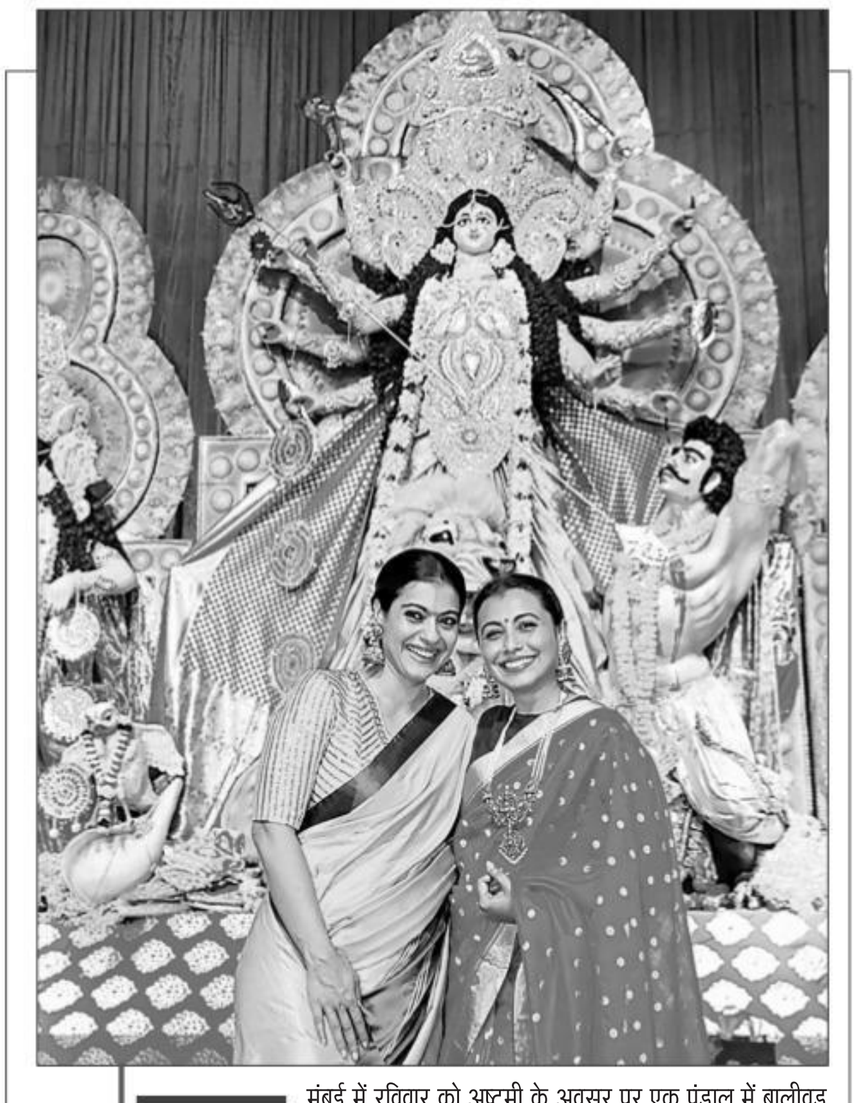

आस्था मुंबई में रविवार को अष्टमी के अवसर पर एक पंडाल में बालीवुड अदाकारा काजोल और रानी मुखर्जी।

भीड़ हिंसा को लेकर पत्र लिखने वालों पर मुकदमे वापस हों : माकपा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

माकपा ने भीड़ हिंसा के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने वाली नामचीन हस्तियों के खिलाफ देश की छवि धूमिल करने सहित अन्य आरोपों में दर्ज किए गए मामले को रद्द कर आरोप वापस लेने की मांग की है।

49 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला है दर्ज

माकपा पोलित ब्यूरो ने रविवार को बयान जारी कर इतिहासकार रामचंद्र गुहा, अदाकारा अपर्णा सेन और फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप सहित 49 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की निंदा करते हुए सरकार से इनके खिलाफ लगे आरोपों को वापस लेने की मांग की है। पोलित ब्यूरो ने कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए विख्यात 49 लोगों ने उन्मादी भीड़ की हिंसा के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री को गत जुलाई में पत्र लिखा था। माकपा आजादी के बाद से ही देशद्रोह के कानूनी प्रावधानों का विरोध करती रही है क्योंकि ब्रिटिश राज का संरक्षण करने के लिए बनाए गए इन प्रावधानों के तहत महात्मा गांधी सहित अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को हिरासत में लिया जाता था। देश जब गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहा है, इन प्रावधानों को कानून की किताब से हटाने के लिए यह उपयुक्त समय है। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर किसी महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों से अवगत कराना, अपराध नहीं हो सकता है। पोलित ब्यूरो ने सरकार की नीतियों को लेकर विरोधाभाषी मत रखने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने को लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि देश अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहा है। पार्टी ने मुजफ्फरपुर की अदालत द्वारा 49 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में ही व्यवस्था दी थी कि राज्य के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से हिंसा भड़काने पर ही देशद्रोह का मामला दर्ज किया जा सकता है। पोलित ब्यूरो ने अदालत के इस आदेश का हवाला देते हुए इन लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेते हुए मुकदमा खारिज करने की मांग की है।

श्रीगंगानगर की 336 ग्राम पंचायतों के बही-खाते हुए ऑनलाइन

जयपुर, 8 अक्तूबर (भाषा)।

एक अप्रैल से अब तक का 69.27 करोड़ के लेनदेन का ब्योरा सिस्टम में उपलब्ध

राजस्थान की श्रीगंगानर जिला परिषद की सभी 336 ग्राम पंचायतों के बही-खाते ऑनलाइन हो गए हैं। इससे इन पंचायतों द्वारा करवाए जाने वाले काम के भुगतान में गड़बड़ी की संभावना लगभग खत्म हो गई है। राज्य में इस तरह की उपलब्धि हासिल करने वाली यह पहली जिला परिषद है।

श्रीगंगानगर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ स्वामी ने बताया, 'जिला परिषद के अधीन आने वाली सभी 336 ग्राम पंचायतों के बही-खाते बीते तीन चार महीने में चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन किए गए हैं। अब हर ग्राम पंचायत के पास विभिन्न मदों में उपलब्ध राशि तथा उसके द्वारा किए गए भुगतान का सारा ब्योरा ऑनलाइन रहता है।'उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से पहले सरपंच के पास चेक से धनप्राप्ति की शक्ति थी यानी वह किसी काम के लिए चाहे वह पूरी तरह मंजूर हुआ हो या नहीं, उसके लिए किसी मद से चेक से पैसे हासिल कर सकता था। लेकिन ऑनलाइन होने के बाद ग्राम पंचायत के किसी काम के लिए धन तभी लिया जा सकता है जब तीनों (प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी) मंजूरी हासिल कर ली गई हो। साथ ही नकद के बजाय धन का हस्तांतरण खाते के जरिए होगा। इसके अलावा पिछली तारीख में भुगतान भी नहीं किया जा सकेगा और कोई सरपंच ऐसी कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा। ऐसा एक मामला सामने भी आया है। उन्होंने बताया कि एक सॉफ्टवेयर के जरिए सभी ग्राम पंचायतें अब ऑनलाइन हैं। वहां हर ग्राम पंचायत के बही-खाते में विभिन्न मद में उपलब्ध राशि का ब्योरा रहता है। काम मंजूरी के बाद के बाद वहां से राशि ठेकेदार को या आगे भेजी जा सकती है। पहले सारा लेन-देन चेक से कर दिया जाता था और बही (कैशबुक) भी कोई कर्मचारी देखता था। अब सबकुछ ऑनलाइन है। कोई ग्राम पंचायत किसी भी मद से जो भी लेनदेन करेगी वह सब ऑनलाइन रहेगा। सीईओ के रूप में वह सॉफ्टवेयर के जरिए पूरा ब्योरा देख सकते हैं। जानकारों का कहना है कि जिला परिषद की इस पहल से ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न कार्यों के भुगतान में पारदर्शिता आएगी तथा गड़बड़ी की आशंका कम होगी। राज्य सरकार ने 2014-15 के बजट में इस पहल की घोषणा की थी लेकिन सरपंचों के विरोध सहित कई कारणों के चलते इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। स्वामी ने कहा कि अब इसे चरणबद्ध तरीके से यहां पूरा कर लिया गया और राज्य में अपनी तरह की यह पहली जिला परिषद बनी है। उन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर जिला परिषद के अधीन नौ तहसीलों की 336 ग्राम पंचायतें आती हैं जिन्होंने एक अप्रैल से अब तक कुल लगभग 69.27 करोड़ रुपए का लेनदेन विभिन्न मदों में किया है और इसका पूरा ब्योरा सिस्टम में उपलब्ध है। राज्य की बाकी जिला परिषदों में इस पहल के कार्यान्वयन का ब्योरा हालांकि नहीं मिल पाया है।

राज्यों की मांग से केंद्र सकते में

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

नई शिक्षा नीति पर अमल के लिए बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों ने मांगी अतिरिक्त वित्तीय सहायता

नई शिक्षा नीति को नवंबर तक लागू करने के प्रयास में जुटी केंद्र सरकार को कई राज्यों की अतिरिक्त वित्तीय समर्थन की मांग ने परेशानी में डाल दिया है। बिहार, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, ओड़ीशा, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों ने शिक्षा पर खर्च संबंधी प्रावधानों पर अमल के लिए अतिरिक्त धन मांगा है।

हालांकि नई शिक्षा नीति के मसौदे के ज्यादातर प्रावधानों पर अधिकांश राज्यों ने सहमति व्यक्त की है, लेकिन केरल ने इसे निजीकरण एवं व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने वाला बताते हुए अस्वीकार्य कर दिया है। नीति के मसौदे में शिक्षा पर जीडीपी का छह फीसद खर्च करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करने की सिफारिश की गई है। इसी विषय को लेकर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की हाल ही में हुई बैठक में इन राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने केंद्र के समक्ष यह मांग रखी। इस बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद थे।

केब की बैठक से जुड़ी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संक्षेप रिपोर्ट के अनुसार, बिहार के शिक्षा मंत्री केएन प्रसाद वर्मा ने कहा- इस नीति को लागू करने में धन एक महत्वपूर्ण कारक है और मसौदा नीति में इसे लागू करने से संबंधित वित्तीय आयामों के बारे में कुछ खास नहीं बताया गया है। उन्होंने इसे लागू करने के लिए वित्तीय समर्थन और उपयुक्त वित्तीय योजना की जरूरत बताई। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकारी वित्त पोषित स्कूल काफी हद तक नियमन के तहत हैं और इनको जरूरत से कम धन मुहैया हो रहा है। उन्होंने कहा- मसौदा नई शिक्षा नीति में इसका कोई समधान नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई ऐसा कानून नहीं होगा जो सरकार को धन आवंटित करने के लिए बाध्य करे, तब तक इस नीति से भारत में शिक्षा का परिदृश्य नहीं बदलेगा। केब की बैठक में केरल के शिक्षा मंत्री सी रवींद्र नाथ ने संघीय ढांचे का विषय उठाया। उन्होंने इस नीति के गंभीर प्रभावों का जिक्र किया और कहा कि यह केंद्रीयकरण की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा- ऐसे में शिक्षा पर खर्च को बढ़ाना देश में शिक्षा के परिदृश्य को बेहतर बनाने का एकमात्र रास्ता है। मसौदा नई शिक्षा नीति, निजीकरण एवं व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने वाली है और इसलिए यह स्वीकार्य नहीं है।

मध्यप्रदेश, ओडिशा और पंजाब के शिक्षा मंत्रियों ने भी इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त बजटीय आवंटन एवं वित्तीय समर्थन की मांग की। राजस्थान के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह दोतासारा ने बैठक में आंगनवाड़ी कर्मियों पर आधारित कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त कोष की मांग की।

हरियाणा-महाराष्ट्र चुनाव

अनुच्छेद 370 सहित राष्ट्रीय मुद्दों पर रहेगा भाजपा का खास जोर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

भाजपा ने महाराष्ट्र और हरियाणा में दशहरे के बाद चलने वाले अपने तूफानी चुनाव अभियान को अंतिम रूप दे दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि उसके प्रमुख मुद्दों में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, मोदी सरकार का भ्रष्टाचार निरोधक अभियान और देशव्यापी एनआरसी लागू करने जैसे मुद्दे शामिल हैं।

इस तरह पार्टी इन चुनावों के लिए स्थानीय मुद्दों के साथ ही राष्ट्रीय मुद्दों पर भी पूरा जोर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 10 रैलियों को और हरियाणा में चार से पांच रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। अनुमान है कि भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह दोनों राज्यों में इसके मुकाबले दोगुनी रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि ये संख्या अनुमानित है और इसमें बदलाव हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के फैसले पर लोगों की राय जानी और लोगों की राय बेहद उत्साहजनक थी। इसके साथ ही कथित रूप से भ्रष्टाचार में शामिल प्रमुख विपक्षी नेताओं सहित कई बड़ी हस्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर भी लोगों की राय अनुकूल है।

हालांकि इन कार्रवाइयों को विपक्ष ने राजनीतिक बदला करार दिया है। भाजपा को लग रहा है कि कांग्रेस जैसे विपक्षी दल इन मुद्दों पर पूरी तरह रक्षात्मक हैं।

जल्द ही आइटीसी वेलकम हेरिटेज स्थल की सूची में शामिल हो जाएगी | **विरासत** | आजादी की लड़ाई में राजनीति का केंद्र रही है सौ साल पहले बनी यह कोठी

सैलानियों की आरामगाह में तब्दील होगी प्रयागराज की बड़ी कोठी

प्रयागराज, 6 अक्तूबर (भाषा)।

आजादी की लड़ाई में राजनीति का केंद्र रही दारागंज की बड़ी कोठी जल्द ही पर्यटकों की आरामगाह में तब्दील होने जा रही है। तकरीबन एक सौ साल पहले बनी इस कोठी के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए इसके जीर्णोद्धार का काम लगभग पूरा हो गया है। जल्द ही यह कोठी आइटीसी वेलकम हेरिटेज स्थल की सूची में शामिल हो जाएगी।

बड़ी कोठी के मालिक रंजन सिंह ने बताया कि इस कोठी का निर्माण 1820 में जींद से इलाहाबाद आए गल्ला व्यापारी पेरूमल अग्रवाल ने कराया था। नक्काशीदार दीवारों, जालीदार झरोखों और पत्थरों की महीन कटाई करके बनाए गए छज्जों से सजी इस कोठी को जैसलमेर के कारीगरों ने तैयार किया था।

कोठी की खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी और कहते हैं कि इस तरह की कोई दूसरी कोठी न बने, इसलिए मुख्य कारीगर ने अपने दाएं हाथ की पांचों अंगुलियां काट दी थी। उन्होंने बताया कि पेरूमल अग्रवाल ने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया और इलाहाबाद में बड़े पैमाने पर कत्लेआम रुकवाने के लिए विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए तैयार किया। इससे खुश होकर लॉर्ड कैनिंग की सिफारिश पर महारानी विक्टोरिया की ओर से पेरूमल अग्रवाल को राय की उपाधि से सम्मानित किया गया। सिंह ने कहा कि राय पेरूमल के पोते राय अमरनाथ अग्रवाल ने अपने दादा की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया और कांग्रेस में शामिल होकर देश की आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। 1942 में गांधी जी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं संग राय अमरनाथ भी साढ़े तीन वर्ष जेल में रहे। उन्होंने बताया कि इस कोठी में रात 11 बजे कांग्रेस के कार्यकर्ता आकर बुलेटिन छापते थे और सुबह तीन बजे उस बुलेटिन को लेकर पूरे शहर के तमाम घरों में डालते थे और उनके इस काम की किसी को कानोकान खबर नहीं होती थी। बड़ी कोठी में योग शिक्षक रवि वर्मा ने बताया कि यहां राय अमरनाथ से मिलने जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाल बहादुर शास्त्री, राज कपूर, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, आचार्य राम चंद्र शुक्ल आदि आते थे। वर्मा ने बताया कि राय अमरनाथ की कार से जवाहरलाल नेहरू चुनाव अभियान चलाते थे और चुनाव में जो भी खर्च आता था, वह राय अमरनाथ वहन करते थे। आजादी से पहले राय अमरनाथ संयुक्त प्रांत के पार्षद मनोनीत हुए और आजादी के बाद वह राज्यसभा के सदस्य चुने गए। वह आजादी के बाद कांग्रेस के 10 वर्ष तक महासचिव रहे।

उन्होंने बताया कि इस कोठी में रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस का काम देखा करते थे और उनका कमरा आज भी मौजूद है, जहां उनका एक बक्सा बंद पड़ा है। इसके अलावा यहां लोहे के बने आठ बक्से, लोहे की बनी आठ तिजोरियां, एक जेल और तीन तहखाने मौजूद हैं। राय अमरनाथ के बाद उनके पुत्र सुरेश अग्रवाल के नाम पर कोठी दर्ज हुई। एक सड़क दुर्घटना में सुरेश अग्रवाल के बेटे दुर्गेश अग्रवाल को छोड़कर पूरे परिवार की मृत्यु हो गई। दुर्गेश अग्रवाल ने अपने घनिष्ट मित्र रंजन सिंह को यह कोठी बेच दी।

रंजन सिंह ने बताया कि उन्होंने 2017 में धनतेरस के दिन इस कोठी का बैनामा 2.04 करोड़ रुपए में किया और इसके जीर्णोद्धार में अब तक 80 लाख रुपए लग चुके हैं। कोठी में कुल 25 कमरे हैं इसका क्षेत्रफल 1250 वर्ग गज है। रात के समय कोठी की जालीदार खिड़कियों से छनकर आती रोशनी इसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है। तीन मंजिला कोठी में पहले तल पर रेस्टोरेंट और उससे जुड़ी अन्य सुविधाएं होंगी। पहली मंजिल पर पर्यटकों के ठहरने के इंतजाम के साथ ही ध्यान कक्ष भी बनाया गया है। कोठी की छत पर पर्यटकों के लिए तरणताल की व्यवस्था की गई है।

श्रीनगर : साप्ताहिक बाजार में भीड़

श्रीनगर, 6 अक्तूबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में रविवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार में सामान खरीदने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा जबकि शहर में सुबह के वक्त कुछ दुकानें खुलीं।

अधिकारियों ने बताया कि समूचे कश्मीर में मुख्य बाजार बंद रहे और अधिकतर सार्वजनिक परिवहन भी सड़कों पर नहीं दिखे। इसके चलते घाटी में लगातार 63वें दिन जनजीवन प्रभावित रहा। उन्होंने बताया कि साप्ताहिक बाजार को यहां रविवार बाजार कहा जाता है, जिसमें कई दुकानदारों ने टीआरसी चौक-लाल चौक रोड पर अपने स्टॉल लगाए।

उन्होंने कहा कि बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ थी क्योंकि सर्दी के मौसम की धमक को देखते हुए लोग कपड़े एवं अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए आए थे। अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर में दूसरे बाजार और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे, हालांकि शहर में सुबह 11 बजे तक कुछ दुकानें खुली रहीं, लेकिन इसके बाद उन्होंने दुकानों का शटर गिरा दिया। उन्होंने कहा कि यहां कुछ ऑटोरिक्शा और एक जिले से दूसरे जिले जाने वाली कुछ कैब को सड़कों पर देखा गया, हालांकि सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधन सड़कों पर नहीं दिखे।

कश्मीर के हालात सामान्य, अनुच्छेद 370 को हटाने से लोग खुश : जावडेकर

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर (भाषा)।

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं और अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त किए जाने से वहां के लोग खुश हैं क्योंकि उन्हें अब शेष देश के नागरिकों की तरह ही फायदे और अधिकार मिलेंगे।

जावड़ेकर ने पत्रकारों से कहा कि घाटी में मीडिया पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है और बिना किसी कठिनाई के अखबारों का प्रकाशन किया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया कि भाजपा हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को वापस लेने के फैसले को चुनावी मुद्दे की तरह इस्तेमाल कर रही है। जावड़ेकर ने कहा, 'अनुच्छेद 370 हटाना जनता की आकांक्षा पर खरा उतरा है। पूरे देश में लोग इसका स्वागत कर रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'घाटी के लोग सरकार के कदम का स्वागत कर रहे हैं। इससे उन्हें फायदा पहुंचेगा।'

सूचना व प्रसारण मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अब सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। शिक्षा के अधिकार के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 25 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश मिलेगा। यह जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था, लेकिन अब लागू होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता को अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के लिए अनेक योजनाओं के लाभ नहीं मिलते थे, लेकिन अब उन्हें ये फायदे मिलेंगे। इसी तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को राज्य में कोई राजनीतिक आरक्षण नहीं मिलता था लेकिन अब वह भी मिलेगा। जावड़ेकर ने कहा, 'गृह मंत्री ने 126 कानूनों की सूची दी जो कश्मीर में लागू नहीं होते लेकिन अब वहां लागू हैं। लोग इनका फायदा उठा रहे हैं और इसलिए वे खुश हैं।'

विमान दुर्घटना में पायलट, प्रशिक्षु पायलट की मौत

हैदराबाद, 6 अक्तूबर (भाषा)।

तेलंगाना के विकाराबाद जिले में रविवार को विमान प्रशिक्षण संस्थान से उड़ान भरने वाले विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की घटना में पायलट और एक महिला प्रशिक्षु की मौत हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षक विमान ने बेगमपेट स्थित राजीव गांधी विमानन संस्थान से सुबह 11 बजे उड़ान भरा था और कर्नाटक के कलबुर्गी जा रहा था।

पुलिस ने बताया कि घटना जिले के बंटवारम मंडल के सुल्तानपुर गांव में एक कपास के खेत में हुए इस हादसे में पायलट और महिला प्रशिक्षु की मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि घटना जिले के बंटवारम मंडल के सुल्तानपुर गांव में एक कपास के खेत में हुए इस हादसे में पायलट और महिला प्रशिक्षु की मौत हो गई। मरने वाले की पहचान पायलट प्रकाश विशाल (22) और प्रशिक्षु पायलट अमनदीप कौर (20) के रूप में की गई है। एक ग्रामीण ने बताया कि जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उस वक्त भारी बारिश हो रही थी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

दत्तक संस्थाओं में तीन साल में 776 शिशुओं की मौत

नयी दिल्ली, 6 अक्तूबर (भाषा)।

असुरक्षित तरीके से शिशुओं को खुले में छोड़ देने, दस्त और श्वसन तंत्र में गंभीर संक्रमण ऐसी मुख्य वजहें हैं जिसके कारण तीन साल में विशेषीकृत दत्तक संस्थाओं में 776 बच्चों की मौत हो गई। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) ने यह बताया है ।

सूचना के अधिकार कानून (आरटीआइ) के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में 'कारा' ने बताया है कि राज्य सरकारों और एनजीओ दोनों की ओर से चलाई जाने वाली दत्तक संस्थाओं में 0-6 उम्र समूह में बच्चों की मौत के अन्य कारणों में समय पूर्व जन्म के कारण जटिलताएं और जन्मजात विसंगतियां शामिल हैं।

इस साल जुलाई में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि पिछले तीन साल में गोद देने वाली संस्थाओं में 776 बच्चों की मौत हो गई। सूचना का अधिकार कानून के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में दिए गए आंकड़े के मुताबिक, विभिन्न राज्यों में 434 दत्तक ग्रहण संस्थाओं में से 355 का संचालन एनजीओ तथा 79 का संचालन सरकारों द्वारा किया जाता है।

'कारा' ने कहा है कि 44 सरकारी दत्तक ग्रहण संस्थानों और एनजीओ संचालित 283 दत्तक ग्रहण केंद्रों से बच्चों की मौत के मामले सामने आए। अधिकारी के मुताबिक, दत्तक ग्रहण संस्थाओं में 7074 बच्चे हैं, इनमें कुछ अनाथ या बेसहारा हैं और कुछ के परिवार हैं लेकिन उन्हें गोद देने वाली संस्थाओं में रखा गया है। इन संस्थाओं में मौजूद कुल बच्चों में 10 प्रतिशत की मौत हो गई। जवाब के मुताबिक, एक अप्रैल 2016 से इस साल आठ जुलाई तक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 124 बच्चों की मौत हुई। इसके बाद बिहार में 107 और महाराष्ट्र में 81 बच्चों की मौत हो गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इनमें से कुछ मामलों में बच्चों को दत्तक ग्रहण संस्थानों में बेहद नाजुक हालत में लाया गया था और उनके जीवित बचने के आसार बहुत कम थे। अधिकारी ने कहा कि अगर उन्हें समय पर भी उन्हें इन संस्थाओं में लाया गया तो भी वे इतने बीमार थे कि उपचार के बावजूद वे बच नहीं पाए। मध्य दिल्ली में गोद देने वाली संस्था में देखरेख करने वाले एक कर्मचारी ने कहा कि कई बार उन्हें बच्चे छोड़े जाने के 48 घंटे बाद मिले।

मृत्यु के मुख्य कारणों में दस्त, असुरक्षित तरीके से छोड़ा जाना भी: आरटीआइ

जवाब के मुताबिक, एक अप्रैल 2016 से इस साल आठ जुलाई तक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 124 बच्चों की मौत हुई।

पेरिस में कल रफाल विमान मिलने के बाद शस्त्र पूजा करेंगे राजनाथ

पेज 1 का बाकी

करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को बोर्डेक्स के मेरीगनैस सबअर्ब पर पहला रफाल लड़ाकू विमान प्राप्त करने के बाद सिंह शस्त्रपूजा करेंगे। पूजा करने के बाद वह विमान में उड़ान भरेंगे।

मंगलवार की सुबह बोर्डेक्स के लिए रवाना होने से पहले सिंह पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों से मिलेंगे। दोनों के बीच रक्षा व सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सिंह को रफाल सौंपने का कार्यक्रम पेरिस से करीब 590 किलोमीटर दूर विमान की निर्माता कंपनी दसौ एविएशन के संयंत्र में है।

हालांकि 36 विमानों में से पहला विमान रक्षा मंत्री को मंगलवार को ही मिल जाएगा लेकिन चार विमानों की पहली खेप अगले वर्ष मई में भारत पहुंचेगी। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता भारत भूषण बाबू ने बताया, 'रक्षा मंत्री मेरीगनैक में फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले के साथ रफाल सौंपने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वह विजयदशमी के पावन अवसर पर शस्त्रपूजा भी करेंगे और विमान में उड़ान भी भरेंगे।' बाबू ने कहा कि सिंह नौ अक्तूबर को फ्रांस की शीर्ष आयुद्ध कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करेंगे।

पीओके से सीमा की ओर आ रहे प्रदर्शनकारी रोके गए

पेज 1 का बाकी

को मार्च शुरू किया था और पीओके के विभिन्न हिस्सों से मुजफ्फराबाद एकत्र होकर एलओसी की ओर रवाना हुए थे। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर युवा हैं और रविवार को इन्होंने गढ़ी दुपट्टा से मार्च की शुरुआत की। प्रदर्शनकारी पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद से शनिवार को गढ़ी दुपट्टा पहुंचे थे और रात वहीं रुके थे। वे रविवार को मुजफ्फराबाद-श्रीनगर राजमार्ग पर आगे बढ़े लेकिन प्रशासन ने नियंत्रण रेखा से छह से आठ किलोमीटर पहले ही जिसकूल में कंटीले तार और कंटेनर से रास्ते को बाधित कर दिया।

कुछ प्रदर्शनकारियों ने अवरोधक हटाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। अन्य ने कंटेनर पर चढ़कर अवरोधक पार करने की कोशिश लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी की वजह से वे सफल नहीं हुए। इस प्रदर्शन का आयोजन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) ने किया था। जेकेएलएफ के स्थानीय नेता रफीक डार ने मीडिया को बताया कि प्रदर्शनकारियों को एलओसी से तीन किलोमीटर दूर चकोटी तक जाने की इजाजत देने के लिए प्रशासन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। डार ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह ने भी उनसे संपर्क किया है। उन्होंने दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान से शांतिपूर्ण मार्च पर बल प्रयोग नहीं करने को कहा है।

प्रदर्शन के आयोजकों ने इसे 'आजादी मार्च' करार देते हुए घोषणा की थी कि वे एलओसी पार कर कश्मीर के लोगों के प्रति एकजुटता प्रकट करेंगे। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी भारत विरोधी नारे लगा रहे थे और उनके हाथों में भारत विरोधी संदेश वाले बैनर थे। इस बीच, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका के सीनेटर क्रिस वान होलेन से अपील की है कि वह जमीनी हकीकत देखने के लिए सीमा के दोनों तरफ का जायजा लें। कुरैशी ने विदेश विभाग, विदेश संचालन और संबंधित कार्यक्रम विनियोग विधेयक- 2020 में संशोधन प्रस्तावित करने और कश्मीर में कथित मानवीय संकट पर स्पष्ट रूप से चिंता जताने के लिए सीनेटर की प्रशंसा की।

पार्टी ने की अपील, राजनीतिक प्रक्रिया के लिए सभी नेता रिहा हों

पेज 1 का बाकी

अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने का ऐलान किया था। उमर ने पार्टी नेताओं के साथ सेल्फी ली जिसमें वे दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल फारूक अब्दुल्ला के घर गया। बैठक के बाद राणा ने पत्रकारों से कहा कि कोई भी राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए पार्टी नेताओं को रिहा किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि घटनाक्रम को लेकर खासकर लोगों को कैद करने को लेकर नाराजगी है। हम एक पार्टी के तौर पर अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने तथा लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सभी राजनीतिक कैदियों, चाहे वे मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टी के हों या अन्य हों और उनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो, उन्हें छोड़ा जाना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों को जीता जा सके।

प्रखंड विकास समिति के चुनाव में नेकां के हिस्सा लेने के सवाल पर उन्होंने कहा, 'देखिए पूरी तरह से नाकेबंदी है। अगर राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करनी है तो इन सदस्यों को छोड़ा जाना चाहिए।' राणा ने कहा कि नेकां के मामले में, अगर हम बीडीसी चुनाव लड़ना चाहें तो आज्ञा पत्र पर पार्टी अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं जो दुर्भाग्य से पीएसए के तहत हिरासत में हैं।

राणा ने कहा, 'जम्मू में राजनीतिक नेताओं की गतिविधियों पर लगी पाबंदियों के हटने के बाद, हमने बैठक में निर्णय किया कि हम राज्यपाल (एसपी मलिक) से संपर्क करेंगे और पार्टी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से मुलाकात के लिए उनसे इजाजत मांगेंगे।' उन्होंने बताया, 'हम खुश हैं कि दोनों ठीक हैं और उनका मनोबल ऊंचा है। जाहिर तौर पर वे घटनाक्रम को लेकर खासकर लोगों को कैद करने को लेकर दुखी और गुस्सा थे।' नेकां नेता ने कहा कि जब भी पार्टी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को रिहा किया जाएगा तो पार्टी की कार्यकारी समिति भविष्य की कार्रवाई पर निर्णय करेगी। उधर पीडीपी का एक शिष्टमंडल आज (सोमवार को) श्रीनगर में पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती से मिलेगा। महबूबा फिलहाल श्रीनगर में नजरबंद हैं। पीडीपी के पूर्व विधायक और प्रवक्ता फिरदौस टाक ने बताया कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के शिष्टमंडल का नेतृत्व महासचिव वेद महाजन करेंगे।

पांच अगस्त के बाद पीडीपी नेताओं की मुफ्ती के साथ यह पहली बैठक होगी। टाक ने कहा कि पीडीपी ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक से अनुरोध किया है कि वह जम्मू से पार्टी के एक शिष्टमंडल को मुफ्ती से मिलने की अनुमति दें।

तीन बिल्डरों की 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क

पेज 1 का बाकी

बनाईं। आरोपियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश का भी उल्लंघन किया। इसको लेकर थाना बिसरख में 86 मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत 15 मामलों में कार्रवाई की गई है।

इमारत निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। इमारतें कमजोर हैं और फिर 17 जुलाई, 2018 जैसा हादसा होने की आशंका है। गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत मामलों में प्रशासन ने पुलिस व राजस्व विभाग से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट के आधार पर धारा 14 (1) के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई है।

उन्होंने बताया कि मान सिंह प्रॉपर्टीज एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के 45 फ्लैटों की कुर्की की गई है। इस कंपनी के निदेशक जसवीर मान निवासी गौतम नगर, दिल्ली को गिरफ्तार किया जा चुका है। मान बिल्डर के आशियाना होम्स, मान अपार्टमेंट, ड्रीम होम्स, सृष्टि अपार्टमेंट, आशुतोष अपार्टमेंट व वृंदावन गार्डन में खाली फ्लैटों की कुर्की की गई है।

ऐसे ही, मुदगल्स होम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सूरज व महेश शर्मा निवासी विजय नगर गाजियाबाद के 29 फ्लैट व एक दुकान की कुर्की की गई है। शाहबेरी के खसरा संख्या- पांच में 224.07 वर्ग मीटर के भूखंड पर बनाई जा रही बहुमंजिला इमारत 17 जुलाई, 2018 को गिर गई थी। इसके मलबे में दबकर नौ व्यक्तियों की मौत हुई थी। यह भूखंड सलीमुद्दीन व शाबुद्दीन का है। गत दिनों शाबुद्दीन को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) में निरुद्ध किया गया था। प्रशासन ने रविवार को इस भूखंड की भी कुर्की कर दी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्ण ने बताया कि इस मामले में थाना बिसरख में 227 बिल्डर व कॉलोनी काटने वालों पर 86 मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत 38 आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। अभी तक 52 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि 148 आरोपियों ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया है। इसके अलावा 65 आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

फ्लैट खरीद कर रजिस्ट्री कराकर रहने वालों पर नहीं होगी कार्रवाई

शाहबेरी में जिन खरीदारों ने बिल्डरों से फ्लैट खरीदकर रजिस्ट्री करा रखी है, जिला प्रशासन उनके फ्लैटों की कुर्क नहीं करेगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कुर्क किए गए सभी फ्लैटों पर बिल्डर का मालिकाना हक है। इसकी रिपोर्ट निबंधन कार्यालय से ली गई है। फ्लैट की रजिस्ट्री कराकर रहने वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने फ्लैट खरीदने के लिए बिल्डरों को रुपए दे दिए हैं तो वह तीन महीने के भीतर दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत कर सकता है। उस मामले में अलग से जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी

समस्या को शुरू में ही रोकने के लिए ई-सिगरेट पर पाबंदी : हर्षवर्द्धन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि ई-सिगरेटों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला अत्यंत आवश्यक हो गया था क्योंकि युवाओं के बीच यह समस्या विकराल होती जा रही थी। इस तरह के उत्पादों को अनुमति देने से सरकार के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की अवहेलना भी होती। ई-सिगरेटों पर प्रतिबंध को अत्यंत प्रभावी मानते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि अध्यादेश लाकर इस समस्या को शुरूआत में ही समाप्त कर दिया गया। सरकार ने 18 सितंबर को एक अध्यादेश जारी करके धूम्रपान के इस तरह के वैकल्पिक उपायों के निर्माण, उत्पादन, आयात, निर्यात भंडारण या विज्ञापन को संज्ञेय अपराध घोषित किया था।

चुनाव प्रचार नहीं करेंगे नवजोत

पेज 1 का बाकी

विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले सिद्धू ने लोकसभा के चुनाव में पार्टी के पक्ष में पूरे देश में धूम-घूमकर चुनाव प्रचार किया था। लेकिन अब हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम नहीं शामिल किया गया है। हरियाणा के लिए जारी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और सूबे के कांग्रेसी मुखिया सुनील जाखड़ का नाम तो शामिल किया गया है लेकिन सिद्धू का नाम गायब है।

हरियाणा कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष अजय यादव ने कहा कि स्टार प्रचारकों की सूची बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रदेश कांग्रेस तथा उम्मीदवारों की ओर से किन प्रचारकों की मांग ज्यादा है। जाहिर तौर पर जिन लोगों की मांग ज्यादा है उनके नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किए गए हैं।

पंजाब सरकार में मंत्री रहे सिद्धू ने पिछले दिनों सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से अपने मतभेदों के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से उन्होंने मीडिया से दूरी बना रखी है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने दोस्त इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान जाने और वहां पाकिस्तान सेनाध्यक्ष से गले मिलने को लेकर सिद्धू आलोचना के दायरे में आ गए। राजनीतिक विरोधियों ने उन पर जमकर हमला किया। चूंकि हरियाणा से बहुत बड़ी संख्या में जवान सेना और अर्धसैनिक बलों में तैनात हैं और भाजपा ने राष्ट्रवाद और जम्मू कश्मीर से अनच्छेद 370 को हटाए जाने को ही प्रमुख मुद्दा बना रखा है। ऐसे में कांग्रेस ने सिद्धू को विधानसभा चुनाव प्रचार से दूर रखने का फैसला किया है।

सीएनजी, पीएनजी के दाम घटे

पेज 1 का बाकी

गाजियाबाद में यह 51.35 रुपए किलो होगा। आइजीएल द्वारा अन्य क्षेत्रों में आपूर्ति की जाने वाली सीएनजी की कीमत पहले की ही तरह बनी रहेगी। आइजीएल ने अलग से मोबाइल पर भेजे संदेश में सूचना दी है कि प्राकृतिक गैस के ग्राहकों के लिए कीमत दिल्ली में 90 पैसे प्रति घन मीटर तथा उत्तर प्रदेश में 40 पैसे प्रति इकाई कम होगी। बयान के अनुसार पाइप के जरिए घरों में पहुंचने वाली रसोई गैस (पीएनजी) के दाम दोनों जगह 30.10 रुपए प्रति घन मीटर होगा। कंपनी ने आइजीएल सीएनजी स्टेशनों पर आइजीएल स्मार्ट कार्ड के जरिए सीएनजी लेने पर नई 'कैशबैक' योजना की भी पेशकश की है। पूरे देश में दिल्ली में सीएनजी सबसे सस्ती होगी।

बयान के अनुसार, 'रात में सीएनजी लेने को बढ़ावा देने के लिए आइजीएल ने एक रुपए प्रति किलो की छूट की पेशकश की है। यह छूट रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक सीएनजी लेने वाले ग्राहकों को दी जाएगी। यह छूट दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में आइजीएल के चुनिंदा सीएनजी स्टेशनों पर दी जाएगी।' इससे ग्राहकों के लिए सीएनजी की कीमत दिल्ली में चुनिंदा सीएनजी स्टेशनों पर रात 12 बजे से सुबह छह बजे से 44.20 रुपए और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 50.35 रुपए किलो होगी।

आरे कॉलोनी : 29 प्रदर्शनकारियों को सशर्त जमानत

मुंबई, 6 अक्तूबर (भाषा)।

मुंबई की एक सत्र अदालत ने आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डालने और उन पर हमला करने के आरोप में बीते दो दिनों में गिरफ्तार किए गए 29 प्रदर्शनकारियों को रविवार को जमानत दे दी।

अवकाशकालीन अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एचसी शिंदे ने कुछ शर्तों के साथ प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का आदेश दिया। इन शर्तों में, सात हजार रुपए का निजी मुचलका और यह आश्वासन शामिल है कि वे प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे।

सुप्रीम कोर्ट का विशेष पीठ आज करेगा सुनवाई

पेज 1 का बाकी

लिया जाए कि मामले में सोमवार (सात अक्तूबर), 2019 को सुबह 10 बजे सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के आरे वन्य क्षेत्र में पेड़ गिराए जाने के संबंध में ऋषव रंजन के छह अक्तूबर, 2019 के पत्र के आधार पर यह निर्णय लिया गया है और इस पत्र को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज किया गया है।'

निषेधाज्ञा के बीच पेड़ों की कटाई

पेज 1 का बाकी

अधिकारी ने कहा कि हालात जल्द सामान्य होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि आरे कॉलोनी में आदिवासी बस्तियों में गश्त बढ़ा दी गई और वहां एकत्रित पाए गए लोगों को हिरासत में लेकर उचित जांच-पड़ताल के बाद छोड़ दिया जा रहा है।

आरे कॉलोनी में मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (एमएमआरसीएल) द्वारा पेड़ों की कटाई को रोकने की कोशिश कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच शनिवार को झड़प हो गई थी, जिसमें कम से कम 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इलाके में कई पेड़ काटे जा चुके हैं और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि पेड़ों की कटाई पूरी होने तक इलाके में धारा 144 लागू रहेगी। उधर पेड़ कटाई का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं के समर्थन में वहां जाने का प्रयास करने वाले दलित नेता प्रकाश आंबेडकर को रविवार को हिरासत में ले लिया गया। आंबेडकर ने आरोप लगाया कि पेड़ की कटाई का विरोध करने वालों की आवाज को बंद कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार 'बाहुबल' का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस ने शनिवार को आरे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और समूह में लोगों की आवाजाही अथवा एकत्र होने को प्रतिबंधित कर दिया गया है ।

वंचित बहुजन आघाड़ी (वीबीए) प्रमुख प्रकाश आंबेडकर गोरेगांव के निकट आरे इलाके में उन लोगों के समर्थन में पहुंचे जो वहां पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में ले लिया।

राहुल गए परदेस, भाजपा के तंज पर कांग्रेस का पलटवार

पेज 1 का बाकी

चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। हालांकि चुनाव से ठीक पहले उनके विदेश दौरे को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ऐसी चर्चा लगातार हो रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से नाराज चल रहे राहुल इन दोनों राज्यों के चुनाव प्रचार से अलग रहने का फैसला कर सकते हैं।

राहुल इससे पहले 2015 में भी वह 60 दिनों के लिए बैंकॉक और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की यात्रा पर गए थे। उस वक्त भी राजनीतिक विरोधियों ने उनकी इस यात्रा पर सवाल खड़े किए थे। उसके बाद से ऐसा देखा जाता रहा कि विदेश दौरे पर जाने के पहले राहुल अपने ट्विटर हैंडल पर बाकायदा इसकी जानकारी साझा भी करने लगे। लेकिन शनिवार को अपने दौरे को लेकर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया।

हुड्डा व कई अन्य नेताओं ने नहीं पूछा एक भी सवाल

पेज 1 का बाकी

की 13वीं विधानसभा में पिछले पांच साल में सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों की ओर से पूछे गए कुल 1797 सवालों में सर्वाधिक हिस्सेदारी विपक्षी दल कांग्रेस की किरण चौधरी की रही जबकि 180 सवाल पूछकर नैना सिंह चौटाला दूसरे नंबर पर रहीं।

चुनाव सुधार प्रक्रिया से जुड़ी शोध संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा रविवार को जारी किए गए हरियाणा विधानसभा के कामकाज के रिपोर्ट कार्ड के अनुसार राज्य के 90 विधायकों में तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने पांच साल में सर्वाधिक 225 सवाल पूछे। सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत एडीआर द्वारा जुटाई गई जानकारी के आधार पर संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सवाल पूछने के मामले में दूसरे स्थान पर डबवाली से विधायक नैना सिंह चौटाला रहीं। जननायक जनता पार्टी की नेता नैना चौटाला ने सदन में कुल 180 सवाल पूछे। रिपोर्ट कार्ड में पिछली विधानसभा में एक भी सवाल नहीं पूछने वाले 16 विधायकों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी शामिल किया गया है।

इन 12 सदस्यों के अलावा अन्य चार सदस्य कांग्रेस के गढ़ी सांपला किलोई सीट से विधायक हुड्डा और कैथल से विधायक सुरजेवाला, बेरी से विधायक रघुवीर सिंह कादियान और मेहम से विधायक आनंद सिंह दांगी शामिल हैं। दिलचस्प यह भी है कि ये सारे नेता विधायक बनने की चाहत लिए एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं।

एडीआर को विधानसभा सचिवालय ने विधायकों की सदन में उपस्थिति की जानकारी देने से इनकार कर दिया। विधानसभा सचिवालय ने दलील दी है कि इस तरह की सूचनाओं को विधानसभा की कार्यवाही संबंधी नियमों और आरटीआइ अधिनियम के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है।

epaper.jansatta.com

पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा हो कविता पाठ : नायडू

भुवनेश्वर, 6 अक्तूबर (भाषा)।

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को विद्यालयों से कविता को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह सामाजिक बदलाव का सशक्त माध्यम हो सकती है। शांति को प्रगति के लिए पूर्व–शर्त बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि शांति, प्रसन्नता, भाईचारा और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए कविता शक्तिशाली माध्यम हो सकती है।

नायडू ने यहां कवियों के 39वें विश्व सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 'मैं विद्यालयों से कविता पाठ और उनके प्रोत्साहन को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाने का आग्रह करता हूं।' उपराष्ट्रपति ने कहा, 'मैं विश्वविद्यालयों से साहित्य, कला और मानविकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भी कहता हूं। हमें कवियों और लेखकों, कलाकारों और गायकों की भी उतनी ही जरूरत है जितनी हमें डॉक्टरों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की आवश्यकता है।' नायडू ने कहा कि कविता को शांति को बढ़ावा देना चाहिए, लोगों को सार्वभौमिक भाईचारे, सामाजिक सद्भाव और सहिष्णुता विकसित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा, 'कविता शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकती है जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज बना सकती है।' उन्होंने जोर देकर कहा कि एक प्रबुद्ध और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए कला और संस्कृति को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कला समाज में रचनात्मकता का पोषण करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रचनात्मक आवाज के बिना, समाज स्थिर हो जाएगा ।

नीतीश कुमार फिर से जद (एकी) के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए

इस पद के लिए नीतीश एकमात्र उम्मीदवार थे

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर (भाषा)।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक और कार्यकाल के लिए जद (एकी) का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। उनकी पार्टी ने रविवार को यह घोषणा की।

जनता दल यूनाइटेड – जद (एकी) – के राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी अनिल हेगड़े ने बताया कि इस पद के लिए नीतीश एकमात्र उम्मीदवार थे और रविवार को नामांकन वापस लेने का समय समाप्त होने के बाद उन्हें पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। नीतीश की ओर से पार्टी के नेताओं के समूहों ने नामांकन पत्र के चार सेट दाखिल किए थे।

ऐसे वक्त जब भाजपा के साथ जद (एकी) का गठबंधन असहज दौर से गुजर रहा है, पार्टी के अविवादित नेता के तौर पर नीतीश राज्य में 21 अक्तूबर को होने वाले उपचुनावों और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जद (एकी) का नेतृत्व करेंगे।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित भाजपा के कई नेताओं ने राज्य में, खासतौर पर पटना में आई हालिया बाढ़ से निपटने में सरकार की अक्षमता सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर उनके नेतृत्व की आलोचना है।

भाजपा के एक अन्य नेता व विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) संजय पासवान ने यह मांग की है कि नीतीश मुख्यमंत्री पद के लिए अब भगवा पार्टी के किसी नेता का मार्ग प्रशस्त करें। राजनीतिक विश्लेषक इस हालिया घटनाक्रम को भारी जनादेश के साथ केंद्र की सत्ता में आने के बाद भाजपा द्वारा राजग के अन्य घटक दलों पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं।

वहीं, जद (एकी) का मानना है कि नीतीश राजग के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हुए हैं और वह भाजपा के लिए कोई गुंजाइश छोड़ने को इच्छुक नहीं हैं।

नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में 40 वर्षीय व्यक्ति को तीन वर्ष की सजा

ठाणे, छह अक्तूबर (भाषा)।

महाराष्ट्र की एक अदालत ने 40 वर्षीय एक व्यक्ति को 13 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ करने के जुर्म में तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष पोक्सो अदालत के न्यायाधीश आरवी ताम्हणेकर ने पिछले सप्ताह के अपने आदेश में कहा कि ऐसे मामलों में ढील से समाज में गलत संदेश जाएगा। उन्होंने आरोपी कलामुद्दीन मोहम्मद नसीर खान पर छह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। खान नवी मुंबई के दीघा गांव में एक दुकान चलाता था।

अभियोजक पक्ष के अनुसार आरोपी और बच्ची एक ही इलाके में रहते थे। घटना से पहले भी आरोपी ने कई बार उसका पीछा किया था, जिसके लिए लड़की के माता–पिता ने उसे फटकार भी लगाई थी। बच्ची 23 जून 2017 को सार्वजनिक शौचालय गई थी लेकिन रोती हुई बाहर निकली।

माता–पिता के पूछने पर उसने बताया कि आरोपी उसके पीछे–पीछे शौचालय में आ गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। आरोपी ने घटना की जानकारी किसी को भी देने पर उसके माता–पिता को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी थी।

अभिभावकों के शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ भादंवि की धारा 354 और 506 के साथ ही पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

बस और दो कारों में भिड़ंत से लगी आग में दो लोग जिंदा जले

जयपुर, 6 अक्तूबर (भाषा)।

राजस्थान के बाड़मेर जिले के नागाणा थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक तेज गति अनियंत्रित निजी बस की दो कारों से भिड़ंत होने के बाद एक कार में आग लग गई, जिससे उसमें सवार दो लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई।

थानाधिकारी बलदेव राम ने रविवार को बताया, 'कवास गांव के पास माडपुरा टोल फाटक पर गडरा रोड से जयपुर जा रही एक तेज गति की अनियंत्रित निजी बस गाय को बचाने के चक्कर में दो कारों से टकरा गई, जिससे एक कार में आग लग गई और उसमें सवार गणपत सोनी उर्फ गणेश (22) और प्रतीक सोनी उर्फ सोनू (18) की जिंदा जलने से मौत हो गई।'

LML

NOTICE FOR SALE OF ASSETS
LML LIMITED (In Liquidation)
(Sale under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)

Location	Asset/Area	Block No.	Reserve Price (Rs. Crore)
Kanpur	Land & Building at C-10, Site-II, Panki Industrial Area, Kanpur, UP (Area 67.56 acres)	1	245.00
Mumbai	Office at 103 TO 112, Building A, Kalpita Enclave Cooperative Housing Society, Swami Nityanand Marg, Andheri East, Mumbai-400069 (Area 7338 sqft)	2	10.575

Last Date to apply: Monday, November 4, 2019, **Date of E-Auction:** Tuesday, November 5, 2019
For Details: Visit www.lmlworld.in and https://ncltauction.auctiontiger.net
Contact: CA. Anil Bhatia, Tel No. 011-41066313, Mob. No.: +91 9899224476
Email id: lml.auction@gmail.com

Sd/-
Arun Gupta, Liquidator
IBBI Reg. No: IBBI/IPA-002/IP-N00051/2016-17/10095
Date: 07.10.2019 **Regd. Address:** A-57, Sector 30, Noida-201301, UP, India
Place: New Delhi **Regd. Email:** arungupta2211@gmail.com

Form No. INC-26
[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another
BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013
and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the matter of Com First India Private Limited (CIN: U74899DL1991PTC042962) having its registered office at A - 29, Gulmohar Park, New Delhi - 110049, Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government (Powers delegated to Regional Director) under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Annual General Meeting held on 30th September, 2019 to enable the Company to change its Registered Office from "State of Delhi" to "State of Haryana".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver **either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form** or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi – 110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its registered office at the address mentioned below:

Com First India Private Limited
A-29, Gulmohar Park,New Delhi-110049.
For Com First India Private Limited
Sd/-
Date: 07.10.2019 **Mahesh Kumar Uppal**
Place: Delhi **Director DIN : 01139637**

एस.बी.आई. इन्फ्रा मैनेजमेंट सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड (एस.बी.आई.आई.एम.एस.)
(एस.बी.आई. की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी)
अमरावती मण्डल कार्यालय, दूसरा तल, एस.बी.आई. अमरावती एल एच ओ बिल्डिंग, गनफौन्ड्री, अबिड्स,हैदराबाद-500 001 दूरभाष: 040-23387364, 365

सुरक्षा एवं आग सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ती, प्रतिस्थापना, अनुरक्षण आदि से संबन्धित विक्रेताओं / फ़र्म को पैनेल में शामिल करना

आंध्र प्रदेश राज्य तथा यानाम में स्थित एसबीआई की शाखाओं / कार्यालयों में सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ती, प्रतिस्थापना, अनुरक्षण आदि कार्यों के लिए टेंडर में भाग लेने के लिए विभिन्न संवर्गों के पैनेल में शामिल करने के लिए पात्र, सक्षम एवं साधन संपन्न विक्रेताओं, फ़र्म, कंपनियों आदि से एस.बी.आई.आई.एम.एस. आवेदन आमंत्रित करता है ।

विवरण के लिए कृपया वेबसाइट **https://bank.sbi** में खरीदी समाचार / "विक्रेताओं के पैनल" के अंतर्गत) देखें । टेंडर प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि 02–11–2019 शाम 3.00 बजे तक है । शुद्धि पत्र / संशोधन, यदि कोई हो तो, वेबसाइट पर ही पोस्ट किया जाएगा। अतः, संभावित आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त उद्देश्य के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें

उपाध्यक्ष, एस.बी.आई.आई.एम.एस.,अमरावती

मैसर्स डेंसो पावर लिमिटेड (सीआईआरपी के अधीन) हेतु समाधान योजना जमा करने के लिए समाधान आवेदकों हेतु रुचि की अभिव्यक्ति के आमन्त्रण का विस्तार

मैसर्स डेंसो पावर लिमिटेड (सीआईआरपी के अधीन) के मामले में ऋण शोधन एवं दिवालिया संहिता, 2016 के तहत जारी सीआईआरपी के परिप्रेक्ष्य में ईओआई जमा करने हेतु प्रपत्र जी/रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमन्त्रण के 15 अगस्त, 2019 तथा 12 सितम्बर 2019 को किये गये प्रकाशन के सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि 7 अक्टूबर, 2019 को वर्तमान प्रकाशन द्वारा समय–सीमा को पुनः बढ़ा दिया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि रुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अन्तिम तिथि बढ़ा दी गयी है और यह 2 अक्टूबर, 2019 के स्थान पर 22 अक्टूबर, 2019 होगी, सम्भावित समाधान आवेदकों की प्रावधानित सूची के निर्गमन की तिथि 7 अक्टूबर, 2019 के स्थान पर 25 अक्टूबर, 2019 होगी, प्रावधानित सूची पर आपत्तियाँ जमा करने की अन्तिम तिथि 12 अक्टूबर, 2019 के स्थान पर 30 अक्टूबर, 2019 होगी, सम्भावित समाधान आवेदकों की अन्तिम सूची के निर्गमन की तिथि 17 अक्टूबर, 2019 के स्थान पर 2 नवम्बर, 2019 होगी, सम्भावित समाधान आवेदकों की समाधान योजनाओं हेतु सूचना मेमोरेंडम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा निवेदन के निर्गमन की तिथि 11 नवम्बर, 2019 के स्थान पर 26 नवम्बर, 2019 होगी। अनुमोदन हेतु निर्णायक प्राधिकरण के पास समाधान योजना जमा करने की अनुमानित तिथि 29 नवम्बर, 2019 के स्थान पर 4 दिसम्बर, 2019 होगी। संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों हेतु पात्रता यथावत रहेगी।

कृपया सम्बद्ध तिथियों पर ध्यान दें। अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी। संशोधित प्रपत्र जी समाधान प्रोफेशनल से प्राप्त किया जा सकता है। अधिक स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, के लिए कृपया rp.devdensopower@gmail.com, pujabahry@yahoo.com के पास सम्पर्क करें। कृपया ध्यान दें कि समाधान प्रोफेशनल को बिना कोई कारण बताए अथवा किसी भी प्रकृति के उत्पन्न दायित्व के बिना आमन्त्रण को संशोधित या परिवर्द्धित करने का अधिकार सुरक्षित है।

ह./–
पूजा बाहरी
मैसर्स देव डेंसो पावर लिमिटेड (सीआईआरपी के अधीन) के समाधान प्रोफेशनल
आईपी पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-003/IP-N00007/2016–2017/10063
59/27, प्रभात रोड, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली–110005, दूरभाष : 9811071716
ई–मेल : rp.devdensopower@gmail.com, pujabahry@yahoo.com

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी–II,
ऋण वसूली अधिकरण–II, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001

बिक्री उद्घोषणा

आर.सी. नं. 200/2015
एडलवेईस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन क.लि. **बनाम** **मै. राणा हैवी इंजीनियरिंग लि.**

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उदघोषणा

सीडी#1. मै. राना हेवी इंजीनियरिंग लि. जिसका पंजीकृत कार्यालय एवं कार्य 7वाँ किमी. मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर–2510032, उ.प्र. में है, द्वारा उसके निदेशक–श्री जाकिर अली राना
सीडी#2. श्री सद्दाम राना, निदेशक **सीडी#3.** श्रीमती शाहीन राना, निदेशक,
सीडी#4. श्री जाकिर अली राना, पुत्र स्व. श्रीमती अमना बेगम, निदेशक, **सीडी#5.** श्री शानबाज राना,
सीडी#6. श्रीमती अमना बेगम,
अब मृत, जिन्होंने मै. राना हेवी इंजीनियरिंग लि. को दी गई ऋण सुविधा की गारन्टी दी है, प्रतिनिधित्व द्वारा उनके उत्तराधिकारियोंः i) श्री हाजी कमरुजाजम राना, पुत्र स्व. श्रीमती अमना बेगम ii) श्री कादिर राना, पुत्र स्व. श्रीमती अमना बेगम, iii) श्रीमती नूरशहर राना, पुत्र स्व. श्रीमती अमना बेगम, iv) श्री नूर सलीम राना, पुत्र स्व. श्रीमती अमना बेगम v) श्रीमती नूर कमर राना, पुत्री स्व. श्रीमती अमना बेगम, सभी निवासीः मकान सं. 786/3, न्यू राना हाउस, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर–251003, उ.प्र.

जैसा कि रु. 404272317/– (रुपये चालिस करोड़ बयालिस लाख बहत्तर हजार तीन सौ सत्तरह मात्र) की राशि का उल्लेख करते हुए पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण–II, द्वारा रिकवरी प्रमाणपत्र सं. 200/2015 तिथि 1.5.2015 तैयार किया गया है तथा सीडी'ज संयुक्त तथा पृथक रूप से रु. 1,50,000/– की लागत के साथ 3.9.2013 से 17.75% प्रति वर्ष की साधारण दर पर ब्याज के साथ रु. 40,41,22,317/– (रुपये चालिस करोड़ इकतालिस लाख बाईस हजार तीन सौ सत्तरह मात्र) की राशि का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं।

2. तथा, जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाणपत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 8.11.2019 **को 3.00 बजे अप. से 4.00 बजे** अप. के बीच (यदि जरूरी हो, 4.00 बजे अप. के बाद) 5 मिनट के स्वतः विस्तार उपबंध के साथ) ई–नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली ''ऑन–लाइन इलेक्ट्रोनिक बोली'' के माध्यम से वेबसाईट **https://www.drt.auctiontiger.net पर होगी।**
4. यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त सीडी'ज की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
5. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए, ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।
6. ऐसे किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे।
7. यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

7.1 संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

7.2 उपरोक्त सूची में क्रम सं. (i) से (xix) में वर्णित सम्पत्ति के लिये आरक्षित मूल्य रु. 11.16 करोड़ (रुपये ग्यारह करोड़ सोलह लाख मात्र) तथा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 1,11,60,000/– (रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख साठ हजार मात्र) है।
उपरोक्त सूची में क्रम सं. (xx) में वर्णित सम्पत्ति के लिये आरक्षित मूल्य रु. 1.94 करोड़ (रुपये एक करोड़ चौरानवे लाख मात्र) तथा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 19,40,000/– (रुपये उन्नीस लाख चालीस हजार मात्र) है।
उपरोक्त सूची में क्रम सं. (xxi) में वर्णित सम्पत्ति के लिये आरक्षित मूल्य रु. 32,00,000/– (रुपये बत्तीस लाख मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) रु. 3,20,000/– (रुपये तीन लाख बीस हजार मात्र) है।
उपरोक्त सूची में क्रम सं. (xxii) में वर्णित सम्पत्ति के लिये आरक्षित मूल्य रु. 61,00,000/– (रुपये इकसठ लाख मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) रु. 6,10,000/– (रुपये छः लाख दस हजार मात्र) है।

7.3 जो इच्छुक बोलीदाता 6.11.2019 के 4 बजे अप. तक रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली के कार्यालय में पैन कार्ड, पहचान के प्रमाण, आवास के प्रमाण के साथ आरक्षित मूल्य से ऊपर अपना प्रस्ताव जमा करते हैं वे ई–नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे जो 8.11.2019 को 3 बजे अप. से 4 बजे अप. के बीच आयोजित की जाएगी। यदि बोली अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा।

7.4 बोलीदाता रु. 1,00,000/– (रुपए एक लाख मात्र) के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं।

7.5 असफल बोलीदाता ई–नीलामी बिक्री प्रक्रिया के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली, सीएच अर्थात एडलवेइस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी से प्रत्यक्ष रूप से अपना ईएमडी प्राप्त कर सकते हैं।

7.6 सफल/ उच्चतम बोलीदाता को ई–नीलामी की समाप्ति के उपरांत धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद अगले कार्य दिवस तक **रिकवरी** अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली खाता ''आर.सी. नं. 200/2015'' के पक्ष में 25% का डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर तैयार करना होगा तथा उसे इस तरह से भेजना होगा ताकि वह अगले कार्य दिवस के 4.00 बजे अप. तक इस अधिकरण में पहुंच जाएं।

7.7 सफल बोलीदाता को संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को रिकवरी अधिकारी– II, डीआरटी– II, दिल्ली के समक्ष **रजिस्ट्रार, डीआरटी–II, दिल्ली के पक्ष में** देय रु. 1000/– तक 2% तथा उससे अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क के साथ रिकवरी अधिकारी–II, डीआरटी–II, दिल्ली खाता ''**आर.सी. नं. 200/2015**'' के पक्ष में देय शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान करना होगा। (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उक्त रूप से रिकवरी अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए।

7.8 निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं, तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता को उस राशि अथवा जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे करने के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा।

8. संपत्ति की बिक्री ''**जैसा है जहां है आधार**'' ''**तथा जो भी वहां है आधार**'' पर की जाएगी।
9. अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।

संपत्ति की अनुसूची

लॉट नं.		बिक्री की जाने वाली संपत्ति का विवरण	संपत्ति या इसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	किसी अन्य ऋणभार का विवरण, जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी है	दावे, यदि कोई हो, जसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा कोई अन्य ज्ञात विवरण जिसमें उसकी प्रकृति एवं मूल्य हो
1.	i)	बिक्री प्रलेख सं 7253 तिथि 17.6.2010 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 58, 65 तथा 69 के भाग का प्लॉट माप 5085.00 वर्ग मी.	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं
	ii)	मै. राना हेवी इंजीनियरिंग लि. के नाम में बिक्री प्रलेख सं 7484 तिथि 15.6.2016 के माध्यम से ग्राम मौजा जरोदा, जिला मुजफ्फरनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1837 के भाग पर प्लॉट माप 111.22 वर्ग मी.			
	iii)	बिक्री प्रलेख सं 8598 तिथि 15.7.2010 के माध्यम से ग्राम, मौजा जरोदा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1832 के भाग पर प्लॉट, माप 171.65 वर्ग मी.			
	iv)	बिक्री प्रलेख सं 2895 तिथि 16.7.2016 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 72/2 के भाग पर प्लॉट, माप 305.55 वर्ग मी.			
	v)	बिक्री प्रलेख सं 7249 तिथि 15.6.2016 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 58, 65 तथा 69 के भाग का प्लॉट माप 127.00 वर्ग मी.			
	vi)	बिक्री प्रलेख सं 2896 तिथि 15.03.2007 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 72/2 के भाग का प्लॉट माप 127.90 वर्ग मी.			
	vii)	बिक्री प्रलेख सं 18 तिथि 1.1.2008 के माध्यम से ग्राम मौजा जरोदा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1837 एम के भाग पर प्लॉट माप 329.76 वर्ग मी.			
	viii)	बिक्री प्रलेख सं 2925 तिथि 19.3.2007 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 72/2 के भाग का प्लॉट, माप 175.45 वर्ग मी.			
	ix)	बिक्री प्रलेख सं 15987 तिथि 27.12.2008 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 52 एवं 57 के भाग का प्लॉट, माप 404.11 वर्ग मी.			
	x)	बिक्री प्रलेख सं 8597 तिथि 15.7.2010 के माध्यम से ग्राम मौजा जरोदा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1832 के भाग पर प्लॉट, माप 81.28 वर्ग मी.			
	xi)	बिक्री प्रलेख सं 7248, तिथि 17.6.2010 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 58, 65 एवं 69 के भाग का प्लॉट, माप 2542.50 वर्ग मी.			
	xii)	बिक्री प्रलेख सं 2476 तिथि 8.3.2002 के माध्यम से ग्राम मौजा जरोदा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1830 के भाग में प्लॉट, माप 13,390.00 वर्ग मी.			
	xiii)	बिक्री प्रलेख सं 7557 तिथि 8.8.2002 के माध्यम से ग्राम मौजा जरोदा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1829 के भाग पर प्लॉट।			
	xiv.	बिक्री प्रलेख सं. 4980 तिथि 15.05.2006 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फरनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 58, 65 तथा 69 के भाग पर प्लॉट माप 10,170.00 वर्ग मी.			
	xv.	बिक्री प्रलेख सं. 7220 तिथि 29.06.2006 के माध्यम से ग्राम जरोदा, जिला मुजफ्फनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1834 के भाग पर प्लॉट, माप 7740.00 वर्ग मी. जो मै. राना हैवी इंजीनियरिंग के नाम में है।			
	xvi.	बिक्री प्रलेख सं. 7518 तिथि 5.8.2002 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फरनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 56 के भाग पर प्लॉट, माप 670 वर्ग मी.			
	xvii.	बिक्री प्रलेख सं. 7533 तिथि 18.08.2005 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फरनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 72/2 के भाग पर प्लॉट, माप 3610.00 वर्ग मी.			
	xviii.	बिक्री प्रलेख सं. 10198 तिथि 15.12.2005 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फरनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 71 के भाग पर प्लॉट, माप 11470.00 वर्ग मी.			
	xix.	बिक्री प्रलेख सं. 5869 तिथि 07.05.2007 के माध्यम से ग्राम जरोदा, जिला मुजफ्फनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1832 के भाग पर प्लॉट, माप 4645.00 वर्ग मी.			
2.	xx.	बिक्री प्रलेख सं. 4789 तिथि 16.07.1997 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फरनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1201/21 के भाग पर प्लॉट, माप 14840.00 वर्ग मी.	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं
3.	xxi.	बिक्री प्रलेख सं. 7558 तिथि 8.8.2002 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फरनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 52 तथा 57 के भाग पर प्लॉट, माप 2480.00 वर्ग मी.			
4.	xxii.	बिक्री प्रलेख सं.6939 तिथि 11.7.2002 के माध्यम से ग्राम सांद हवाली, तहसील एवं जिला मुजफ्फरनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1061/5, 1117, 951 तथा 1061/3 के भाग पर प्लॉट, माप 27460.00 वर्ग मी.	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर 20.9.2019 को दी गई

(हस्ता./–)
(अविनाश चन्द्रा),
रिकवरी अधिकारी–II,
डीआरटी–II, दिल्ली

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon !

सामान्य सेवाएं प्रशासन प्रभाग, प्रकाः प्लाट सं–4, सेक्टर–10, द्वारका, नई दिल्ली

ई–निविदा सूचना

पंजाब नेशनल बैंक भीकाजी कामा प्लेस इमारत की छत की वॉटरप्रूफिंग कार्य के लिए ई–निविदा आमंत्रित करता है।

कार्य की अनुमानित लागत : ₹ **17.09 लाख** है। बयाना राशि : ₹ **20,000/–**। निविदा लागत : ₹ **1180/–** (जीएसटी सहित)। री–एन्क्रिप्शन और निविदा जमा करने की अंतिम तिथि **21.10.2019 को 1400 बजे** तक है।

अधिक जानकारी हेतु, कृपया हमारी वेबसाइट **https://etender.pnbnet.in** को देखें उपर्युक्त कार्य के संबंध में, कोई भी शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल हमारी वेबसाइट **https://pnbindia.in** और **https://etender.pnbnet.in** पर दिया जायेगा जिसे नियमित रूप से देखते रहें।

मुख्य प्रबंधक

ओ.बी.सी.

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
समाधान वसूली व विधि विभाग, फरीदाबाद नीलम चौक एनआईटी, फरीदाबाद–121002 (हरियाणा)
फोनः 0129-2415525, ई–मेलः rrl_7622@obc.co.in

नियम 8(1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।**

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,** के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

खाते का नाम (कर्जदार)	मॉंग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख / बकाया राशि (रू. में)	अचल सम्पत्तियों का विवरण
श्रीमती सिमरन कौर	01-08-2019 / 04-10-2019 / रु. 26,43,683.56 दिनांक 30.09.2019 तक और होने वाला ब्याज	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति साम्यिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति जोकि प्लॉट नं. 11, ब्लॉक–बी, भूतल, बिना छत के अधिकार, कवर्ड क्षेत्रफल 390 वर्ग फीट और कवर्ड क्षेत्रफल 350 वर्ग फीट का दक्षिणी हिस्सा (कुल कवर्ड क्षेत्रफल 350+390=740 वर्ग फीट) स्प्रिंग फिल्ड कॉलोनी सैक्टर–31–32 फरीदाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती सिमरन कौर पत्नी चरनजीत के नाम पर है। स्प्रिंग फिल्ड कॉलोनी, फरीदाबाद में स्थित, सब रजिस्ट्रार फरीदाबाद जिला फरीदाबाद में पंजीकृत, चौहदी : उत्तर में – रोड, पूरब में – शेर शाह सूरी रोड, दक्षिण में – प्लॉट नं. 10, पश्चिम में – प्लॉट नं. 12
मैसर्स कृष्णा सेल्स	01-08-2019 / 04-10-2019 / रु. 13,07,180.33 & रु. 13,00,098.78 दिनांक 30.09.2019 तक और होने वाला ब्याज	सम्पति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति मकान नं. 1–बी/224 एनएच–1 एन आई टी, फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 79.13 वर्ग गज, संपत्ति (1) मैसर्स हाईटेक ऑटोमेटिव के खाते में भी बंधक है, जिसकी लिमिट रु. 20.00 लाख, यह सम्पत्ति श्री दीपक अरोड पुत्र चमन लाल अरोड़ा के नाम पर है। निवासी : 1–बी/224 एन एच – 1, एनआईटी फरीदाबाद, सब रजिस्ट्रार फरीदाबाद जिला फरीदाबद में पंजीकृत, चौहदी : उत्तर में – रोड, दक्षिण में – 1–बी/224 का दक्षिणी हिस्सा, पूरब में – 1–बी/224 का हिस्सा, पश्चिम में – 1–बी/224 का हिस्सा

दिनांक : 04.10.2019, **स्थान : फरीदाबाद (हरियाणा)** प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

फार्म नं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले
और
स्पायर पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U21023DL2009PTC192632)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **24 गोपाला चैम्बर, 76–ए रानी झांसी रोड, नई दिल्ली–110055** में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्त्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक वार्षिक आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु **30 सितम्बर, 2019** को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/विपक्ष के आधार हों, एमसीए–21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली –110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **24 गोपाला चैम्बर, 76–ए रानी झांसी रोड, नई दिल्ली–110055** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें ।

कृते **स्पायर पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड**
हस्ता/–
दिनांकः 05 अक्तूबर 2019 अक्षत बंसल (निदेशक)
स्थानः नई दिल्ली डीआईएनः **06646627**

आईएनसी–26
[कंपनीज़ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
केंद्रीय सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय,
नई दिल्ली
कंपनीज़ अधिनियम, 2013, कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) और कंपनीज़ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामले में
तथा
श्री अम्बे मैटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कंपनी) जिसका पंजीकृत कार्यालय 53, अशोका अपार्टमेंट, ए–2 पश्चिम विहार नई दिल्ली 110063 में है के मामले में
....आवेदक

सूचना

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली के रा.रा.क्षे"** से **"पंजाब राज्य"** में स्थानान्तरित करने के सक्षम बनाने हेतु कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत सोमवार 30 सितंबर, 2019 को आयोजित कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली के पते बी–2 विंग, 2 फ्लोर, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली 110003 को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पर भेजी जानी चाहिए।

पंजीकृत कार्यालयः 53, अशोका अपार्टमेंट, ए–2 पश्चिम विहार नई दिल्ली 110063

कृते और आवेदक की ओर से
श्री अम्बे मैटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता/–
राकेश गुप्ता
स्थानः लुधियाना **निदेशक**
तिथिः 05.10.2019 DIN: 00309115

प्रारूप संख्या INC-26
[कंपनी (इनकारपोरेशन) नियमावली 2014 नियम 30 के अनुसार]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पुराना पता एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण होने के कारण नया पता दैनिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जा रहा है केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निर्देशक उत्तर क्षेत्र के समक्ष में)
कंपनी इनकारपोरेशन नियमावली 2014 खंड 30 उप खंड (५) खंड (ए) कंपनी अधिनियम 2013 खंड 13 उप खंड 4 के अनुसार दिया गया विषय समाचार
और
आईरिस बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय का पता "गली नंबर १ विष्णु गार्डन W Z 283/53, तीसरा मंजिल, वेस्ट ब्लॉक,नयी दिल्ली 110018"
आवेदक कंपनी

आम जनता को सूचित करने का विषय यह है कि कंपनी के प्रस्ताव को आवेदन के दवारा केंद्र सरकार को दिया गया कंपनी अधिनियम 2013 खंड 13 केअनुसार दिए गया अधिकार पर क्षेत्रीय निर्देशक कमपनी संघ के नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नियम के अनुसार अतिरिक्त विशेष सामान्य सभा में दिनक 4 अक्टूबर 2019 चर्चा किये विषय और निर्णय के अनुसार कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पुराना पता **"राष्ट्रिय राजधानी निवेश संघ क्षेत्र इस कार्यालय का स्थानांतरण नए पता तेलंगाना"** राज्य में स्थानांतरिया किया गया.

उपरोक्त विषय के बारे में अगर किसी व्यक्ति को पंजीकृत कार्यालय स्थानन्तर के बारे में यदि कोई शिकायत है तो अपन शिकायत को **MCA-21पोर्टल (www.mca.gov.in)** को भेज सकते है या इस पते पर पोस्ट कर सकते है क्षेत्रीय कार्यालय का स्थानांतरण नए पते को किया जा रहा है इसके बारे आपके शिकायत दर्ज करने के कारन शपथपत्र में देकर पता "क्षेत्रीय निर्देशक, उत्तर क्षेत्र बी-२ विंग, दूसरा मंजिल,पर्यावरण भवन सिजीवो काम्प्लेक्स नयी दिल्ली-110003" इस सार्वजनिक सूचना के दिनांक से लेकर १५ दिन में अपने शिकायत दर्ज करे और इस सार्वजनिक सूचना को निचे दिया कार्यालय में सुरक्षित किया गया कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालयक पता : **गली नंबर १, विष्णु गार्डन, wz 283/53, तीसरा मंजिल, वेस्ट ब्लॉक नयी दिल्ली -110018.**

आईरिस बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए
हस्ता/- हस्ता/-
रविंदर कुमार अग्रवाल **सुनीता अग्रवाल**
निदेशक **निदेशक**
DIN 02547767 DIN 02494892
दिनांक : 7.10.2019 स्थान : नई दिल्ली

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

NIIT LIMITED

CIN: L74899DL1981PLC015865
Regd. Office: 8, Balaji Estate, First Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi - 110 019; Ph. No.: +91-11-41675000, Fax No.: +91-11-41407120;
Corporate Office: Plot No. 85, Sector 32, Institutional Area, Gurugram - 122001, Haryana; Ph: +91-124-4293000, Fax No.: +91-124-4293333;
Website: www.niit.com; Email: investors@niit.com

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF NIIT LIMITED FOR BUYBACK OF EQUITY SHARES THROUGH TENDER OFFER UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED

This Public Announcement (the "**Public Announcement**") is being made pursuant to the provisions of Regulation 7(i) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 (the "**Buyback Regulations**") for the time being in force including any statutory modifications and amendments from time to time and contains the disclosures as specified in Schedule II to the Buyback Regulations.

OFFER FOR BUY BACK OF UP TO 26,800,000 (TWENTY SIX MILLION AND EIGHT HUNDRED THOUSAND) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 2/- EACH ("**EQUITY SHARES**") OF NIIT LIMITED (THE "**COMPANY**") AT A PRICE OF ₹ 125/- (RUPEES ONE HUNDRED AND TWENTY FIVE ONLY) PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 3,350 MILLION (RUPEES THREE THOUSAND THREE HUNDRED AND FIFTY MILLION ONLY), BEING UP TO 15.998% OF THE TOTAL ISSUED AND PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AS PER THE AUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENT AS AT AND FOR THE PERIOD ENDED JUNE 30, 2019 ON A PROPORTIONATE BASIS THROUGH THE TENDER OFFER ROUTE

Certain figures contained in this Public Announcement, including financial information, have been subject to rounding-off adjustments. Decimals have been rounded off to two/three decimal points. In certain instances, (i) the sum or percentage change of such numbers may not conform exactly to the total figure given; and (ii) the sum of the numbers in a column or row in certain tables may not conform exactly to the total figure given for that column or row.

DETAILS OF THE BUYBACK OFFER AND OFFER PRICE

1.1. The Board of Directors of NIIT Limited (the "**Company**") (the Board of Directors of the Company hereinafter referred to as the "**Board**", which expression shall include any committee constituted or any one or more Director(s)/Officer(s)/Authorised Representative(s) ("**any person(s)**") authorized by the Board to exercise its powers), at the meeting held on August 10, 2019 (the "**Board Meeting**") had, subject to the approval of the shareholders of the Company by way of a special resolution through a postal ballot/e-voting, pursuant to the provisions of Article 120 of the Articles of Association of the Company, Sections 68, 69 and 70 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, as amended (the "**Companies Act**"/the "**Act**"), the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 ("**Share Capital Rules**"), to the extent applicable, and in compliance with the Buyback Regulations and subject to such approvals of statutory, regulatory or governmental authorities as may be required under applicable laws, approved the buyback by the Company of up to 26,800,000 (Twenty Six Million and Eight Hundred Thousand) Equity Shares representing up to 15.998% of the total issued and paid-up Equity Share capital of the Company as per the audited consolidated and standalone condensed interim financial statements as at and for the period ended June 30, 2019 ("**Audited Condensed Interim Financial Statements**") at a price of ₹ 125/- (Rupees One Hundred and Twenty Five only) per Equity Share (the "**Buyback Price**") payable in cash for an aggregate consideration of up to ₹ 3,350 million (Rupees Three Thousand Three Hundred and Fifty Million Only) ("**Buyback Size**"), which is not exceeding 25% of the aggregate of the total issued and paid-up equity share capital and free reserves as per the Audited Condensed Interim Financial Statements of the Company as at and for the period ended June 30, 2019, on a proportionate basis through the "tender offer" route as prescribed under the Buyback Regulations, from all of the shareholders of the Company who hold Equity Shares as of the Record Date (as defined below) ("**Buyback**").

1.2. The shareholders of the Company approved the Buyback, by way of a special resolution passed on October 3, 2019, through postal ballot (including e-voting) pursuant to the postal ballot notice dated August 29, 2019 (the "**Postal Ballot Notice**"), the results of which were announced on October 4, 2019.

1.3. The Buyback Size does not include expenses incurred or to be incurred for the buyback such as filing fees, stock exchange fees, advisory fees, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses, brokerage, applicable taxes *inter alia* including buy back taxes, securities transaction tax, goods and service tax, stamp duty and other incidental and related expenses ("**Transaction Cost**").

1.4. The Equity Shares are listed on BSE Limited ("**BSE**") and National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**") (hereinafter together referred to as the "**Stock Exchanges**").

1.5. In addition to the regulations/statutes referred to in paragraph 1.1 above, the Buyback is also in accordance with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, to the extent applicable and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The Buyback shall be undertaken on a proportionate basis from the equity shareholders of the Company as on the Record Date (as defined below) ("**Eligible Shareholders**") through the tender offer process prescribed under Regulation 4(iv)(a) of the Buyback Regulations. Additionally, the Buyback shall be subject to applicable laws, implemented by tendering of Equity Shares by Eligible Shareholders and settlement of the same through the stock exchange mechanism as specified by SEBI in its circular bearing reference number CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with the circular bearing reference number CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, as amended from time to time ("**SEBI Circulars**"). In this regard, the Company will request BSE and NSE to provide the acquisition window for facilitating tendering of Equity Shares under the Buyback. Accordingly, Equity Shares may be tendered in the Buyback through either BSE or NSE. For the purpose of this Buyback, NSE would be the designated stock exchange. Once the Buyback is concluded, all Equity Shares purchased by the Company in the Buyback will be extinguished.

1.6 Participation in the Buyback by Eligible Shareholders may trigger tax implications in India and in their country of residence. The transaction of Buyback would also be chargeable to securities transaction tax in India. In due course, Eligible Shareholders will receive a letter of offer, which will contain a more detailed note on taxation. However, in view of the particularized nature of tax consequences, the Eligible Shareholders are advised to consult their own legal, financial and tax advisors prior to participating in the Buyback.

1.7. A copy of this Public Announcement is available on the website of the Company at **www.niit.com** and is expected to be available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in during the period of Buyback and on the website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

2. OBJECTIVE/NECESSITY OF THE BUYBACK

The Buyback is a capital allocation decision taken by the Company for the following reasons:

2.1. The buyback is being done to return surplus funds, after taking into account the strategic and operational cash needs of the Company in the short to medium term;

2.2. The buyback would help to improve financial ratios, including return on equity and earnings per share, due to reduction in the equity capital, leading to increase in long term value for shareholders.

3. MAXIMUM NUMBER OF SECURITIES THAT THE COMPANY PROPOSES TO BUY BACK

The Company proposes to Buyback upto 26,800,000 Equity Shares, (aggregating up to 15.998% of the total issued and paid-up Equity Share capital of the Company as per the Audited Condensed Interim Financial Statements) from the equity shareholders of the Company as on the Record Date, for an amount not exceeding ₹ 3,350 million (Rupees Three Thousand Three Hundred and Fifty million only).

4. BUYBACK PRICE AND BASIS OF DETERMINING THE PRICE OF THE BUYBACK

4.1. The Equity Shares of the Company are proposed to be bought back at a price of ₹ 125/- (Rupees One Hundred and Twenty Five only) per share ("**Buyback Price**"). The Buyback Price has been arrived at after considering various factors including, but not limited to the trends in the volume weighted average prices and closing price of the Equity Shares on BSE and NSE where the Equity Shares of the Company are listed.

4.2. The Buyback Price represents:

(i) Premium of 40.37% and 39.82% over the closing price of the Equity Share on BSE and NSE, as on August 2, 2019, being the date on which the Company intimated to the Stock Exchanges of the date of the Meeting of the Board of Directors wherein proposal of the Buyback was considered

(ii) Premium of 30.17% and 30.24% to the volume weighted average market price of the Equity Share on BSE and NSE, respectively, during the two weeks preceding the date of intimation to the Stock Exchanges of the date of the Meeting of the Board of Directors wherein proposal of the Buyback was considered.

(iii) Premium of 26.57% and 26.65% to the volume weighted average market price of the Equity Share on BSE and NSE, respectively, during the one month preceding the date of intimation to the Stock Exchanges of the date of the Meeting of the Board of Directors wherein proposal of the Buyback was considered.

(iv) Premium of 23.19% and 23.20% to the volume weighted average market price of the Equity Share on BSE and NSE, respectively, during the two months preceding the date of intimation to the Stock Exchanges of the date of the Meeting of the Board of Directors wherein proposal of the Buyback was considered.

5. MAXIMUM AMOUNT REQUIRED UNDER THE BUYBACK, AND ITS PERCENTAGE OF THE TOTAL PAID UP CAPITAL AND FREE RESERVES AND SOURCE OF FUNDS FROM WHICH BUYBACK WOULD BE FINANCED

5.1. The maximum amount required for Buyback will not exceed ₹ 3,350 million (Rupees Three Thousand Three Hundred and Fifty million only) excluding Transaction Cost. The said amount constitutes 24.59% and 23.00% of the aggregate total issued and paid-up equity share capital and free reserves of the Company as per consolidated and standalone condensed interim financial statements of the Company as at and for the period ended June 30, 2019, respectively, being the latest audited financial statements available as on the date of Board Meeting recommending the proposal of the Buyback.

5.2. The funds for the implementation of the proposed Buyback will be sourced out of the free reserves of the Company (retained earnings) and/or such other source as may be permitted by the Buyback Regulations or the Act. The funds borrowed, if any, from banks and financial institutions will not be used for the Buyback. The Company shall transfer from its free reserves, a sum equal to the nominal value of the Equity Shares so bought back to the Capital Redemption Reserve Account and details of such transfer shall be disclosed in its subsequent audited financial statements.

6. DETAILS OF SHAREHOLDING AND TRANSACTIONS IN THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY

The aggregate shareholding of the (i) promoter and promoter group of the Company ("**Promoter and Promoter Group**") and persons in control, (ii) Directors/Trustees of companies/trust, forming part of the Promoter and Promoter Group, (iii) Directors and Key Managerial Personnel of the Company as on the date of the Board meeting i.e. August 10, 2019 and Postal Ballot Notice, i.e., August 29, 2019, and (iv) Aggregate Equity Shares purchased or sold by the persons/entities specified in clause (6)(i), (6)(ii) and (6)(iii) above, during a period of six months preceding the date of the Board meeting at which the Buyback was approved i.e. August 10, 2019 and the date of Postal Ballot Notice i.e. August 29, 2019, are as follows:

(i) Aggregate shareholding of the Promoter and Promoter Group and persons who are in control:

Sr. No.	Name	Number of Equity Shares held*	% Shareholding
1.	Thadani Family Trust (through its Trustee)	25,915,838	15.463
2.	Pawar Family Trust (through its Trustee)	25,366,521	15.135
3.	Mr. Arvind Thakur	659,242	0.393
4.	Mrs. Neeti Pawar jointly with Mr. Rajendra Singh Pawar	427,326	0.255
5.	Mr. Rajendra Singh Pawar jointly with Mrs. Neeti Pawar	155,000	0.092
6.	Ms. Urvashi Pawar	56,250	0.034
7.	Ms. Unnati Pawar	56,242	0.034
8.	Mr. Udai Pawar	7,500	0.004
9.	R S Pawar- HUF	2,527	0.002
10.	Mr. Vijay Kumar Thadani jointly with Mrs. Renuka Vijay Thadani	155,000	0.092
11.	Mrs. Renuka Vijay Thadani jointly with Mr. Vijay Kumar Thadani	1,000	0.001
12.	V K Thadani- HUF	2,527	0.002
13	#Ms. Veena Uberoi jointly with Mr. Vijay Kumar Thadani	14,624	0.009
14	#Ms. Veena Uberoi	840	0.001
15	Ms. Santosh Dogra	1,687	0.001
16	Ms. Renu Kanwar jointly with Ms. Vandana Katoch	2,339	0.001
17	Ms. Janki Jamwal jointly with Ms. Neeti Pawar	652	0.000
18	Ms. Janki Jamwal jointly with Mr. Pramod Singh Jamwal	562	0.000
19	Ms. Janki Jamwal jointly with Ms. Keerti Katoch	562	0.000
20	Mr. Kailash K Singh jointly with Mr. Yogesh Singh	750	0.000
21	Mr. Vinod Chablani jointly with Ms. Ruby Chablani	1,687	0.001
22.	Pace Industries Private Limited	-	-
23.	Global Solutions Private Limited	-	-
	Total	**52,828,676**	**31.520**

**The aggregate shareholding as stated above is as per updated shareholding pattern for quarter ended June 30, 2019, submitted to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited on August 28, 2019 and appearing on their respective websites.*

#Ms. Veena Uberoi passed away and these Shares are under the process of transmission in the name of her daughter, Ms. Rasina Uberoi.

(ii) Shareholding of the Directors/Trustees of the companies/trusts, forming part of Promoters/Promoter Group:

Name of Company/ Trust forming part of Promoters/ Promoter Group	Name of Director/Trustee	Number of Equity Shares Held	% Shareholding
Thadani Family Trust	Mr. Vijay Kumar Thadani	As mentioned in table (6)(i) hereinabove	
	Mrs. Renuka Vijay Thadani	As mentioned in table (6)(i) hereinabove	
Pawar Family Trust	Mr. Rajendra Singh Pawar	As mentioned in table (6)(i) hereinabove	
	Mrs. Neeti Pawar	As mentioned in table (6)(i) hereinabove	
Pace Industries Private Limited	Mr. Rajendra S Pawar	As mentioned in table (6)(i) hereinabove	
	Mr. Kawaljit Singh	Nil	
Global Solutions Private Limited	Mr. Vijay Kumar Thadani	As mentioned in table (6)(i) hereinabove	
	Mr. Kawaljit Singh	Nil	

(iii) Aggregate shareholding of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company:

Sr. No.	Name	Designation	Number of Equity Shares held	% Shareholding
1.	Mr. Rajendra Singh Pawar	Non-Executive Chairman	as mentioned in table (6)(i) hereinabove	
2.	Mr. Vijay Kumar Thadani	Vice Chairman & Managing Director	as mentioned in table (6)(i) hereinabove	
3.	Mr. Parappil Rajendran[1]	Joint- Managing Director	458,654	0.274
4.	Ms. Geeta Mathur	Independent Director	-	-
5.	Mr. Anand Sudarshan	Independent Director	-	-
6.	Mr. Ravinder Singh[2]	Independent Director	1,200	0.001
7.	Mr. Ashish Kashyap	Independent Director	-	-
8.	Mr. Sapnesh Kumar Lalla[3]	Chief Executive Officer	187,550	0.112
9.	Mr. Amit Roy	Chief Financial Officer	1,000	0.001
10.	Mr. Deepak Bansal[4]	Company Secretary	-	-

1. *Includes 7,537 and 1,117 Equity Shares jointly held with Mrs. Sudha Rajendran as first and second holder, respectively; Also, Mr. Parappil Rajendran and Mrs. Sudha Rajendran are holding Directorships and majority shareholding of Pace Education and Financial Services Private Limited, which holds 1,036,650 Equity Shares (0.619%) in the Company. Also holds 500,000 ESOP grants under Company's employees stock option plan, granted from time to time.*
2. *Includes 400 and 800 Equity Shares jointly held with Mrs. Tini Singh as first and second holder, respectively*
3. *Also holds 838,700 ESOP grants under Company's employees stock option plan, granted from time to time.*
4. *Holds 20,000 ESOP grants under Company's employees stock option plan, granted from time to time.*

(iv) Aggregate number of Equity Shares purchased or sold as well as minimum and maximum price at which such purchases and sales were made along with relevant dates by persons mentioned under (6)(i), (6)(ii) & (6)(iii) above:

There is no sale/purchase of Equity Shares, except as given hereunder:

Name	Aggregate Number of Equity Shares purchased/ sold	Nature of Transaction	Maximum Price Per Equity Share (₹)	Date of Maximum Price	Minimum Price Per Equity Share (₹)	Date of Minimum Price
Mr. Sapnesh Kumar Lalla	6,000	Shares of ₹ 2/- each allotted under ESOP on May 24, 2019	35.40*	May 24, 2019	35.40*	May 24, 2019

**Price at which ESOP grant was made by the Company*

7. INTENTION OF THE PROMOTER AND PROMOTER GROUP OF THE COMPANY TO PARTICIPATE IN BUYBACK

7.1. In terms of the Buyback Regulations, under the Tender Offer route, the Promoters and Promoter Group of the Company have an option to participate in the Buyback. In this regard, the following entities/persons of the Promoter and Promoter Group have expressed their intention to participate in the Buyback and offer upto an aggregate maximum of 4,224,039 Equity Shares or such lower number of shares in compliance with the Buyback Regulations.

Sr. No.	Name	Number of Equity Shares held	Maximum Number of Equity Shares intended to be tendered
1.	Thadani Family Trust	25,915,838	2,085,773
2.	Pawar Family Trust	25,366,521	2,085,532
3.	Mr. Arvind Thakur	659,242	52,734

7.2. The details of the date and price of acquisition of the Equity Shares that entities/person of the Promoters and Promoter Group intend to tender are set out below:

Name	Date of Transaction	Nature of Transaction/ Mode of Acquisition	Number of Equity Shares intended to be tendered	Cost of Acquisition per Equity Share (in ₹)	Face Value per Equity Share (in ₹)
Thadani Family Trust	December 28, 2018	Pursuant to the Scheme of Amalgamation#	2,085,773	0.035	2.00
Pawar Family Trust	December 28, 2018	Pursuant to the Scheme of Amalgamation#	2,085,532	0.036	2.00
Mr. Arvind Thakur	September 3, 2007	Bonus Issue	52,734	Nil	2.00

Pursuant to Scheme of Amalgamation ("Scheme") for transfer and vesting of PIPL Management Consultancy and Investment Private Limited ("Amalgamating Company 1") and Global Consultancy and Investment Private Limited ("Amalgamating Company 2") into NIIT Limited ("Amalgamated Company"/"Company"), as sanctioned by Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench vide its Order dated November 12, 2018 :

- 25,366,521 equity shares held by Amalgamating Company 1 in the Company stood cancelled and equivalent number of equity shares were allotted by the Company to the shareholder of Amalgamating Company 1 i.e Pawar Family Trust.
- 25,915,838 equity shares held by Amalgamating Company 2 in the Company stood cancelled and equivalent number of equity shares were allotted by the Company to the shareholder of Amalgamating Company 2 i.e. Thadani Family Trust.

7.3 The Buyback will not result in any benefit to the Promoter and Promoter Group or any Directors of the Company except to the extent of the cash consideration received by them from the Company, pursuant to the respective participation in the Buyback in their capacity as equity shareholders of the Company, and the change in their shareholding as per the response received in the Buyback, as a result of the extinguishment of Equity Shares which will lead to reduction in the Equity Share capital of the Company post the Buyback.

8. CONFIRMATIONS FROM THE COMPANY AS PER THE PROVISIONS OF THE BUYBACK REGULATIONS AND THE ACT:

8.1. All the Equity Shares for Buyback are fully paid-up;

8.2. The Company shall not issue and allot any equity shares or other specified securities including by way of bonus, from the date of passing of the special resolution till the date of expiry of the Buyback Period;

8.3. The ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company, will not be more than twice the paid-up capital and free reserves after the Buyback on both standalone and consolidated basis;

8.4. The Company, as per provisions of Section 68(8) of the Act, shall not make further issue of the same kind of equity shares or other specified securities within a period of six months after the expiry of the Buyback Period except by way of bonus shares or equity shares issued to discharge subsisting obligations such as conversion of warrants, stock option schemes, sweat equity or conversion of preference shares or debentures into equity shares ("**the subsisting obligations**");

8.5. The Company shall not raise further capital for a period of one year from the expiry of the Buyback Period, except in discharge of subsisting obligations;

8.6. The Company shall not buyback locked-in equity shares and non-transferable equity shares till the pendency of the lock-in or till the equity shares become transferable;

8.7. The Company shall not buyback its equity shares from any person through negotiated deal whether on or off the stock exchanges or through spot transactions or through any private arrangement in the implementation of the Buyback;

8.8. That the Company has been in compliance with Sections 92, 123, 127 and 129 of the Act;

8.9. The Company shall not make any offer of buyback within a period of one year reckoned from the date of expiry of the Buyback Period;

8.10. There is no pendency of any scheme of amalgamation or compromise or arrangement pursuant to the provisions of the Act, as on date;

8.11. The buyback shall be completed within a period of one (1) year from the date of passing of the special resolution through postal ballot;

8.12. The Company shall pay the consideration only by way of cash.

8.13. The Company shall transfer from its free reserves a sum equal to the nominal value of the equity shares purchased through the Buyback to the Capital Redemption Reserve Account and the details of such transfer shall be disclosed in its subsequent audited financial statements;

8.14. There are no defaults subsisting in the repayment of deposits or interest payment thereon, redemption of debentures or interest payment thereon or preference shares or payment of dividend due to any shareholder or repayment of any term loans or interest payable thereon to any financial institution or banks;

8.15. The Company shall not withdraw the Buyback offer after the draft letter of offer is filed with the SEBI or the public announcement for the Buyback is made;

8.16. The Company shall comply with the statutory and regulatory timelines in respect of the buyback in such manner as prescribed under the Act and/or the Buyback Regulations and any other applicable laws; and

8.17. The Buyback shall not result in delisting of the Equity Shares from the stock exchanges.

9. REPORT ADDRESSED TO THE BOARD OF DIRECTORS BY THE COMPANY'S AUDITORS ON THE PERMISSIBLE CAPITAL PAYMENT AND THE OPINION FORMED BY DIRECTORS REGARDING INSOLVENCY

The text of the report dated August 10, 2019 received from M/s S.R. Batiboi & Associates LLP, the Company's Statutory Auditors addressed to the Board of Directors of the Company is reproduced below:

Quote

Independent Auditor's Report on buy back of shares pursuant to the requirement of Schedule I to the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018, as amended

The Board of Directors
NIIT Limited
8, Balaji Estate, 1st Floor,
Guru Ravi Das Marg,
Kalkaji, New Delhi - 110019

1. *This Report is issued in accordance with the terms of our service scope letter dated August 3, 2019 and master engagement agreement October 10, 2017 with NIIT Limited (hereinafter the "Company").*
2. *In connection with the proposal of NIIT Limited ("the Company") to buy back its equity shares in pursuance of the provisions of Section 68, 69 and 70 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("the Regulations"), and in terms of the resolution passed by the directors of the Company in their meeting held on August 10, 2019, which is subject to the approval of the shareholders of the Company, we have been engaged by the Company to perform a reasonable assurance engagement*

(Contd.)

epaper.jansatta.com

on the Statement of determination of the amount permissible capital payment (including premium) (the "Statement"), which we have initialed for identification purposes only.

Board of Directors Responsibility for the Statement

3. *The preparation of the Statement for the buyback is the responsibility of the Board of Directors of the Company, including the preparation and maintenance of all accounting and other relevant supporting records and documents. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the Statement and applying an appropriate basis of preparation; and making estimates that are reasonable in the circumstances.*

4. *The Board of Directors are responsible to make a full inquiry into the affairs of the Company and to form an opinion that the Company will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of meeting.*

Auditor's Responsibility

5. *Pursuant to the requirements of the Regulations, it is our responsibility to provide reasonable assurance on the following "Reporting Criteria":*

   (i) Whether the amount of permissible capital payment (including premium) for the buyback is within the permissible limit and computed in accordance with the provisions of Section 68(2)(c) of the Act;

   (ii) Whether the Board of Directors has formed the opinion, as specified in Clause (x) of Schedule I to the Regulations, on a reasonable grounds that the Company having regard to its state of affairs will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of meeting;

   (iii) Whether we are aware of anything to indicate that the opinion expressed by the Directors in the declaration as to any of the matters mentioned in the declaration is unreasonable in circumstances as at the date of declaration.

6. *The standalone and consolidated condensed interim financial statements ("Audited Condensed Interim Financial Statements") as at and for the period ended June 30, 2019, have been audited by us, on which we issued an unmodified audit opinion vide our report(s) dated August 10, 2019, respectively. Our audits of these financial statements were conducted in accordance with the Standards on Auditing, as specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013 and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.*

7. *We conducted our examination of the Statement in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India.*

8. *We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.*

9. *A reasonable assurance engagement involves performing procedures to obtain sufficient appropriate evidence on the Reporting criteria mention in paragraph 5 above. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks associated with the Reporting Criteria. We have performed the following procedures in relation to the Statement:*

   i) We have inquired into the state of affairs of the Company in relation to its Audited Condensed Interim stand alone and consolidated Financial Statements as at and for the period ended June 30, 2019;

   ii) Examined authorization for buyback from the Articles of Association of the Company;

   iii) Examined that the amount of permissible capital payment (including premium) for the buyback as detailed in Annexure A is within permissible limit computed in accordance with section 68(2)(c) of the Act based on the Audited Condensed Interim stand alone and consolidated financial statements of the Company;

   iv) Examined that the ratio of debt owned by the Company, if any, shall not be more than twice the total paid- up equity share capital and its free reserve after such buyback;

   v) Examined that all shares for buyback are fully paid-up;

   vi) Examined resolutions passed in the meetings of the Board of Directors;

   vii) Examined Director's declarations for the purpose of buyback and solvency of the Company;

   viii) Obtained necessary representations form the management of the Company.

Opinion

Based on our examination as above, and the information and explanations given to us, we state that we have inquired in to the state of affairs of the Company and in our opinion,

i) the Statement of permissible capital payment towards buyback of equity shares, as stated in Annexure A, is in our view properly determined in accordance with Section 68(2)(c) of the Act; and

ii) the Board of Directors, in their meeting held on, August 10, 2019, have formed the opinion, as specified in clause (x) of Schedule I of the Regulations, on reasonable grounds, that the Company will not, having regard to its state of affairs, be rendered insolvent within a period of one year from the passing of board resolution dated August 10, 2019 and from the date on which the results of shareholders' resolutions with regards to proposed buy back are declared and we are not aware of anything to indicate that the opinion expressed by the Directors in the declaration as to any of the matters mentioned in the declaration is unreasonable in circumstances as at the date of declaration.

Restriction on Use

10. *The certificate is addressed to and provided to the Board of Directors of the Company pursuant to the requirements of the Regulations solely to enable them to include it (a) in the explanatory statement to be included in the postal ballot notice to be circulated to the Shareholders of the Company, (b) in the public announcement to be made to the Shareholders of the Company, (c) in the draft letter of offer and letter of offer to be filed with the Securities and Exchange Board of India, the Stock Exchanges, the Registrar of Companies as required by the Regulations, National Securities Depository Limited and Central Depository Securities (India) Limited, and should not be used by any other person or for any other purpose.*

11. *Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing. We have no responsibility to update this report for events and circumstances occurring after the date of this report.*

*For **S. R. Batliboi & Associates LLP***
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration Number: 101049W/E300004
Sd/-

*per **Sanjay Bachchani***
Partner
Membership Number: 400419
UDIN: - 19400419AAAACF4996

Place: Gurugram
Date: August 10, 2019

Statement of permissible capital payment (Annexure A)

Computation of amount of permissible capital payment towards buyback of equity shares in accordance with section 68(2)(c) of the Act and SEBI Buyback Regulations, based on Audited Condensed Interim standalone and consolidated Financial Statements of the Company as at and for the period ended June 30, 2019:

(₹ in Mn.)

Particulars	*Standalone*	*Consolidated*
Paid-up Equity Share Capital (A) (167,514,059 Equity Shares of ₹ 2/- each)	*335*	*335*
Free Reserves		
Retained Earnings	*12,522*	*11,432*
Securities Premium	*653*	*758*
General Reserve	*1,055*	*1,101*
Total Free Reserves (B)	*14,230*	*13,291*
Total (A + B)	*14,566*	*13,626*
Maximum amount permissible for the buyback i.e. 25% of total paid-up equity share capital and free reserves #	*3,641*	*3,407*
Maximum amount permitted by the Board resolution dated August 10, 2019 approving buy back	*3,350*	*3,350*

 # Note: As per provisions of Section 68(2)(c) of the Companies Act, 2013, the maximum amount permissible for the buyback of equity shares of the Company is twenty five percent or less of the aggregate of paid up capital and free reserves of the Company.

Signature	*Sd/-*	*Sd/-*	*Sd/-*
Name	*Vijay Kumar Thadani*	*P Rajendran*	*Amit Roy*
Designation	*Vice Chairman & Managing Director*	*Joint Managing Director*	*Chief Financial Officer*
DIN/PAN	*00042527*	*00042531*	*AAAPR1156Q*

Date: 10-08-2019
Place: Gurugram

Unquote

10. RECORD DATE AND SHAREHOLDER ENTITLEMENT

10.1. As required under the Buyback Regulations, the Company has fixed October 18, 2019 as the record date ("**Record Date**") for the purpose of determining the entitlement and the names of the shareholders holding Equity Shares, who will be eligible to participate in the Buyback.

10.2. The Equity Shares proposed to be bought back by the Company as a part of the Buyback are divided into two categories;

(a) reserved category for Small Shareholders ("**Reserved Category**"); and

(b) general category for all Eligible Shareholders other than Small Shareholders ("**General Category**").

10.3. As defined in the Regulation 2(i)(n) of the Buyback Regulations, a "**Small Shareholder**" is a shareholder who holds Equity Shares having market value, on the basis of the closing price of the Equity Shares on the Stock Exchanges having the highest trading volume as on the Record Date, of not more than ₹ 2,00,000 (Rupees Two Lakh only). For the purposes of classification of a shareholder, as a "small shareholder", multiple demat accounts having the same permanent account number **("PAN"),** in case of securities held in the demat form are to be clubbed together.

10.4. In accordance with Regulation 6 of the Buyback Regulations, the reservation for the Small Shareholders will be the higher of (a) 15% (fifteen percent) of the number of Equity Shares which the Company proposes to buy back, or (b) number of Equity Shares to which the Small Shareholders are entitled, as per the shareholding of Small Shareholders as on the Record Date.

10.5. Based on the holding of Equity Shares as on the Record Date, the Company will determine the entitlement of each Eligible Shareholder, including Small Shareholders, to tender their Equity Shares in the Buyback. This entitlement for each Eligible Shareholder will be calculated based on the number of Equity Shares held by the respective Eligible Shareholder as on the Record Date and the ratio of Buyback applicable in the category to which such Eligible Shareholder belongs. The final number of Equity Shares that the Company shall purchase from each Eligible Shareholders will be based on the total number of Equity Shares tendered by such Eligible Shareholder. Accordingly, the Company may not purchase all of the Equity Shares tendered by an Eligible Shareholder.

10.6. In order to ensure that the same Eligible Shareholder with multiple demat accounts/folios does not receive a higher entitlement under the Small Shareholder category, the Company will club together the Equity Shares held by such Eligible Shareholders with a common PAN for determining the category (Small Shareholder or General) and entitlement under the Buyback. In case of joint shareholding, the Company will club together the Equity Shares held in cases where the sequence of the PANs of the joint shareholders is identical. In case of Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form, where the sequence of PANs is identical or where the PANs of all joint shareholders are not available, the Company will check the sequence of the names of the joint holders and club together the Equity Shares held in such cases where the sequence of the PANs and name of joint shareholders are identical.

10.7. The shareholding of institutional investors like mutual funds, pension funds/trusts, insurance companies etc., with common PAN will not be clubbed together for determining the category and will be considered separately where these Equity Shares are held for different schemes and have a different demat account nomenclature based on information prepared by the registrar to the Buyback ("**Registrar**") as per the shareholder records received from the Depositories. Further, the Equity Shares held under the category of 'clearing members' or 'corporate body margin account' or 'corporate body-broker' as per the beneficial position data as on the Record Date with common PAN are not proposed to be clubbed together for determining their entitlement and will be considered separately, where these Equity Shares are assumed to be held on behalf of clients.

10.8. After accepting the Equity Shares tendered on the basis of entitlement, the Equity Shares left to be bought back, if any, in one category shall first be accepted, in proportion to the Equity Shares tendered over and above their entitlement in the offer by Eligible Shareholders in that category, and thereafter from Eligible Shareholders who have tendered over and above their entitlement in the other category.

10.9. Eligible Shareholders' participation in the Buyback will be voluntary. Eligible Shareholders can choose to participate and get cash in lieu of shares to be accepted under the Buyback or they may choose not to participate. Eligible Shareholders may also choose to participate in part of their entitlement. Eligible Shareholders also have the option of tendering additional shares (over and above their entitlement) and participate in the shortfall created due to non-participation of some other Eligible Shareholders, if any. If the Buyback entitlement for any shareholder is not a round number, then the fractional entitlement shall be ignored for computation of entitlement to tender Equity Shares in Buyback.

10.10 The maximum number of Equity Shares that can be tendered under the Buyback by any Eligible Shareholder cannot exceed the number of Equity Shares held by the Eligible Shareholder as on the Record Date. If the Buyback entitlement for any Eligible Shareholder is not a round number (i.e. not a multiple of 1 Equity Share), then the fractional entitlement shall be ignored for computation of entitlement to tender Equity Shares in the Buyback. The Small Shareholders whose entitlement would be less than 1 Equity Share may tender additional Equity Shares as part of the Buyback and will be given preference in the acceptance of one Equity Share, if such Small Shareholders have tendered for additional Equity Shares.

10.11 The Equity Shares tendered as per the entitlement by Eligible Shareholders as well as additional Equity Shares tendered, if any, will be accepted as per the procedure laid down in the Buyback Regulations. Each Eligible Shareholder will receive the letter of offer along with a tender/offer form indicating the entitlement of the Eligible Shareholder for participating in the Buyback.

10.12 Detailed instructions for participation in the Buyback (tender of Equity Shares in the Buyback) as well as the relevant time table will be included in the Letter of Offer which will be sent in due course to the Eligible Shareholders as on the Record Date.

11. PROCESS AND METHOD TO BE ADOPTED FOR BUYBACK

11.1. The Buyback is open to all Eligible Shareholders and beneficial owners of Equity Shares of the Company as on the Record Date as per the records made available to the Company by the Depositories/registrar as on the Record Date. An Eligible Shareholder who wishes to tender their shares in the Buyback must have an active demat account, trading account and bank account.

11.2. The Buyback shall be undertaken on a proportionate basis through the tender offer process prescribed under Regulation 4(iv)(a) of the Buyback Regulations. Additionally, the Buyback shall, subject to applicable laws, be facilitated by tendering of Equity Shares by the Eligible Shareholders and settlement of the same, through the stock exchange mechanism as specified in the SEBI Circulars.

11.3. For implementation of the Buyback, the Company has appointed JM Financial Services Limited as the registered broker to the Company (the "**Company's Broker**") to facilitate the process of tendering of Equity Shares through stock exchange mechanism for the Buyback. The contact details of the Company's Broker are as follows:

JM Financial Services Limited
5th Floor, Cnergy
Appasaheb Marathe Marg
Prabhadevi, Mumbai 400 025, India
Tel: +91 22 6704 3000; +91 22 3024 3853
Fax: +91 22 4505 7222
Contact Person: Sanjay Bhatia
Email: sanjay.bhatia@jmfl.com
Website: www.jmfinancialservices.in
SEBI Registration Number: INZ000195834
Corporate Identification Number: U67120MH1998LC115415

11.4. The Company will request the Stock Exchanges, i.e. BSE and NSE, to provide a separate acquisition window ("**Acquisition Window**") to facilitate placing of sell orders by Eligible Shareholders who wish to tender their Equity Shares in the Buyback. Accordingly, Equity Shares may be tendered in the Buyback through either BSE or NSE. NSE would be the designated stock exchange for the Buyback. The details of the Acquisition Window will be specified by the Stock Exchanges from time to time.

11.5. During the tendering period, the order for selling the Equity Shares will be placed in the Acquisition Window by Eligible Shareholders through their respective stock brokers during normal trading hours of the secondary market. In the tendering process, the Company Broker may also process the orders received from the Eligible Shareholders.

11.6. **Procedure to be followed by Eligible Shareholders:**

i. **In accordance with the proviso to regulation 40(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, effective from April 1, 2019, transfers of securities of the Company shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository. Accordingly, the Company will not be able to accept Equity Shares tendered in physical form in the Buyback. Eligible Shareholders are advised to approach the concerned depository participant to have their Equity Shares dematerialized before tendering their Equity Shares in the Buyback.**

In case any person who has submitted the Equity Shares held by them in the physical form for dematerialisation should ensure that the process of getting the Equity Shares dematerialised is completed before such Eligible Shareholders tender their Equity Shares in the Buy-back, so that they can participate in the Buyback.

ii. Eligible Shareholders who desire to tender their Equity Shares in dematerialised form under the Buyback would have to do so through their respective stock broker by indicating the details of Equity Shares they intend to tender under the Buyback, to their stock broker.

iii. Each Stock broker would be required to place an order/bid on behalf of the Eligible Shareholders who wish to tender Equity Shares in the Buyback using the Acquisition Window of the Stock Exchanges. Before placing the bid, the Eligible Shareholder would be required to transfer the tendered Equity Shares to the special account of the Indian Clearing Corporation Limited or the National Securities Clearing Corporation (the "**Clearing Corporation**"), by using the early pay in mechanism as prescribed by the Stock Exchanges or the Clearing Corporation prior to placing the bid by the stock broker.

iv. The details of the special account of the Clearing Corporation shall be informed in the issue opening circular that will be issued by the Stock Exchanges/Clearing Corporation.

v. For custodian participant orders for demat Equity Shares, early pay-in is mandatory prior to confirmation of order/bid by the custodian. The custodian shall either confirm or reject the orders not later than the closing of trading hours on the last day of the tendering period. Thereafter, all unconfirmed orders shall be deemed to be rejected. For all confirmed custodian participant orders, order modification shall revoke the custodian confirmation and the revised order shall be sent to the custodian again for confirmation.

vi. Upon placing the bid, the stock broker shall provide a Transaction Registration Slip ("**TRS**") generated by the exchange bidding system to the Eligible Shareholder. The TRS will contain the details of the order submitted like bid ID number, application number, DP ID, client ID, number of Equity Shares tendered, etc.

11.7. Modification/cancellation of orders will be allowed during the tendering period of the Buyback.

11.8. The cumulative quantity of Equity Shares tendered under the Buyback shall be made available on the websites of NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com) throughout the trading session and will be updated at specific intervals during the tendering period.

11.9. **Method of Settlement**

Upon finalization of the basis of acceptance as per Buyback Regulations:

i. The settlement of trades shall be carried out in the manner similar to settlement of trades in the secondary market.

ii. The Company will pay the consideration to the Company's Broker who will transfer the funds pertaining to the Buyback to the Clearing Corporation's bank accounts as per the prescribed schedule. For Equity Shares accepted under the Buyback, the Clearing Corporation will make direct funds payout to respective Eligible Shareholders. If Eligible Shareholders' bank account details are not available or if the funds transfer instruction is rejected by the Reserve Bank of India/Eligible Shareholders' bank, due to any reason, then such funds will be transferred to the concerned stock broker's settlement bank account for onward transfer to such Eligible Shareholders.

iii. The Equity Shares bought back in demat form would be transferred directly to the demat account of the Company ("**Company Demat Account**") provided it is indicated by the Company's Broker or it will be transferred by the Company's Broker to the Company Demat Account on receipt of the Equity Shares from the clearing and settlement mechanism of the Stock Exchanges.

iv. In case of certain client types viz. Non-Resident Shareholders (where there may be specific RBI and other regulatory requirements pertaining to funds pay-out) who do not opt to settle through custodians, the funds pay-out would be given to their respective Shareholder Broker's settlement accounts for releasing the same to the respective Eligible Shareholder account. For this purpose, the client type details would be collected from the Depositories, whereas amount payable to the Eligible Shareholder pertaining to the bids settled through custodians will be transferred to the settlement bank account of the custodian, each in accordance with the applicable mechanism prescribed by the Stock Exchanges and the Clearing Corporation from time to time.

v. The Eligible Shareholders will have to ensure that they keep the depository participant ("**DP**") account active and unblocked to receive credit in case of return of Equity Shares, due to rejection or due to non-acceptance of Equity Shares under the Buyback.

vi. Excess demat Equity Shares or unaccepted demat Equity Shares, if any, tendered by the Eligible Shareholders will be returned to them by the Clearing Corporation. If the securities transfer instruction is rejected in the depository system, due to any issue then such securities will be transferred to the Shareholder Broker's depository pool account for onward transfer to such Eligible Shareholder.

vii. The Company's Broker would issue a contract note to the Company for the Equity Shares accepted under the Buyback.

viii. Eligible Shareholders who intend to participate in the Buyback should consult their respective stock broker for any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) etc., that may be levied by the stock broker upon the selling shareholders for tendering Equity Shares in the Buyback (secondary market transaction). The Buyback consideration received by the Eligible Shareholders in respect of accepted Equity Shares could be net of such costs, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) and the Company accepts no responsibility to bear or pay such additional cost, charges and expenses (including brokerage) incurred solely by the Eligible Shareholders.

ix. The Equity Shares accepted, bought and lying to the credit of the Company's Demat Account will be extinguished in the manner and following the procedure prescribed in the Buyback Regulations.

12. CONFIRMATION BY THE BOARD OF DIRECTORS:

The Board of Directors of the Company has confirmed that it has made a full enquiry into the affairs and prospects of the Company and has formed the opinion that:

(i) Immediately following the date of the Board meeting and the date on which the result of Members' resolution, which was passed by way of Postal Ballot ("**Postal Ballot Resolution**"), were declared, approving the Buyback, there will be no grounds on which the Company could be found unable to pay its debts;

(ii) As regards the Company's prospects for the year immediately following the date of the Board Meeting, approving the Buyback as well as for the year immediately following the date of Postal Ballot Resolution, and having regard to the Board's intention with respect to the management of Company's business during that year and to the amount and character of the financial resources which will in the Board's view be available to the Company during that year, the Company will be able to meet its liabilities as and when they fall due and will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of the Board Meeting and also from the date of approval of Postal Ballot Resolution;

(iii) In forming an opinion as aforesaid, the Board has taken into account the liabilities (including prospective and contingent liabilities), as if the Company was being wound up under the provisions of the Companies Act, 2013/Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, as amended.

13. COMPLIANCE OFFICER

The Company has designated the following as the Compliance Officer for the Buyback:

Name: Deepak Bansal
Designation: Company Secretary
Address: NIIT Limited, Plot no 85, Sector 32, Institutional Area, Gurugram - 122001, Haryana, India
Tel: +91 124 4293000;
Fax: +91 124 4293333;
Email: Investors@niit.com

Investors may contact the Compliance Officer for any clarification or to address their grievances, if any, during office hours i.e. 10 AM to 5 PM Indian Standard Time on all working days except Saturday, Sunday and public holidays.

14. REGISTRAR TO THE BUYBACK/INVESTOR SERVICE CENTRE

In case of any query, the shareholders may contact the Registrar to the Buyback during working hours i.e. 10 AM to 5 PM Indian Standard Time on all working days except Saturday, Sunday and public holidays, at the following address:

LINK Intime

LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED
Address: C-101, 1st Floor, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083
Tel: +91 22 4918 6200
Fax: +91 22 4918 6195
Email: niit.buyback@linkintime.co.in
Contact Person: Sumeet Deshpande
Website: www.linkintime.co.in
SEBI Registration Number: INR000004058
Corporate Identity Number: U67190MH1999PTC118368

15. MANAGER TO THE BUYBACK

JM FINANCIAL

JM FINANCIAL LIMITED
Address: 7th Floor, Cnergy
Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi,
Mumbai - 400 025
Tel: +91 22 6630 3030
Fax: +91 22 6630 3330
Contact Person: Ms. Prachee Dhuri
Email: niit.buyback@jmfl.com
Website: www.jmfl.com
SEBI Registration Number: INM000010361
Corporate Identity Number: L67120MH1986PLC038784

16. DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board accepts responsibility for the information contained in this Public Announcement and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors

of **NIIT LIMITED**

Sd/-	*Sd/-*	*Sd/-*
Vijay Kumar Thadani	*P Rajendran*	*Deepak Bansal*
Vice Chairman & Managing Director	*Joint Managing Director*	*Company Secretary and Compliance Officer*
DIN: 00042527	*DIN: 00042531*	*ACS 11579*

Date : October 05, 2019
Place : Gurugram

PRESSMAN

बीमार मुशर्रफ सियासत में लौटेंगे

इस्लामाबाद, 6 अक्तूबर (भाषा)।

खराब स्वास्थ्य की वजह से पिछले एक साल से राजनीति से दूर रहे पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ अपनी पार्टी को पुनर्जीवित कर फिर से सियासत में लौटने वाले हैं। मीडिया में रविवार को आई खबरों में यह जानकारी दी गई।जनरल (सेवानिवृत्त) मुशर्रफ 2016 से दुबई में रह रहे हैं।

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी-II,
ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ई-नीलामी बिक्री सूचना

आर.सी. नं. 200/2015 — **तिथिः 20.9.2019**

एडलवेइस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन क. लि. **बनाम** **मै. राना हेवी इंजीनियरिंग लि.**

''आदेश''

कथित रिकवरी प्रमाण पत्र में मेरे आदेश तिथि 20.9.2019 के अनुसार 8.11.2019 को सार्वजनिक ई नीलामी बिक्री द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति की बिक्री की जाएगी: यह नीलामी बिक्री वेबसाईट https://drt.auctiontiger.net पर ''ऑन लाईन ई-नीलामी'' होगी।
नीलामी की तिथि एवं समयः 8.11.2019 को 3 बजे अप. से 4 बजे अप. (4 बजे दोपहर के बाद यदि जरूरी हुआ, 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ।)

संपत्ति का विवरण

i. बिक्री प्रलेख सं 7253 तिथि 17.6.2010 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 58, 65 तथा 69 के भाग का प्लॉट माप 5085.00 वर्ग मी.
ii. मै. राना हेवी इंजीनियरिंग लि. के नाम में बिक्री प्रलेख सं 7484 तिथि 15.6.2016 के माध्यम से ग्राम मौजा जरोदा, जिला मुजफ्फरनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1837 के भाग पर प्लॉट माप 111.22 वर्ग मी.
iii. बिक्री प्रलेख सं 8598 तिथि 15.7.2010 के माध्यम से ग्राम, मौजा जरोदा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1832 के भाग पर प्लॉट, माप 171.65 वर्ग मी.
iv. बिक्री प्रलेख सं 2895 तिथि 16.7.2016 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 72/2 के भाग पर प्लॉट, माप 305.55 वर्ग मी.
v. बिक्री प्रलेख सं 7249 तिथि 15.6.2016 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 58, 65 तथा 69 के भाग का प्लॉट माप 127.00 वर्ग मी.
vi. बिक्री प्रलेख सं 2896 तिथि 15.03.2007 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 72/2 के भाग का प्लॉट माप 127.90 वर्ग मी.
vii. बिक्री प्रलेख सं 18 तिथि 1.1.2008 के माध्यम से ग्राम मौजा जरोदा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1837 एम के भाग पर प्लॉट माप 329.76 वर्ग मी.
viii. बिक्री प्रलेख सं 2925 तिथि 19.3.2007 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 72/2 के भाग का प्लॉट, माप 175.45 वर्ग मी.
ix. बिक्री प्रलेख सं 15987 तिथि 27.12.2008 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 52 एवं 57 के भाग का प्लॉट, माप 404.11 वर्ग मी.
x. बिक्री प्रलेख सं 8597 तिथि 15.7.2010 के माध्यम से ग्राम मौजा जरोदा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1832 के भाग पर प्लॉट, माप 81.28 वर्ग मी.
xi. प्रलेख सं 7248, तिथि 17.6.2010 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 58, 65 एवं 69 के भाग का प्लॉट, माप 2542.50 वर्ग मी.
xii. बिक्री प्रलेख सं 2476 तिथि 8.3.2002 के माध्यम से ग्राम मौजा जरोदा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1830 के भाग में प्लॉट, माप 13,390.00 वर्ग मी.
xiii. बिक्री प्रलेख सं 7557 तिथि 8.8.2002 के माध्यम से ग्राम मौजा जरोदा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1829 के भाग पर प्लॉट।
xiv. बिक्री प्रलेख सं. 4980 तिथि 15.05.2006 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फरनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 58, 65 तथा 69 के भाग पर प्लॉट माप 10,170.00 वर्ग मी.
xv. बिक्री प्रलेख सं. 7220 तिथि 29.06.2006 के माध्यम से ग्राम जरोदा, जिला मुजफ्फनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1834 के भाग पर प्लॉट, माप 7740.00 वर्ग मी. जो मै. राना हैवी इंजीनियरिंग के नाम में है।
xvi. बिक्री प्रलेख सं. 7518 तिथि 5.8.2002 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फरनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 56 के भाग पर प्लॉट, माप 670 वर्ग मी.
xvii. बिक्री प्रलेख सं. 7533 तिथि 18.08.2005 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फरनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 72/2 के भाग पर प्लॉट, माप 3610.00 वर्ग मी.
xviii. बिक्री प्रलेख सं. 10198 तिथि 15.12.2005 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 71 के भाग पर प्लॉट, माप 11470.00 वर्ग मी.
xix. बिक्री प्रलेख सं. 5869 तिथि 07.05.2007 के माध्यम से ग्राम जरोदा, जिला मुजफ्फनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1832 के भाग पर प्लॉट, माप 4645.00 वर्ग मी.
xx. बिक्री प्रलेख सं. 4789 तिथि 16.07.1997 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फरनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1201/21 के भाग पर प्लॉट, माप 14840.00 वर्ग मी.
xxi. बिक्री प्रलेख सं. 7558 तिथि 8.8.2002 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फरनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 52 तथा 57 के भाग पर प्लॉट, माप 2480.00 वर्ग मी.
xxii. बिक्री प्रलेख सं.6939 तिथि 11.7.2002 के माध्यम से ग्राम सांद हवाली, तहसील एवं जिला मुजफ्फरनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1061/5, 1117, 951 तथा 1061/3 के भाग पर प्लॉट, माप 27460.00 वर्ग मी

उपरोक्त सूची में क्रम सं. (i) से (xix) में वर्णित सम्पत्ति के लिए आरक्षित मूल्य रु. 11.16 करोड़ (रुपए ग्यारह करोड़ सोलह लाख मात्र) तथा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 1,11,60,000 (रुपए एक करोड़ ग्यारह लाख साठ हजार मात्र) है।
उपरोक्त सूची में क्रम सं. (xx) में वर्णित सम्पत्ति के लिए आरक्षित मूल्य रु. 1.94 करोड़ (रुपए एक करोड़ चौड़ानवे लाख मात्र) तथा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 19,40,000 (रुपए उन्नीस लाख चालीस हजार मात्र) है।
उपरोक्त सूची में क्रम सं. (xxi) में वर्णित सम्पत्ति के लिए आरक्षित मूल्य रु. 32,00,000/- करोड़ (रुपए बत्तीस लाख मात्र) तथा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 3,20,000 (रुपए तीन लाख बीस हजार मात्र) है।
उपरोक्त सूची में क्रम सं. (xxii) में वर्णित सम्पत्ति के लिए आरक्षित मूल्य रु. 61,00,000/- (रुपए इकसठ लाख मात्र) तथा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 6,10,000 (रुपए छह लाख दस हजार मात्र) है।

1. नीलामी बिक्री वेबसाईट पोर्टलः https://drt.auctiontiger.net पर ''ऑन लाईन ई-नीलामी'' होगी।
2. ईएमडी का भुगतान रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली खाता आर.सी. नं. 205/2015 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा अथवा खाताः एडलवेइस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कं.लि. जिसका पंजीकृत कार्यालय एडलवेइस हाउस ऑफ, सीएसटी रोड, कलीना, मुम्बई-400098 में है, खाता नं. 004103000054719, आईडीबीआई बैंक, नरीमन प्वाइन्ट, आईएफएससी कोड IBKL0000004 में आरजीटीएस/ एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा। उक्त डिमाड ड्राफ्ट/ पे आर्डर अथवा एनईएफटी/ आरटीजीएस के द्वारा भुगतान के मूल प्रमाण पत्र, ईएमडी सहित पहचान के स्व- सत्यापित प्रमाण (वोटर आई-कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट) जिसमें भविष्य में पत्राचार का पता शामिल हो तथा पैन कार्ड तथा कम्पनी के मामले में बोर्ड के सदस्य द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कम्पनी का प्रतिनिधित्व/ एटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य किसी दस्तावेज की स्वतः सत्यापित प्रति अधिकतम **6.11.2019 के 4.00 बजे अप. तक** रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। वैयक्तिक मामले में यदि बोली की गई हो उसके प्रधान की उद्घोषणा जमा की जायगी। बाद के मामले में बोलीदाता को उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी। उसके बाद प्राप्त ईएमडी अथवा ईएमडी के मूल प्रमाण को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. ईएमडी का भुगतान रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली खाता ''आर.सी. नं. 200/2015'' के पक्ष में पे आर्डर या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा। पहचान (वोटर आई कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट) जिसमें भविष्य के पत्राचार का पता शामिल हो तथा पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति के साथ ईएमडी के लिये उक्त डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में अधिकतम 6.11.2019 के 4.00 बजे अप. पहुंच जाना चाहिये। उसके बाद प्राप्त ईएमडी पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. संपत्ति की बिक्री **''जैसा है जहां है आधार''** पर की जा रही है।
5. ईएमडी या ईएमडी के एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा जमा की गई मूल प्रमाण तथा प्रेषक के विवरणों जैसे पते, ई-मेल आईडी तथा मोबाईल नंबर आदि से युक्त लिफाफे के ऊपर 'आरसी नं. 200/2015' शीर्षांकित किया जाना चाहिए।
6. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://www.drtauctiontiger.net देखें एवं/ अथवा श्री मेघराज देशमुख, प्रबंधक विधि, मोबाईल नं. 7506642534, लैंडलाइन नं. 022-40885919 से सम्पर्क करें।
7. संभावित बोलीदाता को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा तथा अग्रिम में लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जो ई-प्रॉक्योर्मेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बी 704,-705, वाल स्ट्रीट-II, ऑरिएंट क्लब के सामने, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, संपर्क व्यक्तिः श्री प्रकाश चौधरी, मो.नं. +916351896643, ई-मेल आईडीः prakash@auctiontiger.net, श्री विवेक कचरिया, लैंडलाइन नं. 079-61200505/ 503/ 544, ई-मेल आईडीः vivek@auctiontiger.net, हेल्पलाईन नं. 07-0270594/ 587/ 538/ 568/ 598, ई-मेलः support@auctiontiger.com से प्राप्त करना अनिवार्य है।
8. इच्छुक बोलीदाता ईएमडी के भुगतान के बाद मै. ई-प्रॉक्योर्मेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बी-704/705, वाल स्ट्रीट-II, ऑरिएंट क्लब के सामने, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, संपर्क व्यक्ति श्री प्रकाश चौधरी, मो.नं. +916351896643, ई-मेल आईडीः prakash@auctiontiger.net, श्री विवेक कचरिया, लैंडलाइन नं. 079-61200505/ 503/ 544, ई-मेल आईडीः vivek@auction-tiger.net, हेल्पलाईन नं. 07-0270594/ 587/ 538/ 568/ 598, ई-मेलः support@auctiontiger.net से ई-नीलामी प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
9. संभावित बोलीदाता 31.10.2019 तथा 1.11.2019 को 10.30 पूर्वा. से 4.00 बजे अप. के बीच साइट का निरीक्षण कर सकते हैं।
10. केवल ऐसे बोलीदाता ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अधिकृत होंगे जिनके पास वैद्य यूजर आईडी एवं पास्वर्ड तथा डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर या एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
11. जो इच्छुक बोलीदाता 6.11.2019 के 4.00 बजे अप. तक आरक्षित मूल्य से ऊपर अपना प्रस्ताव जमा करते हैं वे ई-नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे जो 8.11.2019 को 3 बजे अप. से 4 बजे अप. के बीच आयोजित की जाएगी। यदि बोली अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगी।
12. बोलीदाता रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं।
13. असफल बोलीदाता ई-नीलामी के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली/ सीएच, अर्थात् एडलवेइस एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी से प्रत्यक्ष रूप से अपना ईएमडी प्राप्त कर सकते हैं।
14. सफल/ उच्चतम बोलीदाता को रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली खाता आरसी नं. 200/2015 के पक्ष में 25% का डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर तैयार करना होगा तथा उसे रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी- II, दिल्ली के कार्यालय में इस तरह से भेजना होगा ताकि वह इस अधिकरण में अगले बैंक कार्य दिवस के 4 बजे अप. तक पहुंच जाए।
15. सफल/ उच्चतम बोलीदाता को रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II दिल्ली, खाता आर.सी. नं. 200/2015 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा तथा संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15 वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को 1000/- तक 2% तथा उससे अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क के साथ रिकवरी अधिकारी- II, डीआरटी-II, दिल्ली के पास रजिस्ट्रार, डीआरटी-I, दिल्ली के पक्ष में देय शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान करना होगा (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उक्त रूप से रिकवरी अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए। निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे के डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता को उस राशि अथवा जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे करने के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा।
16. सीएचएफआई/ सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि बिक्री उद्घोषणा दस्ती, स्पीड पोस्ट, कूरियर द्वारा तथा संपत्ति के किसी उपयुक्त भाग में उसे चिपकाकर सीडीज को उपलब्ध कराएं तथा परिक्षेत्र में ड्रम का वादन कराएं तथा उसकी एक प्रति अधिकरण की सूचना पटल पर लगवाएं।
17. बिक्री उद्घोषणा क्षेत्र में व्यापक प्रचार वाले अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित कराई जाए।
18. सीएचएफआई/ सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन को सुनिश्चित करें तथा प्रकाशन का मूल प्रमाण सुनवाई की अगली तिथि को दाखिल करें।
19. अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने, यदि अनुपयुक्त पाई जाती है, या किसी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।

संपत्ति की अनुसूची

लॉट नं.	बिक्री की जाने वाली संपत्ति का विवरण	संपत्ति या इसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	किसी अन्य ऋणभार का विवरण, जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी है	दावे, यदि कोई हो, जसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा कोई अन्य ज्ञात विवरण जिसमें उसकी प्रकृति एवं मूल्य हो
1.	i) बिक्री प्रलेख सं 7253 तिथि 17.6.2010 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 58, 65 तथा 69 के भाग का प्लॉट माप 5085.00 वर्ग मी.	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं
	ii) मै. राना हेवी इंजीनियरिंग लि. के नाम में बिक्री प्रलेख सं 7484 तिथि 15.6.2016 के माध्यम से ग्राम मौजा जरोदा, जिला मुजफ्फरनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1837 के भाग पर प्लॉट माप 111.22 वर्ग मी.			
	iii) बिक्री प्रलेख सं 8598 तिथि 15.7.2010 के माध्यम से ग्राम, मौजा जरोदा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1832 के भाग पर प्लॉट, माप 171.65 वर्ग मी.			
	iv) बिक्री प्रलेख सं 2895 तिथि 16.7.2016 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 72/2 के भाग पर प्लॉट, माप 305.55 वर्ग मी.			
	v) बिक्री प्रलेख सं 7249 तिथि 15.6.2016 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 58, 65 तथा 69 के भाग का प्लॉट माप 127.00 वर्ग मी.			
	vi) बिक्री प्रलेख सं 2896 तिथि 15.03.2007 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 72/2 के भाग का प्लॉट माप 127.90 वर्ग मी.			
	vii) बिक्री प्रलेख सं 18 तिथि 1.1.2008 के माध्यम से ग्राम मौजा जरोदा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1837 एम के भाग पर प्लॉट माप 329.76 वर्ग मी.			
	viii) बिक्री प्रलेख सं 2925 तिथि 19.3.2007 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 72/2 के भाग का प्लॉट, माप 175.45 वर्ग मी.			
	ix) बिक्री प्रलेख सं 15987 तिथि 27.12.2008 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 52 एवं 57 के भाग का प्लॉट, माप 404.11 वर्ग मी.			
	x) बिक्री प्रलेख सं 8597 तिथि 15.7.2010 के माध्यम से ग्राम मौजा जरोदा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1832 के भाग पर प्लॉट, माप 81.28 वर्ग मी.			
	xi) बिक्री प्रलेख सं 7248, तिथि 17.6.2010 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 58, 65 एवं 69 के भाग का प्लॉट, माप 2542.50 वर्ग मी.			
	xii) बिक्री प्रलेख सं 2476 तिथि 8.3.2002 के माध्यम से ग्राम मौजा जरोदा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1830 के भाग में प्लॉट, माप 13,390.00 वर्ग मी.			
	xiii) बिक्री प्रलेख सं 7557 तिथि 8.8.2002 के माध्यम से ग्राम मौजा जरोदा, जिला मुजफ्फर नगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1829 के भाग पर प्लॉट।			
	xiv. बिक्री प्रलेख सं. 4980 तिथि 15.05.2006 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फरनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 58, 65 तथा 69 के भाग पर प्लॉट माप 10,170.00 वर्ग मी.			
	xv. बिक्री प्रलेख सं. 7220 तिथि 29.06.2006 के माध्यम से ग्राम जरोदा, जिला मुजफ्फनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1834 के भाग पर प्लॉट, माप 7740.00 वर्ग मी. जो मै. राना हैवी इंजीनियरिंग के नाम में है।			
	xvi. बिक्री प्रलेख सं. 7518 तिथि 5.8.2002 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फरनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 56 के भाग पर प्लॉट, माप 670 वर्ग मी.			
	xvii. बिक्री प्रलेख सं. 7533 तिथि 18.08.2005 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फरनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 72/2 के भाग पर प्लॉट, माप 3610.00 वर्ग मी.			
	xviii. बिक्री प्रलेख सं. 10198 तिथि 15.12.2005 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 71 के भाग पर प्लॉट, माप 11470.00 वर्ग मी.			
	xix. बिक्री प्रलेख सं. 5869 तिथि 07.05.2007 के माध्यम से ग्राम जरोदा, जिला मुजफ्फनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1832 के भाग पर प्लॉट, माप 4645.00 वर्ग मी.			
2.	xx. बिक्री प्रलेख सं. 4789 तिथि 16.07.1997 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फरनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1201/21 के भाग पर प्लॉट, माप 14840.00 वर्ग मी.	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं
3.	xxi. बिक्री प्रलेख सं. 7558 तिथि 8.8.2002 के माध्यम से ग्राम नारा, जिला मुजफ्फरनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 52 तथा 57 के भाग पर प्लॉट, माप 2480.00 वर्ग मी.			
4.	xxii. बिक्री प्रलेख सं.6939 तिथि 11.7.2002 के माध्यम से ग्राम सांद हवाली, तहसील एवं जिला मुजफ्फरनगर, उ.प्र. में स्थित खसरा नं. 1061/5, 1117, 951 तथा 1061/3 के भाग पर प्लॉट, माप 27460.00 वर्ग मी.	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

ई-नीलामी के उद्देश्य से सर्विस (ट्रैक परिणामों क्वा स्पीड पोस्ट तथा कूरिअर सहित) तथा दस्ती, समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा व्यापक प्रचार के मूल प्रमाणों के साथ ई-नीलामी बिक्री सूचना का शपथ पत्र दाखिल करने के लिए मामले को 21.10.2019 को सूचीबद्ध कराई जाए।

(अविनाश चन्द्रा),
रिकवरी अधिकारी-II,
डीआरटी-II, दिल्ली

अमेरिका की शत्रुतापूर्ण नीतियों के खत्म होने तक वार्ता नहीं : उ. कोरिया

सोल, 6 अक्तूबर (एएफपी)।

उत्तर कोरिया ने रविवार को कहा कि अमेरिका द्वारा उसके खिलाफ शत्रुता खत्म करने के लिए कदम उठाए जाने तक परमाणु वार्ता जारी रखने का उसका कोई इरादा नहीं है। स्वीडन में वार्ता रुकने के एक दिन बाद उत्तर कोरिया ने यह कहा है।

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फरवरी में हुई एक बैठक के बाद कई महीनों तक चले गतिरोध के बाद यह चर्चा हुई। उत्तर कोरिया ने स्वीडन की वार्ता को बीच में ही छोड़ते हुए कहा कि अमेरिका द्वारा नए और रचनात्मक समाधान नहीं पेश किया जाना निराश करने वाला है। वहीं, अमेरिका ने कहा है कि वह दो हफ्तों में फिर से बैठक करने को इच्छुक है।

उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि एक और बैठक का अमेरिका का दावा बेबुनियाद है। उन्होंने कहा, 'ऐसी बेकार की वार्ता करने का हमारा कोई इरादा नहीं है।' उत्तर कोरिया की समाचार एजंसी के मुताबिक प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने अपना पुराना रवैया नहीं छोड़ा तो वार्ता तुरंत टूट जाएगी।

उन्होंने कहा, 'अमेरिका द्वारा शत्रुतापूर्ण नीतियों के खत्म करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाने तक इस तरह की वार्ता की प्योंगयांग की कोई इच्छा नहीं है।' उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया की वार्ता का भविष्य अमेरिका के हाथों में है और इसकी समयसीमा इस साल के अंत तक है। उधर अमेरिका ने कहा कि बैठक में अच्छी चर्चा हुई और उत्तर कोरिया की टिप्पणी में वह चीज या भावना नहीं झलकती है जो साढ़े आठ घंटे की चर्चा में हुई।

कंसास के बार में देर रात गोलीबारी में चार की मौत, पांच घायल

कंसास सिटी (अमेरिका), 6 अक्तूबर (एपी)।

अमेरिका के कंसास सिटी में एक हमलावर वहां स्थित बार में घुसा और नौ लोगों पर ताबड़तोड़ गोली चला दी। हमले में चार व्यक्तियों की मौत हो गयी।

केएसएचबी-टीवी की खबरों के अनुसार अधिकारियों को स्थानीय समयानुसार शनिवार देर रात करीब डेढ़ बजे तकीला केसी बार से फोन आया था, जिसमें गोलीबारी की जानकारी दी गई थी। पुलिस ने कहा कि एक व्यक्ति बार में घुसा और गोलियां चलाने लगा। बार के अंदर ही चार लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायलों को अस्पताल ले जाया गया। गोलीबारी की घटना में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अधिकारी यह पता लगा रहे हैं कि घटना में एक हमलावर शामिल था या उससे अधिक। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। कंसास सिटी की पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसकी थोड़ी-बहुत जानकारी दी है।

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का पीओके दौरा

इस्लामाबाद, 6 अक्तूबर (भाषा)।

अमेरिका के उच्चस्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद जमीनी स्तर पर हालात का पता लगाने और लोगों की भावनाओं को जानने के लिए रविवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) का दौरा किया।

इस प्रतिनिधिमंडल में सीनेटर क्रिस वान होलेन और मैगी हसन के साथ ही अमेरिकी उप राजदूत पाल जोंस शामिल थे। उन्होंने पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद का दौरा किया। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य भारत द्वारा पांच अगस्त को लिए गए फैसले के बाद जमीनी स्थिति देखना और जनता की भावनाओं को समझना था। विदेश विभाग ने कहा, 'अमेरिकी सीनेटर ने कहा कि वे मानवाधिकार की चिंताओं को साझा करते हैं और भारत से यह अनुरोध जारी रखेंगे कि वह इस दिशा में पहले कदम के तहत कर्फ्यू हटा ले और सभी कैदियों को रिहा करे। उन्होंने इस विवाद के समाधान में जुटे रहने के अपने संकल्प को भी दोहराया।' प्रतिनिधिमंडल ने पाक अधिकृत कश्मीर के नेता सरदार मसूद खान और राजा फारूक हैदर से भी मुलाकात की।

कंदील बलोच का भाई इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार

लाहौर, 6 अक्तूबर (भाषा)।

पाकिस्तान की सोशल मीडिया सेलिब्रिटी कंदील बलोच के फरार भाई को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार कर पंजाब प्रांत की पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

बलोच की नृशंस हत्या के मामले में उसका यह भाई आरोपी था। कंदील के तौर पर प्रसिद्ध फौजिया अजीम की 15 जुलाई, 2016 को पंजाब प्रांत के मुल्तान में गला घोंट कर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड से पूरा पाकिस्तान स्तब्ध था। सोशल मीडिया पर दुख भरे संदेशों का सैलाब उमड़ने के साथ ही झूठी शान के नाम पर महिलाओं की हत्या किए जाने की कुप्रथा पर तीखी बहस शुरू हो गई थी।

नीदरलैंड में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर हुए कई कार्यक्रम

द हेग, 6 अक्तूबर (भाषा)।

नीदरलैंड में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अहिंसा मार्च और प्रदर्शनी समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। नीदरलैंड में भारतीय दूतावास ने गांधी अहिंसा फाउंडेशन और अन्य समूहों के साथ एक साइकिल रैली, स्मृति सभा और विद्यालय संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रमों की शुरुआत 29 सितंबर को साइकिल रैली से हुई ।

भारतीय दूतावास ने बयान में कहा कि खराब मौसम के बावजूद बच्चों समेत बड़ी संख्या में साइकिल के शौकीन लोग गांधीवादी दर्शनों की सादगी और प्रासंगिकता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नीदरलैंड में भारत के राजदूत वेणु राजमौनी और गांधी अहिंसा फाउंडेशन के नेताओं के साथ रैली में शामिल हुए। साइकिल रैली द हेग की सड़कों से गुजरी। इसके अलावा राजदूत राजमौनी ने एक अक्तूबर को द हेग के सिटी हॉल के प्रांगण में 'लाइफ एंड मैसेज ऑफ गांधी' को लेकर चार दिवसीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। वहीं 24 सितंबर से तीन अक्तूबर के बीच स्वंयसेवक 'फॉलो द महात्मा' अभियान को लेकर नीदरलैंड के 28 विद्यालयों और 2400 से अधिक छात्रों के बीच पहुंचे और गांधी के अहिंसा के संदेश और वर्तमान विश्व में इसकी प्रासंगिकता के बारे में चर्चा की। बापू के संदेशों के प्रसार के लिए शहर में अहिंसा मार्च निकाला गया। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब द हेग में अंहिसा मार्च निकाला गया। अहिंसा मार्च में 300 स्कूली बच्चों और 150 लोगों ने शिरकत की। भारतीय राजदूत राजमौनी ने दो अक्तूबर को द हेग के हरित क्षेत्र और नीदरलैंड के सबसे पुराने वनों में से एक 'हागसे बोस' में एक प्रतीकात्मक लाल बीच का पेड़ लगाया।

Form G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the IBBI
(Insolvency Resolution Process of Corporate Persons) Regulations, 2016

Relevant Particulars

1.	Name of the corporate debtor	Anush Finlease and Construction Private Limited
2.	Date of Incorporation of Corporate Debtor	28-01-1997
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	RoC- Delhi
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U65910DL1997PTC084696
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of the Corporate Debtor	Registered Address: Plot No 11, CBD Centre, Shahdara, Delhi -110032
6.	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	30-05-2019
7.	Date of invitation of expression of interest	07-10-2019 (Previous Date: 13.08.2019)
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Details may be obtained by emailing at cirp.anushfinlease@gmail.com
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	Details may be obtained by emailing at cirp.anushfinlease@gmail.com
10.	Last date for receipt of expression of interest	22-10-2019 (Previous Date: 28.08.2019)
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	01-11-2019 (Previous Date: 07.09.2019)
12.	Last date for submission of objections to provisional list	06-11-2019 (Previous Date: 12.09.2019)
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	16-11-2019 (Previous Date: 22.09.2019)
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	06-11-2019 (Previous Date: 12.09.2019)
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum("IM") and further information	The Request for Resolution Plan, Evaluation matrix, Information Memorandum (IM) and format of Confidentiality Undertaking shall be shared on request addressed to **cirp.anushfinlease@gmail.com**
16.	Last date for submission of resolution plans	06-12-2019 (Previous Date: 12.10.2019)
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	The Resolution Plan along with all supporting information, documents and various forms/affidavits/ authorisations shall be submitted to the Resolution professional at the following address:**359, Udyog Vihar Phase II, Sector 20 Gurgaon, Haryana-122016** and electronically at the following Mail Id: **cirp.anushfinlease@gmail.com**
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	25-01-2020 (Previous Date: 11.11.2019)
19.	Name and registration number of the resolution professional	Aashish Gupta, Reg. No: IBBI/IPA-001/IP-P00687/2017-18/11164
20.	Name, Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	Aashish Gupta, 1/4852, Gali No. 10, Balibir Nagar Extension, Shahdara, Delhi-110032 Email Id : aashish_ca@rediffmail.com
21.	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	359, Udyog Vihar Phase II, Sector-20 Gurgaon, Haryana-122016.cirp.anushfinlease@gmail.com
22.	Further Details are available at or with	With the Resolution Professional Aashish Gupta 359, Udyog Vihar Phase II, Sector 20, Gurgaon, Haryana--122016
23.	Date of publication of Form G	Newspaper publication 07-10-2019 (Previous Date: 13.08.2019)

Notes:-
1. This Form G published herewith is in continuation to the earlier Form G published on 13.08.2019 and the existing prospective resolution applicant(s) shall have an option to either continue with the Expression of Interest already submitted or may submit a fresh Expression of interest with amended terms. A separate communication from the existing prospective resolution applicant(s) shall be required in this regards.
2. The Form G is published pursuant to the resolutions passed by the CoC Members vide e-voting concluded on 06.10.2019 to re-invite expression of interest as well as extension of CIRP tenure by further 90 days. The Form G published herein shall be subject to approval of the Hon'ble NCLT granting extension of CIRP period by 90 days.

Date 06-10-2019
Place: Gurgaon,Haryana

Aashish Gupta
Resolution Professional
For Anush Finlease and Construction Private Limited

नेपाल की संसद के पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार

काठमांडो, 6 अक्तूबर (भाषा)।

नेपाल की संसद के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा को संसदीय सचिवालय की एक महिला कर्मी के साथ कथित रूप से बलात्कार का प्रयास करने के मामले में रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

काठमांडो की जिला अदालत की अनुमति पर पुलिस ने महरा को काठमांडो के बाहरी क्षेत्र बालूवतार में उनके सरकारी आवास से हिरासत में लिया। जिला अदालत ने शनिवार को दर्ज कराई गई प्राथमिमकी के आधार पर यह इजाजत दी। पूर्व संसद अध्यक्ष के खिलाफ बलात्कार के प्रयास और हिंसक कृत्य को लेकर मामला दर्ज किया गया है।

हांगकांग में मास्क पहन कर उतरे प्रदर्शनकारी

हांगकांग, 6 अक्तूबर (एपी)।

मध्य हांगकांग में रविवार को हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारी 'मास्क पहनना अपराध नहीं है' के नारे भी लगा रहे थे। वहीं मास्क पहन कर प्रदर्शन करने पर लगे प्रतिबंध को हटाने से दूसरी बार अदालत ने इनकार कर दिया।

चेहरा ढककर प्रदर्शन करने पर रोक शनिवार से प्रभावी हो गई जिसके बाद दो दिन से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प बढ़ गई है। शुक्रवार रात में एक किशोर प्रदर्शनकारी को एक पुलिसकर्मी ने आत्मरक्षा में जांघ पर गोली मार दी। सांसद डेनिक क्वोक ने कहा कि हाई कोर्ट ने मास्क प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया। लेकिन अदालत 24 सासंदों की उस याचिका पर इस महीने के अंत में सुनवाई करेगी जिसमें हांगकांग की मुख्य प्रशासक कैरी लाम की आपात शक्तियों को चुनौती दी गई है। विवार को शहर के कई सबवे रेलवे स्टेशन खुले लेकिन कई मॉल बंद रहे क्योंकि हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे और उनमें से ज्यादातर ने प्रतिबंध के बावजूद मास्क पहना हुआ था।

चीनी अधिकारी को मुक्के मारने का वीडियो वायरल

हांगकांग, 6 अक्तूबर (एएफपी)।

हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक के चीनी अधिकारी को मुक्का मारने के वीडियो ने चीन में आक्रोश पैदा कर दिया है। वीडियो में हांगकांग के वाणिज्यिक जिले में एक रैली से इतर नकाब पहने प्रदर्शनकारी जेपी मॉर्गन के प्रवेश पर सफेद शर्ट पहने व्यक्ति को लगातार मुक्के मारता दिख रहा है।

कोलकाता में जन्मी मिस इंग्लैंड ने बच्चों के लिए धन जुटाने में मदद की

लंदन, 6 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय मूल की मिस इंग्लैंड-2019 भाषा मुखर्जी ने कोलकाता में सड़कों और झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के लिए काम कर रही ब्रिटेन की धर्मार्थ संस्था के लिए धन जुटाने में मदद की है।

कोलकाता में बचपन बिताने वाली पेशे से चिकित्सक मुखर्जी अगले महीने होने वाली मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की तैयारियों से समय निकाल कर शुक्रवार रात लंदन में 'होप फाउंडेशन' के चंदा एकत्रित करने के कार्यक्रम में शामिल हुईं। कार्यक्रम के टिकटों की बिक्री और नीलामी व कई तरह के दान के जरिये संस्था के लिए 20,000 पाउंड से अधिक की धनराशि एकत्रित हुई। पूर्वी इंग्लैंड के लिकोलनशर में फिलहाल जूनियर डॉक्टर के तौर पर काम कर रहीं 23 वर्षीय भाषा ने कहा कि भाग्य लोगों का साथ ले आता है। मैं कोलकाता से हूं। लिहाजा होप फाउंडेशन मेरे लिए बेहद खास है। भाषा नौ साल की आयु में लंदन आ गई थीं। भाषा ने कहा कि होप सिर्फ कोलकाता के बच्चों के लिए नहीं है। यह पूरी दुनिया के बच्चों के लिए है और मेरा 'ब्यूटी विद पर्पज़' मिशन स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर है, एक चिकित्सक होने के नाते मैं इसे लेकर बेहद उत्साहित हूं। मैं मिस इंग्लैंड बनने से मिली पहचान के जरिये लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहती हूं ताकि वे समाज में अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकें। होप फाउंडेशन की स्थापना 1999 में आयरलैंड की मॉरीन फॉरेस्ट ने कोलकाता में सड़कों पर रहने के लिए मजबूर 14 युवा लड़कियों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए की थी। पहले संस्था के पास एक संरक्षण गृह हुआ करता था जिनकी संख्या बढ़कर अब 12 हो गई है। संस्था के प्रयासों से कोलकाता में झुग्गियों और सड़कों पर रहने वाले लाखों लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा है।

epaper.jansatta.com

इस साल आइपीओ से निवेशकों को मिला अच्छा रिटर्न

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर (भाषा)।

नकदी जुटाने के लिहाज से इस साल प्राथमिक बाजार (आरंभिक सार्वजनिक निर्गम) निवेशकों के लिए फायदेमंद रहा है। सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों की खरीद-बिक्री वाले बाजार (सेकेंडरी मार्केट) में अत्यधिक उतार–चढ़ाव के बीच निवेशकों के लिए प्राथमिक या आइपीओ बाजार आकर्षक रहा है।

आंकड़ों के अनुसार इस साल अबतक सूचीबद्ध कंपनियों में से 70 फीसद के शेयर निर्गम मूल्य से ऊपर के मूल्य पर कारोबार कर रहे हैं और इन शेयरों ने निवेशकों को 95 फीसद तक रिटर्न दिया है।

विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव, अर्थव्यवस्था में नरमी, कमजोर निवेशक धारणा तथा विदेशी निवेशकों द्वारा कोष की निकासी से बाजार में उतार–चढ़ाव रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उतार–चढ़ाव के बावजूद बेहतर आइपीओ की हमेशा अच्छी मांग रही है। इस साल अब तक सूचीबद्ध 11 कंपनियों के शेयरों के चार अक्तूबर तक के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया। इसके आधार पर यह बात सामने आयी कि आठ के आइपीओ में निर्गम मूल्य के मुकाबले 7 से 95 फीसद तक की अच्छी वृद्धि हुई है। वहीं तीन कंपनियां निवेशकों को आकर्षित करने में विफल रहीं और और इनके शेयर निर्गम मूल्य से नीचे कारोबार कर रहे हैं।

11 में से आठ शेयरों ने दिया लाभ

अत्यधिक उतार–चढ़ाव के बीच निवेशकों के लिए प्राथमिक या आइपीओ बाजार आकर्षक रहा है

इंडिया मार्ट इंटेर मेश जुलाई में सूचीबद्ध हुआ। इसके शेयर के भाव में निर्गम मूल्य के मुकाबले बंबई शेयर बाजार में सर्वाधिक 95 फीसद की वृद्धि दर्ज की गयी। उसके बाद नियोजेन केमिकल्स का स्थान रहा जिसके शेयर भाव में 76 फीसद की वृद्धि हुई है।

इसी प्रकार, एफल (इंडिया) लि. और मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर ने अपने निवेशकों को क्रम से लगभग 49 और 40 फीसद तक रिटर्न दिया। इसके अलावा पॉलिकैब इंडिया, रेल विकास निगम लि., शैलेट होटल्स और स्पंदन स्फूर्ति फाइनेंशियल के आइपीओ निर्गम मूल्य के मुकाबले क्रम से 24 फीसद, 21 फीसद, 12 फीसद और 7 फीसद मजबूत हुए।

वहीं दूसरी तरफ तीन कंपनियों एमएसटीसी, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर तथा जेल्पमॉक डिजाइन एंड टेक निवेशकों को रिटर्न देने में विफल रहीं। एमएसटीसी मार्च में शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई। कंपनी का शेयर 24 फीसद टूटा। वहीं अगस्त में सूचीबद्ध स्टिर्लिंग एंड विल्सन सोलर का शेयर 23 फीसद से अधिक नीचे आया है। इसी प्रकार, जेल्पमॉक डिजाइन एंड टेक का शेयर निर्गम मूल्य के मुकाबले 4.5 फीसद नीचे आया है। आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के बुनियादी शोध (निवेश सेवा) के प्रमुख नरेंद्र सोलंकी ने कहा, पिछले एक साल से कई कारणों से बाजार में उत्साह नहीं है। कुल मिलाकर निवेशकों के बीच धारणा कमजोर रही। ऐसी स्थिति में बेहतर मूल्य वाले आइपीओ ने निवेशकों को अच्छा अवसर दिया...। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कुछ कंपनियों का बही–खाता दुरूस्त होने के कारण भी निवेशक इनके शेयरों के प्रति आर्किषत हुए। भारी–उतार–चढ़ाव के बीच बीएसई के संसेक्स में इस साल अबतक चार फीसद की वृद्धि हुई है। इस साल अबतक कुल 13 कंपनियों ने आइपीओ के जरिए 11,000 रुपए जुटाए हैं। वहीं पिछले साल 2018 में पूरे वर्ष के दौरान 24 कंपनियों ने आइपीओ से 30,959 करोड़ रुपए जुटाए थे।

पूंजी बाजार में दस्तक देने वाली कुल 13 कंपनियों में से आइआरसीटीसी और विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीज के आइपीओ शुक्रवार को बंद हुए। ये कंपनियां इस महीने सूचीबद्ध होंगी।

बाजार के सीमित दायरे में रहने के आसार

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर (भाषा)।

शेयर समीक्षा

घरेलू शेयर बाजारों के आगामी सप्ताह में सीमित दायरे में कारोबार करने की संभावना है। वैश्विक रुख के साथ टीसीएस, इंफोसिस जैसी बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों से बाजार की चाल तय होगी। बाजार विश्लेषकों ने यह बात कही है। अगले सप्ताह मंगलवार को दशहरा के मौके पर शेयर बाजार बंद रहेंगे।

एपिक रिसर्च के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मुस्तफा नदीम ने कहा, हम कंपनियों के तिमाही नतीजों के दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले सप्ताह आने वाले टीसीएस, विप्रो और इंफोसिस के तिमाही नतीजों से काफी संकेत मिलेंगे। कुछ विशेष क्षेत्रों में उतार–चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा, सके अलावा व्यापार मोर्चे पर अमेरिका–चीन के बीच चल रही बातचीत पर भी बाजार की निगाह रहेगी। टाटा कंसल्टेंसी सिंवसेज (टीसीएस) के तिमाही नतीजे बृहस्पतिवार और इंफोसिस के परिणाम शुक्रवार को आएंगे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सिंवसेज के प्रबंध निदेशक मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं और तिमाही नतीजों पर उनकी निगाह रहेगी। संभावना है कि शेयर बाजार सतर्क रुख अपनाएगा और सीमित दायरे में रहेगा।

वित्त मंत्रालय 14 अक्तूबर से शुरू करेगा बजट तैयारी की प्रक्रिया

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर (भाषा)।

वित्त मंत्रालय 2020–21 के सालाना बजट की तैयारी प्रक्रिया 14 अक्तूबर से शुरू करेगा। मंत्रालय को अन्य बातों के अलावा आर्थिक वृद्धि में नरमी और राजस्व संग्रह में कमी के महत्त्वपूर्ण मसलों का समाधान करना है। बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा।

यह नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दूसरा बजट होगा। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की बजट इकाई के बजट परिपत्र (2020–21) के अनुसार, बजट पूर्व/संशोधित अनुमान को बैठकें 14 अक्तूबर 2019 से शुरू होंगी। व्यय सचिव की अन्य सचिवों और वित्तीय सलाहकारों के साथ चर्चा पूरी होने के बाद वित्त वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमानों को अस्थायी तौर पर अंतिम रूप दिया जाएगा। बजट पूर्व बैठकें 14 अक्तूबर से शुरू होंगी और नवंबर के पहले सप्ताह तक जारी रहेंगी।

एक फरवरी को पेश किया जाएगा 2020–21 का बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दूसरा और नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट होगा। पूर्व में बजट फरवरी के अंत में पेश किया जाता था

वित्त वर्ष 2020–21 का बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार ने फरवरी के अंत में पेश होने वाले बजट की वर्षों से चले आ रही परंपरा को समाप्त किया है। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहली बार 2018–19 का बजट एक फरवरी 2017 को पेश किया था।

इससे मंत्रालयों को बजट राशि वित्त वर्ष की शुरुआत से आबंटित की जाती है। इससे जहां एक तरफ सरकारी विभाग बेहतर तरीके से व्यय की योजना बना पाते हैं वहीं कंपनियों को व्यापार और कराधान योजना बनाने में मदद मिलती है।

पूर्व में जब बजट फरवरी के अंत में पेश किया जाता था तब तीन चरणों में संसद में बजट पारित होने की प्रक्रिया मई के मध्य में पूरी हो पाती थी। इससे राशि आबंटित होते–होते मानसून आ जाता। इससे सरकारी विभाग अगस्त के अंत या सितंबर से ही परियोजनाओं पर खर्च शुरू कर पाते।

विदेश में तेजी, त्योहारी मांग से तेल की कीमतों में सुधार

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर (भाषा)।

तिलहन समीक्षा

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी के रुख और त्योहारी मांग के कारण स्थानीय तेल तिलहन बाजार में बीते सप्ताह सरसों सहित ज्यादातर तेल तिलहनों में मामूली सुधार देखने को मिला। दूसरी ओर सर्दी आने की वजह से मांग कम होने से पामोलीन तेल कीमत पूर्वस्तर पर बनी रही जबकि पर्याप्त स्टॉक तथा सस्ते आयात के कारण मूंगफली तेल, तिलहन कीमत में गिरावट दर्ज हुई।

बाजार सूत्रों ने कहा कि अगले सप्ताह के बाद से सरसों की बिजाई शुरु होनी है। इससे पहले नाफेड की सरसों बिकवाली से विशेषकर सरसों किसान बेहाल हैं जिन्हें नाफेड द्वारा एमएसपी से कम दर पर सरसों के बेचने से अपनी लागत को निकालना भी मुश्किल हो रहा है। राजधानी के एक तेल व्यापारी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने का अनुरोध करते हैं मगर फिर भी बिजाई के ठीक पहले एमएसपी से कम दर पर नाफेड की सरसों बिकवाली से सरसों किसान हतोत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि अगर फसल बेचने की कोई मजबूरी भी हो तो नाफेड को बिजाई का मौसम खत्म होने के बाद यह बिकवाली करनी चाहिए। उसने कहा कि बिक्री जारी रहने से सरसों किसान के बीच गलत संकेत जाएगा और इसका असर अगले साल उत्पादन पर देखने को मिल सकता है। बाजार सूत्रों ने कहा कि विदेशों में तेजी का रुख है और अमेरिका का सोयाबीन निर्यात में सितंबर माह के दौरान लगभग 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिससे शिकागो में सोयाबीन कीमतें मजबूत हुई हैं। इसके अलावा त्यौहारी मांग होने से अधिकतर खाद्य तेलों के भाव में सुधार दिखाई दिया। तेजी के इस माहौल के बीच सरसों दाना (तिलहन फसल) और सरसों दादरी तेल के भाव पिछले सप्ताहांत के मुकाबले क्रम से 65 रुपए और 70 रुपए सुधरकर सप्ताहांत में क्रम से 4,040–4,060 रुपए और 8,040 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुए। जबकि सरसों पक्की और कच्ची घानी की कीमतें 10–10 रुपए के सुधार के साथ क्रम से 1,290–1,590 रुपए और 1,490–1,640 रुपए प्रति टिन पर बंद हुई। सरसों की यह कीमत अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम ही हैं। अन्य सस्ते खाद्य तेलों का आयात बढ़ने के कारण मांग प्रभावित होने से मूंगफली की कीमत में गिरावट आई और मूंगफली दाना (तिलहन फसल) और मूंगफली मिल डिलिवरी (गुजरात) की कीमतें पिछले सप्ताहांत के मुकाबले 100 रुपए और 500 रुपए की हानि दर्शाती क्रम से 4,645–4,820 रुपए और 10,000 रुपए क्विंटल पर बंद हुईं।

रोमेश पावर प्रोडक्ट्स के खिलाफ 'दिवाला व ऋणशोधन प्रक्रिया' बंद

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर (भाषा)।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने रोमेश पावर प्रोडक्ट्स के खिलाफ शुरू हुई दिवाला एवं ऋणशोधन प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया है।

एनसीएलएटी ने पाया कि कंपनी के एक परिचालन ऋणदाता ने गलत मंशा से याचिका दायर की थी। एनसीएलएटी ने कहा कि रोमेश पावर प्रोडक्ट्स को परिचालन के लिए मदद देने वाली राजधानी ट्रेडिंग कंपनी ने साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी को आपूर्ति किए माल के एवज में भुगतान की चूक को लेकर एनसीएलटी में याचिका दायर की थी। हालांकि राजधानी ट्रेडिंग इस बात से अवगत थी कि इसका भुगतान सीधे तौर पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी करेगी। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की जयपुर पीठ ने राजधानी ट्रेडिंग की याचिका स्वीकार कर 20 दिसंबर, 2018 को दिवाला एवं ऋणशोधन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया था। बाद में एनसीएलटी ने 21 फरवरी, 2019 को अपना आदेश वापस लेने से भी मना कर दिया था।

एनसीएलएटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अगुआई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि रोमेश पावर प्रोडक्ट्स के खिलाफ गलत इरादे से याचिका दायर की गयी थी। अतः एनसीएलटी के 20 दिसंबर, 2018 और 21 फरवरी, 2019 के आदेश को निरस्त किया जाता है। एनसीएलएटी ने परिचालन में मदद देने वाली कंपनी तथा कॉरपोरेट ऋणदाता को 30 दिनों के भीतर दिवाला शोधन पेशेवर की फीस और लागत का बराबर–बराबर भुगतान करने को भी कहा।

ई–आकलन केंद्र का आज उद्घाटन करेंगी वित्त मंत्री

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 अक्तूबर।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को आयकर विभाग के राष्ट्रीय ई–आकलन केंद्र (एनईएसी) का उद्घाटन करेंगी। इससे करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच आमना–सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एनईएसी बेहतर करदाता सेवा, प्रधानमंत्री के 'डिजिटल इंडिया' के दृष्टिकोण के अनुरूप करदाताओं की शिकायतों में कमी लाने व कारोबार सुगमता को बढ़ाने की दिशा में कदम है।

नई पहल से आकलन प्रक्रिया में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच आमना–सामना की जरूरत नहीं होगी। इस नई व्यवस्था में करदाताओं को पंजीकृत ई–मेल और वेब पोर्टल 'डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इनकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग.जीओवी. इन' के पंजीकृत खातों पर नोटिस मिलेगा। साथ ही पंजीकृत मोबाइल पर तत्काल एसएमएस मिलेगा। इन संदेशों में मुद्दों का जिक्र होगा। जिसके आधार पर मामले को जांच के लिए चुना गया है।

करदाता नोटिस का जवाब अपनी सुविधानुसार अपने घर या दफ्तर से दे सकते हैं और संबंधित वेब पोर्टल पर अपलोड कर उसे ई–मेल के जरिए राष्ट्रीय ई–आकलन केंद्र को भेज सकते हैं।

दिसंबर में फिर ब्याज दर घटा सकता है रिजर्व बैंक

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर की द्वैमासिक मौद्रिक समीक्षा में भी ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। ब्रोकरेज कंपनियों का मानना है कि दिसंबर में केंद्रीय बैंक रेपो दर में चौथाई फीसद की और कटौती करेगा। उसके बाद वह कटौती का सिलसिला रोक देगा।

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने शुक्रवार को रेपो दर को 0.25 फीसद घटाकर 5.15 फीसद कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वह वृद्धि को प्रोत्साहन देने तक इस नरम रुख को जारी रखेगा।

गोल्डमैन सैश ने एक रिपोर्ट में कहा, हमें इस बात की काफी संभावना दिख रही है कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति दिसंबर की मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर को चौथाई फीसद और घटाकर 4.90 फीसद पर लाएगी। यह अक्तूबर में अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में अतिरिक्त कटौती के हमारे अनुमान से मेल खाता है।

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा–I

12वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्सटॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली–110001, फोन: 011-23701070, 23701097, 23701157, 23701167, 23701195, फैक्स : 23701202, ई–मेल: sbi.04109@sbi.co.in

ई–नीलामी बिक्री सूचना

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक/गिरवी/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा, (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत – दाता (भारतीय स्टेट बैंक) से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **05-11-2019** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

क्र. सं.	कर्जदार (बी)/गारंटर (रों) (जी)/ का नाम पता/पते सहित	नीलामी के अधीन आवृत्त प्रभारित प्रतिभूति का पता	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%) वृद्धि राशि	मांग सूचना की तारीख एवं बकाया राशि	सम्पत्ति का स्थल पर निरीक्षण करने हेतु तिथि एवं समय एवं प्राधिकृत अधिकारी का नाम	ई–नीलामी की तिथि / समय 5 मिनट प्रत्येक के आसीमित स्वतः विस्तार सहित
1	मैसर्स ब्रशमैन इण्डिया लि. (कर्जदार), पंजीकृत कार्यालय: बी–95/3, फेज़–1, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110028 मैसर्स ब्रशमैन इण्डिया लि. (कर्जदार), 34–35–36, सैक्टर–3, सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र, पंतनगर, उत्तराखंड मैसर्स ब्रशमैन इण्डिया लि. (कर्जदार), फ्लैट नं. 604, छठा तल, "मकानी सैन्टर" प्रेम को–ऑप हाउसिंग सोसाइटी, बांद्रा (वैस्ट), मुंबई, गांरटर: 1. श्री कपिल कुमार पुत्र स्व. श्री कैंवल कृष्ण 2. श्रीमती ऋतु कुमार पत्नी श्री कपिल कुमार 3. श्रीमती राज रानी पत्नी स्व. श्री कैंवल कृष्ण सभी निवासी : डी–6/2 वसंत विहार, नई दिल्ली –110057 मैसर्स ओमेगा ब्रशवेयर (इसके पार्टनर्स के माध्यम से) श्री कपिल कुमार और श्रीमती राज रानी) बी–95 / 3, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र फेज़–1, नई दिल्ली–110028	रिहायशी फ्लैट नं. 604, छठा तल, "मकानी सैन्टर" 35वां रोड ऑफ लिंकिन्ग रोड, प्रेम को–ऑप. हाऊसिंग सोसाएटी, प्लाट नं. 522, सी.टी.एस नं. एफ/355, टाउन प्लालिंग स्कीम नं. III "पुष्पा सदन" बन्द्रा (पश्चिम) मुम्बई में स्थित है। निर्मित क्षेत्रफल 462 वर्ग फीट और कारपेट एरिया 385 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति मैसर्स ब्रशमैन इण्डिया लि. के नाम पर है। (भौतिक कब्जा)	₹ 135.00 लाख ₹ 13.50 लाख ₹ 1.00 लाख	रु 59,45,43,370.52 दिनांक 31.03.2011 तक ब्याज और आकस्मिक खर्चे एवं लागत सहित और भविष्य का ब्याज लागत खर्चे एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित मांग सूचना की तारीख 18.04.2011	24-10-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपाह्न 4.00 बजे तक प्राधिकृत अधिकारी: श्री हरभजन सिंह मो. नं. 9650298154	05-11-2019 समय 60 मिनट पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित स्वतः विस्तार सहित
2	मैसर्स रैडिकल फूड्स लि. (उधारकर्ता), श्रीमती अंजू चौधरी पत्नी स्वं. श्री चंद्र प्रकाश चौधरी (व्यक्तिगत गारंटर और बंधककर्ता), श्री सिद्धार्थ चौधरी पुत्र स्वं. श्री चंद्र प्रकाश चौधरी (व्यक्तिगत गारंटकार और बंधककर्ता), मैसर्स श्रीधर ईस्टेट प्रा.लि. (कॉर्पोरेट गारंटर), मैसर्स तिरुमाला वाणिज्य प्रा. लि. (कॉर्पोरेट गारंटर), मैसर्स रैडिकल इंटरनेशनल प्रा. लि. (कॉर्पोरेट गारंटर और बंधककर्ता), मैसर्स कुंदन कॉमर्शियल प्रा. लि.(कॉर्पोरेट गारंटर) और मैसर्स रैडिकल ग्लोबल फूड्स (इंडिया) प्रा. लि. (पूर्व रैडिकल वेयरहाउसिंग प्रा. लि.) (कॉर्पोरेट गारंटा) और स्वं. श्री चंद्र प्रकाश चौधरी के कानूनी उत्तराधिकारी, अर्थात 1. श्रीमती अंजू चौधरी (पत्नी), 2. श्री सिद्धार्थ चौधरी (पुत्र), 3. श्री मोहित चौधरी (पुत्र), 4. सुश्री अनन्दिता चौधरी पत्नी श्री सिद्धार्थ चौधरी, 5. श्री श्रीधर चौधरी (पुत्र), 6. श्री प्रतीक चौधरी (पुत्र), 7. सुश्री कृति चौधरी (पुत्री) और 8. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री समंदर सिंह	(1) सम्पत्ति पर मालिकाना हक : श्री सिद्धार्थ चौधरी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि जे–3, द्वितीय तल, साथ में छत पर दो सर्वेंट क्वॉर्टर समानुपातिक अविभाजित, अविभाज्य अधिकारों के साथ, साकेत नई दिल्ली –17 में स्थित, निर्मित क्षेत्रफल 3800 वर्ग फीट, 4BR., 1DR, 3 बालकनी, 1 स्टोर रूम, 1 लॉबी, किचन, 5 टॉयलेट, प्लॉट क्षेत्रफल 500 वर्ग गज (भौतिक कब्जा) (2) सम्पत्ति पर मालिकाना हक : श्रीमती अंजू चौधरी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि डी–119, सम्पूर्ण बेसमेंट, साकेत, नई दिल्ली – 110017 में स्थित है। प्लॉट क्षेत्रफल 291.54 वर्ग गज, कवर्ड क्षेत्रफल 1968 वर्ग फीट (भौतिक कब्जा)	(1) ₹ 420.00 लाख ₹ 42.00 लाख ₹ 1.00 लाख (2) ₹ 123.00 लाख ₹ 12.30 लाख ₹ 1.00 लाख	(1) भारतीय स्टेट बैंक (पूर्व में e-SBP, e-SBBJ, e-SBH, e-SBT and e-SBM) को रु. 695,13,16,548.00 दिनांक 30.12.2017 तक प्लस ब्याज, आकस्मिक खर्चे इत्यादि सहित, (नोटिस की तिथि 30.12.2017) (2) इंडियन ओवरसीज़ बैंक को रु. 129,26,11,556.00 दिनांक 31.08.2016 तक प्लस ब्याज, आकस्मिक खर्चे इत्यादि सहित, (नोटिस की तिथि 03.10.2016) (3) एक्ज़िम बैंक को रु. 20,90,35,051.78 दिनांक 08.11.2016 तक प्लस ब्याज, आकस्मिक खर्चे इत्यादि सहित, (नोटिस की तिथि 11.11.2016) (4) विजया बैंक को रु. 31,56,26,444.00 दिनांक 30.09.2016 तक प्लस ब्याज, आकस्मिक खर्चे इत्यादि सहित, (नोटिस की तिथि 24.10.2016) (5) बैंक ऑफ महाराष्ट्रा को रु. 50,05,13,742.00 दिनांक 24.07.2016 तक प्लस ब्याज, आकस्मिक खर्चे इत्यादि सहित, (नोटिस की तिथि 25.07.2016) (6) IDBI बैंक को रु. 29,22,01,447.00 दिनांक 29.06.2016 तक प्लस ब्याज, आकस्मिक खर्चे इत्यादि सहित, (नोटिस की तिथि 29.06.2016) (7) UCO बैंक को रु. 32,15,54,793.00 दिनांक 31.05.2016 तक प्लस ब्याज, आकस्मिक खर्चे इत्यादि सहित, (नोटिस की तिथि 20.07.2016) (8) कैथोलिक सीरियाई बैंक को रु. 31,00,89,108.93 दिनांक 31.08.2016 तक प्लस ब्याज, आकस्मिक खर्चे इत्यादि सहित (9) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स को रु. 37,99,62,294.24 दिनांक 30.09.2016 तक प्लस ब्याज, आकस्मिक खर्चे इत्यादि सहित, (नोटिस की तिथि 20.10.2016) (10) बैंक ऑफ इंडिया को रु. 23,95,82,897.31 दिनांक 31.08.2016 तक प्लस ब्याज, आकस्मिक खर्चे इत्यादि सहित, (नोटिस की तिथि 06.09.2016)	25-10-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपाह्न 4.00 बजे तक प्राधिकृत अधिकारी: श्री हरभजन सिंह मो. नं. 9650298154	05-11-2019 समय 60 मिनट पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित स्वतः विस्तार सहित
3	मैसर्स एडवान्स होम एण्ड पर्सनल केयर लि., पंजीकृत कार्यालय: 511/2/1, रजौकरी, नई दिल्ली–110038 पर्सनल + कॉरपोरेट गारंटर्स का नाम 1. श्री अशोक महिंद्रू पुत्र श्री यश पाल महिंद्रू, पी–10/8, आकाशनीम मार्ग, डीएलएफ फेज–II, गुड़गांव–122002, हरियाणा 2 श्री आशुतोष महिंद्रू पुत्र श्री अशोक महिंद्रू, पी–10/8, आकाशनीम मार्ग, डीएलएफ फेज – II, गुड़गांव–122002, हरियाणा 3 श्रीमती साधना महिंद्रू पत्नी श्री अशोक महिंद्रू, पी–10/8, आकाशनीम मार्ग, डीएलएफ फेज – II, गुड़गांव–122002, हरियाणा 4 मैसर्स एडवांस सरफैक्टैंट्स इंडिया लि. (कॉर्पोरेट गारंटर) पंजीकृत कार्यालय: 511/2/1, रजौकरी, नई दिल्ली – 110038	लॉट ए: फैक्ट्री भूमि (6,014 वर्ग मी.) और भवन और प्लांट एवं मशीनरी, प्लॉट नं. 107–108, गाँव रॉयपुर, भगवानपुर, रूड़की, उत्तराखंड–247667 में स्थित (खसरा नं. 107, खतौनी नं. 00086) (कुल 2 और 3) बी: प्लांट एवं मशीनरी, प्लॉट नं 107–108, गाँव रॉयपुर, भगवानपुर, रूड़की, उत्तराखंड–247667 में स्थित (खसरा नं. 107, खतौनी नं. 00086) सी: फैक्ट्री भूमि (6,014 वर्ग मी.) और भवन, प्लॉट नं 107–108, गाँव रॉयपुर, भगवानपुर, रूड़की, उत्तराखंड–247667 में स्थित (खसरा नं. 107, खतौनी नं. 00086) # लॉट ए की बिक्री पहले की जाएगी, लॉट ए की नीलामी असफल होने पर, लॉट बी और सी का विकल्प दिया जाएगा। हालांकि लॉट सी की नीलामी केवल तभी आयोजित की जाएगी जब कि लॉट बी की बिक्री हो जाएगी और लॉट बी के क्रेता द्वारा लॉट बी को हटा दिया जाता है तभी लॉट सी के क्रेता को लॉट सी हस्तांतरित किया जाएगा। लॉट बी के क्रेता को क्रय की गई वस्तुओं को ई–नीलामी की तिथि से 30 दिनों के अंदर हटाना होगा। मैसर्स एडवान्स होम एण्ड पर्सनल केयर लि., पंजीकृत कार्यालय: 511/2/1, रजौकरी, नई दिल्ली–110038	ए: ₹ 498.00 लाख ₹ 49.80 लाख ₹ 1.00 लाख बी: ₹ 98.00 लाख ₹ 9.80 लाख ₹ 1.00 लाख सी: ₹ 400.00 लाख ₹ 40.00 लाख ₹ 1.00 लाख	रु. 17,20,95,806/- (रु. सत्रह करोड़ बीस लाख पिच्चान्वे हजार आठ सौ छः मात्र) दिनांक 27.02.2017 तक + दिनांक 27.02.2017 से भविष्य का ब्याज + खर्चे एवं लागत और अन्य प्रभार इत्यादि सहित ऋणी कम्पनी मैसर्स एडवान्स होम एण्ड पर्सनल लि. मांग सूचना की तारीख 27.02.2017	24-10-2019 दोपहर 12.00 बजे से अपाह्न 2.00 बजे तक प्राधिकृत अधिकारी: श्री प्रशांत सिंह मो. नं. 9999355060	05-11-2019 समय 60 मिनट पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित स्वतः विस्तार सहित
4	मैसर्स 4 जीनियस माइंडस् प्रा. लि., पंजीकृत कार्यालय : के–1/17, भूतल, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली –110019 गारंटर: 1. श्री आदित्य अग्रवाल, एम–46, ग्रेटर कैलाश, पार्ट–1, नई दिल्ली–110048 2. श्री अभिषेक अग्रवाल, एम–46, ग्रेटर कैलाश, पार्ट–1, नई दिल्ली–110048 3. श्री अखिलेश अग्रवाल, 2630, साउथर्न गेट, ड्राईव ग्रीन्सबोरो, नॉर्थ कारोलिना 27410, युनाईटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एम –46, ग्रेटर कैलाश, पार्ट–1, नई दिल्ली–110048	रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि एवं भवन मकान नं. एम–46, ग्रेटर कैलाश, पार्ट–1, नई दिल्ली–110048 में स्थित (प्लॉट क्षेत्रफल 510 वर्ग गज) और चल (स्थायी रूप से चिपका नहीं) घरेलू सामान जोकि मकान नं. एम–46, ग्रेटर कैलाश, पार्ट–I, नई दिल्ली–110048 रखा है, वैध प्रभार और लागत वसूलने के लिए बेचा जा रहा है और सुरक्षित संपत्ति के रूप में नहीं है श्री आदित्य अग्रवाल, श्री अभिषेक अग्रवाल और श्री अखिलेश अग्रवाल यह सभी श्री अरविन्द अग्रवाल के पुत्र	₹ 2047.00 लाख ₹ 204.70 लाख ₹ 1.00 लाख	रु. 48,01,41,591.31 (अड़तालीस करोड़ एक लाख इक्तालीस हजार पाँच सौ इक्यान्वे और पैसे इक्तीस मात्र) दिनांक 07.04.2018 तक + दिनांक 07.04.2018 से भविष्य का ब्याज + खर्चे एवं लागत और अन्य प्रभार इत्यादि सहित ऋणी कम्पनी मैसर्स 4 ज़िनियस माईन्डस् प्रा. लि. मांग सूचना की तारीख 07.04.2018	25-10-2019 दोपहर 12.00 बजे से अपाह्न 2.00 बजे तक प्राधिकृत अधिकारी: श्री प्रशांत सिंह मो. नं. 9999355060	05-11-2019 समय 60 मिनट पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित स्वतः विस्तार सहित

अनुरोध पत्र, केवाईसी दस्तावेजों, पैन कार्ड, ईएमडी जमा करने का प्रमाण आदि जमा करने की तिथि व समय और धरोहर राशि RTGS/NEFT के माध्यम से दिनांक 01-11-2019 अपाह्न 4.00 बजे तक या उस से पहले जमा करें

भावी बोलीदाता धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट/आर टी जी एस/एन ई एफ टी के रुप में खाता संख्या 33108475877, "THE AUTHORISED OFFICER, SBI, SAM BRANCH-1, NEW DELHI", IFSC Code: SBIN0004109, में जमा करें यदि धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमा करते है तो 'भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा–1, नई दिल्ली के पक्ष में जो कि नई दिल्ली में देय हो, व किसी राष्ट्रीकृत या शिडयूल बैंक में बना हो जमा करें।

ई–नीलामी हेतु नियम व शर्तें:–
ई–नीलामी "जैसा है जहाँ है" तथा "जैसा है जो भी है" के आधार पर ऑन लाइन आयोजित की जायगी।
यह नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता M/S C-1 India Pvt. Ltd., हेल्पलाइन नं. 0124-4302020/21/23/24/25, श्री विनोद, मो. नं. 9813887931 एवं ई–मेल : support@bankeauctions.com) के माध्यम से वेबपोर्टल https://www.bankeauctions.com पर ऑनलाइन संचालित की जायेगी। ऑनलाइन नीलामी बिक्री के अन्तर्गत ई–नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणापत्र, समान्य नियम व शर्तें आदि निविदा दस्तावेज वेबपोर्टल साईट https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध है।
अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सम्पत्ति(यों) पर कोई प्रभार नही है। तथापि इच्छुक बोलीदाता(ओं) को, ऋणभार, नीलामी में रखी गयी सम्पत्ति(यों) के स्वामित्व तथा सम्पत्ति(यों) को प्रभावित करने वाले दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के संबन्ध में अपनी स्वयं स्वतन्त्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व कर लेनी चाहिए। इस संदर्भ में ई–नीलामी विज्ञापन, बैंक की किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता/वचनबद्धता निर्मित नही करता है और न ही कोई वचनवद्धता/प्रतिवद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जायेगा।
प्राधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत लेनदार किसी तृतीय पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। यह ई–नीलामी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों/शर्तों के अनुसार की जायेगी। ई–नीलामी के अन्य नियम व शर्ते निम्नलिखित वेबसाईटों पर प्रकाशित की गई है। 1. https://www.bankeauctions.com 2. http://www.sbi.co.in

सरफासी ऐक्ट, 2002 के अधीन बिक्री हेतु कानूनी नोटिस

तिथि : 07.10.2019, स्थान : नई दिल्ली — हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

खबर कोना

बेजिंग में चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला अंतिम मुकाबले में जापान की नाओमी ओसाका ट्रॉफी के साथ।

पेनल्टी बचाने से मिलान ने जिनोआ को हराया

मिलान, 6 अक्तूबर (भाषा)।

गोलकीपर पेपे रेइना ने इंजरी टाइम में पेनल्टी बचाई जिससे एसी मिलान ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए सिरी ए फुटबाल टूर्नामेंट में यहां जिनोआ को 2-1 से हराया। दोनों टीमों को आखिर में 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। रेइना को मैच से पहले जियानलुइगी डोनारुमा के बीमार होने के कारण मैदान पर उतारा गया। स्पेन के इस गोलकीपर की शुरुआत खराब रही जब वे डेन लेसी स्कोन की दूसरी फ्री किक को समझ नहीं पाए और जिनोआ ने बढ़त बना ली।थियो हर्नांडेज ने 51वें मिनट में मिलान को बराबरी दिलाई जबकि छह मिनट बाद फ्रेंक केसी ने पेनल्टी पर गोल दागकर अपनी टीम को 2-1 से आगे किया।

संधू दूसरे, राशिद पांचवें और मदप्पा नौंवे स्थान पर

तामसुई, (चीनी ताइपे) 6 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय गोल्फर अजीतेश संधू ने रविवार को यहां मरक्यूरिस ताईवान मास्टर्स के अंतिम दौर में अंत में डबल बोगी जिससे उन्हें संयुक्त दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। संधू और फिलीपींस के मिगुएल ताबुएना ने 72 का कार्ड खेला जिससे दोनों संयुक्त दूसरे स्थान पर रहे। थाईलैंड के सूरादित योंगचारोनचाई ने अंतिम दौर में 70 का कार्ड खेलकर अपनी करियर की सबसे बड़ी इनामी राशि हासिल की। अन्य भारतीयों में राशिद खान 67 का कार्ड खेलकर संयुक्त पांचवें जबकि विराज मदप्पा 65 के कार्ड से संयुक्त नौवें स्थान पर रहे। इससे तीन भारतीय शीर्ष 10 में शामिल रहे।

तेज गेंदबाजों ने उठाया फायदा : कोहली

विशाखापत्तनम, 6 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने रविवार को यहां भारत के तेज गेंदबाजी हमले की प्रशंसा की जिन्होंने स्पिनरों के मुफीद धीमे विकेट पर भी शानदार प्रदर्शन दिखाया। मोहम्मद शमी ने खतरनाक तेज गेंदबाजी स्पैल की बदौलत पांच विकेट अपने नाम किए, जिससे भारत ने रविवार को यहां शुरुआती टैस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 191 रन पर समेटकर 203 रन से जीत हासिल की। भारत ने इस तरह तीन मैचों की शृंखला में 1-0 की बढ़त ले ली। पूछने पर कि भारतीय तेज गेंदबाज अब भारत की टैस्ट जीत में ज्यादा अहम भूमिका निभा रहे हैं तो कोहली ने कहा, 'यह सिर्फ जज्बे की बात है। अगर तेज गेंदबाज सोचेंगे कि स्पिनरों को ही सारा काम करना होगा तो टीम में उनके स्थान के साथ न्याय नहीं होगा।'

प्रागनानंदा और आर्यन को अंडर-18 में संयुक्त बढ़त

मुंबई, 6 अक्तूबर (भाषा)।

भारत के आर प्रागनानंदा ने रविवार को विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप के कड़े मुकाबले को ड्रॉ कराया जबकि दिव्या देशमुख ने शानदार जीत दर्ज की। जीएम प्रागनानंदा ने काले मोहरों से खेलते हुए अंडर-18 ओपन में ईरान के आइएम आर्यन घालोमी से 39 चाल के बाद अंक बांटे। इससे प्रागनानंदा छठे दौर के बाद पांच अंक लेकर आर्यन के साथ संयुक्त बढ़त बनाए हुए हैं। देश के अन्य जीएम में पी इनियान को 50 चाल के बाद जर्मनी के वालेनटिन बकल्स से ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। दिव्या ने अंडर-14 बालिका वर्ग में कजाखस्तान की लिया कुरमांगलियेवा को मात दी जिससे उनके 4.5 हो गए।

पहले टैस्ट में दक्षिण अफ्रीका पर भारत की 203 रनों से शानदार जीत

शमी-जडेजा के सामने अफ्रीकी बल्लेबाज पस्त

विशाखापत्तनम, 6 अक्तूबर (भाषा)।

मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा की ओर से झटके गए नौ विकेट की बदौलत भारत ने पहले क्रिकेट टैस्ट के पांचवें और अंतिम दिन रविवार को दक्षिण अफ्रीका को 203 रन से हराकर तीन मैचों की शृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत के 395 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम शमी (35 रन पर पांच विकेट) और जडेजा (87 रन पर चार विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 63.5 ओवर में 191 रन पर ढेर हो गई। रविचंद्रन अश्विन ने भी 44 रन देकर एक विकेट चटकाया। शमी ने अपने करियर में पांचवीं बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट चटकाए हैं।

दक्षिण अफ्रीका की हार का अंतर और बड़ा होता लेकिन सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे सेनुरान मुथुस्वामी (108 गेंद में नाबाद 49) और 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे डेन पीट (107 गेंद में 56 रन) ने नौवें विकेट के लिए 91 रन की रेकॉर्ड साझेदारी करके भारत के जीत के इंतजार को बढ़ाया। मुथुस्वामी और पीट की इस साझेदारी से पहले भारत में दक्षिण अफ्रीका की ओर से नौवें विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी का रेकॉर्ड फेनी डिविलियर्स और एलेन डोनाल्ड के नाम दर्ज था जिन्होंने 60 रन जोड़े थे। साथ ही पीट द्वारा बटोरे रन भारत में चौथी पारी में आठवें या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए किसी खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर भी है। इससे पहले का रेकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाथन एस्टल के नाम था जिन्होंने 2003 में अमदाबाद में नाबाद 51 रन बनाए थे। भारत को इस जीत से 40 अंक मिले और उसने तीन मैचों में तीन जीत के साथ विश्व टैस्ट चैंपियनशिप के शीर्ष पर कुल 160 अंक के साथ अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।

शमी ने शून्य पर दो को भेजा

शमी ने तेंबा बावुमा, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और पहली पारी में शतक जड़ने वाले क्विंटन डिकाक को बोल्ड करके दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी। बावुमा कम उछाल के साथ तेजी से अंदर आती गेंद पर चूक गए जबकि डुप्लेसिस ने अंदर आती गेंद पर शॉट नहीं खेलने का फैसला लेकर अपना आफ स्टंप गंवाया। शमी ने इसके बाद इनस्विंगर पर डिकाक को बोल्ड किया।

सलामी बल्लेबाज पर जडेजा भारी

जडेजा ने पारी के 27वें ओवर में सलामी बल्लेबाज ऐडन मार्कराम, वर्नन फिलेंडर और केशव महाराज को पवेलियन भेजा। मार्कराम ने जडेजा को उन्हीं की गेंद पर वापस कैच थमाया जबकि फिलेंडर और महाराज को बाएं हाथ के इस स्पिनर ने लगातार गेंदों पर पगबाधा किया।

पीट ने जडेजा पर डीप मिड विकेट के ऊपर से मैच का 36वां छक्का मारा जिससे टैस्ट मैच में सर्वाधिक छक्कों का नया रेकॉर्ड बना। मैच में कुल 37 छक्के लगे। लंच के बाद पीट शमी की गेंद को विकेटों पर खेलकर पवेलियन लौटे।

दक्षिण अफ्रीका ने दिन की शुरुआत एक विकेट पर 11 रन से की जल्द ही उसने 70 रन तक आठ विकेट गंवा दिए लेकिन पीट और मुथुस्वामी ने इसके बाद भारत के इंतजार को बढ़ाया। सुबह के सत्र में 15 मिनट का इजाफा भी किया गया जिससे कि भारत जीत की औपचारिकता पूरी कर सके लेकिन पीट और मुथुस्वामी ने मेजबान टीम को निराश किया।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी टेंबा बाउमा को आउट करने के बाद खुशी मनाती भारतीय टीम।

मुरलीधरन के रेकॉर्ड के बराबर पहुंचे अश्विन

विशाखापत्तनम, 6 अक्तूबर (भाषा)।

भारत के शीर्ष ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने रविवार को अपने 66वें टैस्ट में सबसे तेज 350 विकेट हासिल करने के श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के रेकॉर्ड की बराबरी की। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टैस्ट की पहली पारी में 27वीं बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट चटकाने वाले अश्विन ने पांचवें दिन थ्यूनिस डि ब्रून को बोल्ड करके यह उपलब्धि हासिल की।

अश्विन ने बीसीसीआइ टीवी से कहा, 'बेशक, लंबे समय तक खेलने से ऐसी चीजें होती हैं, हम इस तरह की चीजों को लेकर कोई योजना नहीं बनाते। मैं अपने करियर में जहां पहुंचा, इन सारे रेकॉर्ड के संदर्भ में मैं भाग्यशाली हूं। लेकिन यह महत्त्वपूर्ण है कि मैं प्रक्रिया और मूल चीजों पर बरकरार रहूं और चीजों को अधिक से अधिक सरल रखूं।' सुबह के सत्र में अश्विन ने अपनी पांचवीं गेंद पर ही पहली सफलता दिलाई।

धावक परियां दोहा में चल रहे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4 गुणा 100 दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वालीं जमैका की खिलाड़ी जोनाइल स्मिथ, नातालिया वाइथ, शैले एम फ्रेसर और शेरिका जैक्सन खुशी मनाते हुए।

पूर्व चैंपियन सरिता मुक्केबाजी चैंपियनशिप से बाहर

उलान-उदे (रूस), 6 अक्तूबर (भाषा)।

पूर्व चैंपियन एल सरिता देवी रविवार को यहां राउंड ऑफ 32 में रूस की नतालिया शादरिना के खिलाफ हार के साथ विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप से बाहर हो गईं। पहले दौर में बाई हासिल करने वाली चौथी वरीय सरिता अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहीं और उन्हें 0-5 से हार झेलनी पड़ी।

भारत को एक और निराशा दिन की अंतिम बाउट में देखनी पड़ी जिसमें पदार्पण कर रही नंदिनी (81 किग्रा) जर्मनी की इरिना निकोलेटा शोनबर्गर के सामने नहीं टिक सकीं और उन्हें 0-5 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। नई दिल्ली विश्व महिला चैंपियनशिप-2006 की स्वर्ण पदक विजेता सरिता एक दशक से भी अधिक समय में इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में अपने पहले पदक के लिए चुनौती पेश कर रहीं थी। कई बार की एशियाई चैंपियन मणिपुर की यह मुक्केबाज पहले तीन मिनट में पूरी तरह नियंत्रण में दिखी और उन्होंने अपनी विरोधी पर अधिक मुक्के बरसाए। शादरिना हालांकि अगले दो दौर में वापसी करने में सफल रही। सरिता अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के पहले एथलीट आयोग की सदस्य बनने की दौड़ में भी शामिल हैं जिसे मौजूदा प्रतियोगिता के दौरान औपचारिक रूप दिया जाएगा। नंदिनी शुरू से ही जूझती दिखी और तकनीकी रूप से बेहतरीन निकोलेटा जैसी चुस्ती नहीं दिखा सकीं। उन्हें मुकाबले के दौरान चेहरे पर कट भी लग गया। स्वीटी बूरा (75 किग्रा) और जमुना बोरो (54 किग्रा) अपने अपने पहले दौर के मुकाबले जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी हैं।

मैराथन में एशियाई चैंपियन गोपी 21वें स्थान पर

मिश्रित सफलता के साथ भारत का अभियान समाप्त

दोहा, 6 अक्तूबर (भाषा)।

एशियाई चैंपियन गोपी थोनाकल रविवार को यहां पुरुष मैराथन में 21वें स्थान पर रहे जबकि भारत ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने अभियान का अंत मिश्रित सफलता के साथ किया। भारत की 27 सदस्यीय टीम से किसी पदक की उम्मीद नहीं थी लेकिन इस चैंपियनशिप में टीम ने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया और मिश्रित चार गुणा 400 मीटर रिले, पुरुष 3000 मीटर स्टीपलचेज और महिला भाला फेंक के फाइनल में जगह बनाने में सफल रही।

लंबी कूद में 2003 में अंजू बाबी जॉर्ज का कांस्य पदक विश्व चैंपियनशिप में अब तक भारत का एकमात्र पदक है। फाइनल में जगह बनाने वाले स्टीपलचेज धावक अविनाश सबले और मिश्रित चार गुणा 400 मीटर टीम ने तोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भी क्वालीफाई किया जबकि भाला फेंक में अनु रानी आठवें स्थान पर रही। अनु भाला फेंक के फाइनल में क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनीं जबकि अविनाश ने तीन दिन में दो बार अपना राष्ट्रीय रेकार्ड तोड़ा। बेजिंग में 2015 विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में तीन भारतीयों ने जगह बनाई थी जबकि 2017 में लंदन में हुई विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में सिर्फ एक भारतीय पहुंचा था। गोपी ने दो घंटे 15 मिनट और 57 सेकेंड का समय लिया और स्पर्धा को पूरा करने वाले 55 धावकों में शीर्ष हाफ में जगह बनाई। इस स्पर्धा का आयोजन लगभग 29 डिग्री सेल्सियस तापमान और लगभग 50 प्रतिशत आर्द्रता में किया गया। मध्यरात्रि से ठीक पहले हुई मैराथन की शुरुआत 73 धावकों ने की थी लेकिन 18 खिलाड़ी इसे पूरा नहीं कर पाए।

चीन में 2017 में दो घंटे 15 मिनट और 48 सेकेंड के समय के साथ एशियाई मैराथन जीतने वाले गोपी ने मार्च में सोल में दो घंटे 13 मिनट और 39 सेकेंड का अपना सत्र का और निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। गोपी हालांकि ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रहे जिसका क्वालीफाइंग स्तर दो घंटे 11 मिनट और 30 सेकेंड था। इथोपिया के लेलिसा देसिसा (दो घंटे 10 मिनट और 40 सेकेंड) और मोसिनेट गेरेम्यू (दो घंटे 10 मिनट और 44 सेकेंड) ने पहले दो स्थान पर कब्जा जमाया। शनिवार को भारत की पुरुष और महिला चार गुणा 400 मीटर रिले टीमों ने निराश किया जबकि भाला फेंक में शिवपाल सिंह भी विश्व चैंपियनशिप से बाहर हो गए।

जिस्ना मैथ्यू, एमआर पूवम्मा, वीके विस्मया और वेंकटेशन सुभा की भारतीय महिला टीम तीन मिनट 29.42 सेकेंड के समय के साथ हीट एक में छठे और पहले दौर की हीट में कुल 11वें स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाने में विफल रही।

आइसीए चुनाव जीते तो आजाद दिलाएंगे पेंशन

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर (भाषा)।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर कीर्ति आजाद अगर भारतीय क्रिकेटर्स संघ (आइसीए) के 11 अक्तूबर को होने वाले चुनाव में खिलाड़ियों के प्रतिनिधि के चुनाव में जीत दर्ज करते हैं तो पेंशन, चिकित्सा बीमा और हाल में संन्यास लेने वाली प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों को एकमुश्त अनुग्रह राशि जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहते हैं।

बीसीसीआइ की महत्त्वपूर्ण शीर्ष परिषद में आइसीए के खिलाड़ी प्रतिनिधि के चुनाव में आजाद को पूर्व भारतीय क्रिकेटरों अंशुमन गायकवाड़ और डोडा गणेश से टक्कर मिलेगी। इस पद के लिए चौथे उम्मीदवार सौराष्ट्र और भारत के बाए हाथ के पूर्व स्पिनर राकेश ध्रुव हैं। दिल्ली के पूर्व कप्तान और 1983 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य आजाद को भरोसा है कि वह अतीत के कई प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों के जीवन में अंतर पैदा कर पाएंगे जो गुमनामी और गरीबी में जी रहे हैं। आजाद ने कहा, 'मैं, अशोक मल्होत्रा (आइसीसीए का नया अध्यक्ष बनना लगभग तय), सुरिंदर खन्ना (आइपीएल शीर्ष परिषद में खिलाड़ी प्रतिनिधि) एक समूह के रूप में एक साथ हैं।' बीसीसीआई के चुनावों के लिए पहली बार आजाद ने 13 सूत्रीय चुनाव घोषणा पत्र जारी किया।

सीओए के नोटिस पर टीएनसीए की आपत्ति

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर (भाषा)।

तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) ने प्रशासकों की समिति (सीओए) के कारण बताओ नोटिस पर कड़ी आपत्ति उठाई और करारा जवाब दिया कि हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त संस्था के पास उसके अनुपालन की जांच का कोई अधिकार नहीं है।

बीसीसीआइ की आम सालाना बैठक 23 अक्तूबर को होनी है। सीओए ने तमिलनाडु, हरियाणा और महाराष्ट्र को नोटिस जारी किया और कहा कि उनके द्वारा संशोधित संविधान का अनुपालन नहीं करने से संभवतः उनकी भागीदारी पर रोक लगाई जा सकती है।

सीओए नोटिस के जवाब में टीएनसीए ने लिखा, 'इस मामले में सीओए के पास इस कथित आरोप से किसी भी संघ को बीसीसीआइ की 23 अक्तूबर 2019 को होने वाली आम सालाना बैठक में भाग लेने और मत देने से अपात्र ठहराने का कोई अधिकार नहीं है।' यह मामला अभी विचाराधीन है, सभी संघों को भाग लेने की अनुमति दी जाए।

नोवाक जोकोविच ने जापान ओपन का अपना पहला खिताब जीता

तोक्यो, 6 अक्तूबर (एएफपी)।

दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच कंधे की चोट से जुड़ी सभी चिंताओं को दूर करते हुए रविवार को यहां चल रहे जापान ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता।

कंधे की चोट के कारण अमेरिकी ओपन से हटने सर्बिया के जोकोविच ने फाइनल में आस्ट्रेलिया के क्वालीफायर जान मिलमैन को 6-3, 6-2 से हराया। पहली बार जापान में किसी टूर्नामेंट में खेल रहे जोकोविच ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान एक भी सेट नहीं गंवाया। बाएं कंधे में चोट के कारण अमेरिकी ओपन से हटने के बाद

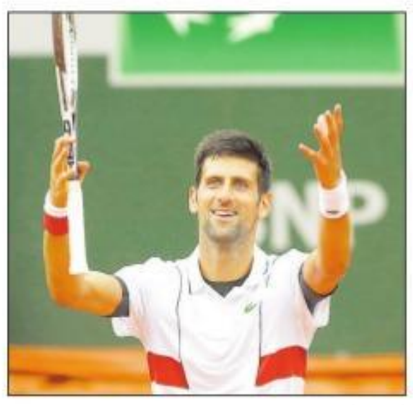

जोकोविच पहली बार किसी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे थे।

भारतीय महिला जिमनास्टों ने चैंपियनशिप में किया निराश

स्टुटगार्ट (जर्मनी), 6 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय महिला जिमनास्टों का प्रदर्शन विश्व कलात्मक जिमनास्टिक चैंपियनशिप में निराशाजनक रहा। कोई भी महिला जिमनास्ट व्यक्तिगत स्पर्धाओं के अंतिम के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाईं।

ऑल राउंड क्वालीफिकेशन में प्रणति नायक 45.832 अंक और प्रणति दास 45.248 अंक से क्रमशः 127वें और 132वें स्थान पर रहीं। वॉल्ट स्पर्धा में प्रणति नायक ने पहले प्रयास में 14.200 अंक जुटाए लेकिन दूसरे प्रयास में 'न्यूट्रल डिडक्शन' के कारण वह अंतिम से बाहर हो गईं। वह वॉल्ट क्वालीफिकेशन में 27वें स्थान पर रहीं। वहीं 'अनइवन बार्स क्वालीफिकेशन' में प्रणति नायक, प्रणति दास और अरुणा रेड्डी क्रमशः 164वें, 182वें और 193वें स्थान पर रहीं।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 323, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।